



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 जनवरी 2026-पौष 19, शक 1947

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभागों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,  
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के  
आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत  
की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,  
(2) सांख्यिकी सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,  
(3) संसद में पुरः स्थापित विधेयक,  
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,  
(3) संसद के अधिनियम.  
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग 9

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2025

क्र. ई-5-1080-आयएस-लीव-5-एक.—श्री संजीव श्रीवास्तव, भाप्रसे, (2011), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग का दिनांक 15 दिसम्बर 2025 से 02 जनवरी 2026 तक, 19 दिवस का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री संजीव श्रीवास्तव, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव श्रीवास्तव, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**अनुराग जैन, मुख्य सचिव.**

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2025

क्र.-एफ-6-34-2015-एक(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 316(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, डॉ. पिकेश लता रघुवंशी, गिप्रासी विदिशा को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य पद पर, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हैं.

क्र. GAD-6-0028-2025-GAD-1-01(GAD).—माननीय न्यायाधिपति, श्री बिनोद कुमार द्विवेदी, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. ए-5164 (दो-1-04-2024), दिनांक 27 नवम्बर 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 21 से 25 नवम्बर

2025 तक, पांच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**सुमन रायकवार, अवर सचिव.**

## गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2025

क्र. ई.1-1-14-0002-2024-B-2-02(HOM).- राज्य शासन द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह पर्वार, भापुसे (2016) को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 29 दिसम्बर 2025 से 07 जनवरी 2026 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत भ्रमण पर गंगटोक (सिक्किम) की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-

1. श्री जितेन्द्र सिंह पर्वार — स्वयं
2. श्रीमती रंजन पर्वार — पत्नी
3. श्री सुयं प्रताप सिंह पर्वार — पुत्र
4. कु. तनिष्का पर्वार — पुत्री

(2) श्री जितेन्द्र सिंह पर्वार, भापुसे की अवकाश अवधि में पुलिस उपायुक्त (यातायात), नगरीय पुलिस, भोपाल का चालू कार्य सुश्री सोनाक्षी सक्सेना, भापुसे (2020), पुलिस उपायुक्त (आसूचना/सुरक्षा), नगरीय पुलिस, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र सिंह पर्वार, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उपायुक्त (यातायात), नगरीय पुलिस, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री जितेन्द्र सिंह पर्वार, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री जितेन्द्र सिंह पर्वार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जितेन्द्र सिंह पर्वार, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. ई. 1-1-1-0418-2025-B-2-02(HOM).- राज्य शासन द्वारा श्री अंशुमान सिंह, भापुसे (2006), पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2026-29 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 01 से 09 जनवरी 2026 तक, कुल नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं 10-11 जनवरी 2026 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण पर मुन्नार, केरल की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-

1. श्री अंशुमान सिंह — स्वयं
2. श्रीमती उपमा सिंह — पत्नी

(2) श्री अंशुमान सिंह, भापुसे की अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य डॉ. आशीष, भापुसे (2005), पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अंशुमान सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अंशुमान सिंह, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अंशुमान सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंशुमान सिंह, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2025

क्र. ई एफ 1-1-17-0020-2025-ब-2-दो.- राज्य शासन, श्री संजीव कुमार सिन्हा, भापुसे, सेनानी, 14वीं वाहिनी, विसबल, ग्वालियर को दिनांक 20 सितम्बर से 6 अक्टूबर 2025 तक, कुल सत्रह दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से चौतीस दिवस अर्धवेतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री संजीव कुमार सिन्हा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव कुमार सिन्हा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. ई एफ-1-1-1-0214-2025-बी-2-दो.- राज्य शासन, श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, महानिदेशक, होमगार्ड्स, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, मध्यप्रदेश को दिनांक 29 दिसम्बर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक, सत्रह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 27-28 दिसम्बर 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, होमगार्ड्स, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं।

क्र. ई एफ-1-1-1-0223-2025-बी-2-दो.- राज्य शासन द्वारा सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल रेन्ज, शहडोल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 22 से 26 दिसम्बर 2025 तक कुल पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं 20-21 व 27-28 दिसम्बर 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में अकेले भारत भ्रमण पर पुणे, मुम्बई, गोवा की यात्रा पर जाने की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) सुश्री सविता सोहाने, भापुसे की अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल रेन्ज, शहडोल का चालू कार्य श्री रामजी श्रीवास्तव, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला शहडोल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर सुश्री सविता सोहाने, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, सायबर, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) सुश्री सविता सोहाने, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में सुश्री सविता सोहाने, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सविता सोहाने, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं।

क्र.ई एफ-1-1-1-0229-2025-बी-2-दो.- राज्य शासन द्वारा श्री विनीत कपूर, भापुसे, पीएसओ टू डीजीपी, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 26 व 29 से 31 दिसम्बर 2025 तक, कुल चार दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 25 व 27-28 दिसम्बर 2025 के विज्ञप्त, अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण पर गोवा एवं बेंगलोर की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-

- |                        |   |        |
|------------------------|---|--------|
| 1. श्री विनीत कपूर     | — | स्वयं  |
| 2. श्रीमती शालिनी कपूर | — | पत्नी  |
| 3. कु. लावन्या कपूर    | — | पुत्री |
| 4. कु. कायनाथ कपूर     | — | पुत्री |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनीत कपूर, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पीएसओ टू डीजीपी, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री विनीत कपूर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनीत कपूर, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2025

क्र. ई. एफ-1-1-17-0008-2025-बी-2-दो.- राज्य शासन, एतद्वारा श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा एवं समन्वय/कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को मिड-करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम (M.C.T.P.) प्रशिक्षण में पर्यवेक्षक (Menter) नियुक्त किये जाने पर प्रशिक्षण उपरांत दिनांक 22 से 26 दिसम्बर 2025 तक पांच दिवस का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 20-21 व 27-28 दिसम्बर 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में परिवार सहित श्रीलंका की विदेश यात्रा (EX-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा एवं समन्वय/कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

क्र.ई. 1-1-1-0201-2023-B-2-02(HOM).- राज्य शासन द्वारा श्री सुधीर कुमार अग्रवाल, भापुसे (2016) को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 18 से 19 दिसम्बर 2025 तक, कुल दो दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 20-21 दिसम्बर, 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण पर नासिक (महाराष्ट्र) की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है :-

1. श्री सुधीर कुमार अग्रवाल, — स्वयं
2. श्रीमती अमिता — पत्नी
3. श्री क्षितिज — पुत्र

(2) श्री सुधीर कुमार अग्रवाल, भापुसे की अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, जिला श्योपुर का चालू कार्य श्री प्रवीण भूरिया, रापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला श्योपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार अग्रवाल, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, जिला श्योपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सुधीर कुमार अग्रवाल, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार अग्रवाल, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार अग्रवाल, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. ई. 1-1-1-0213-2025-B-2-02(HOM).- राज्य शासन द्वारा श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे (2009) को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 26 दिसम्बर 2025 से 02 जनवरी 2026 तक कुल आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं 03-04 जनवरी 2026 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण पर गोवा की यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-

1. श्री संतोष सिंह गौर, — स्वयं
2. श्रीमती रितु सिंह गौर — पत्नी
3. श्री ज्योतिर्मान सिंह गौर — पुत्र
4. कु. ज्योतसना सिंह गौर — पुत्री

(2) श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे की अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक (महिला सुरक्षा), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य श्री साकेत प्रकाश पाण्डे, भापुसे (2009), उप पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक (महिला सुरक्षा), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. ई.1-1-1-0333-2025-B-2-02(HOM).— राज्य शासन द्वारा स्व. श्री सुशील रंजन सिंह, भापुसे तत्कालीन रोनानी, 9वीं वाहिनी विसबल, रीवा को दिनांक 31 मार्च से 07 अप्रैल 2025 एवं दिनांक 24 से 28 अप्रैल 2025 तक कुल तेरह दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से छब्बीस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में स्व. श्री सुशील रंजन सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

क्र. ई.एफ.1-1-1-0427-2025-ब-2-दो.— राज्य शासन द्वारा श्री निरंजन बी. वायंगणकर, भापुसे (1999), उप पुलिस महानिरीक्षक, सायबर, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 22 से 31 दिसम्बर 2025 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 20-21 दिसम्बर, 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री निरंजन बी. वायंगणकर, भापुसे की अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक, सायबर, पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य श्रीमती प्रांजलि शुक्ला, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (तक.) सायबर, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री निरंजन बी. वायंगणकर, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, सायबर, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री निरंजन बी. वायंगणकर, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री निरंजन बी. वायंगणकर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निरंजन बी. वायंगणकर, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**अन्नू भलावी, अवर सचिव.**

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2025

फा.क्र.-4941-2025-इक्कीस-ब(एक).— राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति राज्य के कुटुम्ब न्यायालयों में उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक करता है :-

| क्र. | न्यायिक अधिकारी का नाम                                                             | नवीन पदस्थापना                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)  | (2)                                                                                | (3)                                                                                         |
| 01   | श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाहा,<br>11वें जिला एवं अतिरिक्त<br>सत्र न्यायाधीश, इन्दौर. | प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय<br>देवास में श्रीमती वंदना जैन के<br>स्थान पर.           |
| 02   | श्रीमती कुमुदनी पटेल,<br>15वें जिला एवं अतिरिक्त<br>सत्र न्यायाधीश, भोपाल          | प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय<br>शाजापुर में श्री अवधेश कुमार<br>(गुप्ता) के स्थान पर. |

(2) उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

Bhopal, the 25<sup>th</sup> December 2025

F.No. 4272/XXI-B(II)/2025.— In supersession of this department's order no- 2094/XXI-B(II)/2024, dated 31<sup>st</sup> July, 2024, the State Government is hereby pleased to appoint Smt. Mrinal Elkar Mazumdar, Advocate Supreme Court of India, New Delhi, Sh. Pashupati Nath Razdan, Advocate Supreme Court of India, New Delhi, Mr. Harmeet Singh Ruprah, Advocate Supreme Court of India, New Delhi and Sh. Yashraj Singh Bundela Advocate Supreme Court of India, New Delhi as Standing counsel for the State of Madhya Pradesh to represent the state in the Supreme Court of India, other Courts, Tribunal and Forums at New Delhi from the date of this order. Their appointment can be terminated by the State Government any time without assigning any reason. Terms and Condition of his appointment shall be as per this department's order no. 1(A)/7/2025/XXI-8 (II), dated 4<sup>th</sup> July, 2012. The expenditure on this account will be debited to Grant 29-2024-Administration of Justice-(114)-Legal Advisors and Counsel (6251)-Fees and other payments to Advocates of the High Court/Supreme Court (31)- payment of Professional Services (003)-Fees to pleader.

फा.क्र. 4271-इकीस-ब(दो).— राज्य शासन, एतद्वारा, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इंदौर/ग्वालियर/नई दिल्ली में निम्नानुसार विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये, जो राज्य शासन द्वारा आगे निरंतर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन, करता है. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा.

महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर  
अतिरिक्त महाधिवक्ता, जबलपुर

| क्र.<br>(1) | नाम<br>(2)                                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | Shri Harpreet Singh Ruprah<br>Enroll. No.—2532/1999<br>(already working)                             |
| 2.          | Shri Nilesh Yadav<br>Enroll. No.—(MP/1950/2002)<br>(already working)                                 |
| 3.          | Smt. Janhvi Pandit<br>Enroll. No.—1387/2005<br>(already working)                                     |
| 4.          | Shri Bramhdatt Singh<br>Enroll. No.—1246/2005<br>(Presently working as Dy. A.G.)                     |
| 5.          | Ms. Manisha T. Karia<br>Enroll. No.—D/412/D/2000<br>(Attached to Delhi)                              |
| 6.          | Shri Sonal Gupta<br>Enroll. No.—MP/590/2011<br>(Already working) (Attached to Indore)                |
| 7.          | Shri Vivek Khedkar<br>Enroll. No.—MP/1666/1991<br>(already working) (Attached to Gwalior)            |
| 8.          | Shri Deependra Singh Kushwah<br>Enroll. No.— MP/2762/2002<br>(already working) (Attached to Gwalior) |

महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर  
उप महाधिवक्ता, जबलपुर

| क्र.<br>(1) | नाम<br>(2)                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.          | Shri Vivek Sharma<br>Enroll. No.— 1746/2006<br>(already working) |

- | (1) | (2)                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.  | Shri Abhijeet Awasthi<br>Enroll. No.—MP/728/2007<br>(already working)                          |
| 3.  | Shri Swapnil Ganguly<br>Enroll. No.—2010/2001<br>(already working)                             |
| 4.  | Ku. Shweta Yadav<br>Enroll. No.—1536/2013<br>(already working)                                 |
| 5.  | Shri Shrey Raj Saxena<br>Enroll. No.—MP/1580/2012<br>(Already working)<br>(Attached to indore) |

महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर  
शासकीय महाधिवक्ता, जबलपुर

- | क्र.<br>(1) | नाम<br>(2)                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | Shri Mukund Agrawal<br>Enroll. No.— MP/2589/1996<br>(Already working)   |
| 2.          | Shri Satyapal Chadar<br>Enroll. No.— MP/1512/2004<br>(Already working)  |
| 3.          | Shri Praveen Namdeo<br>Enroll. No.—MP/1645/2005<br>(Already working)    |
| 4.          | Shri Amit Kumar Pandey<br>Enroll. No.—MP/3457/2003<br>(Already working) |
| 5.          | Shri Vineet Singh<br>Enroll. No.—MP/1928/2014<br>(Already working)      |
| 6.          | Shri Ramji Pandey<br>Enroll. No.—MP/1529/2003<br>(Already working)      |

- | (1) | (2)                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | Shri Yogesh Dhande<br>Enroll. No.—MP/1804/1995<br>(already working)              |
| 8.  | Shri Pramod Kumar Pandey<br>Enroll. No.—MP/2240/2001<br>(already working)        |
| 9.  | Shri Ritwik Parashar<br>Enroll. No.—MP/1540/2012<br>(already working)            |
| 10. | Shri Ved Prakash Tiwari<br>Enroll. No.—MP/3502/2006<br>(already working)         |
| 11. | Shri Rajesh Tiwari<br>Enroll. No.—MP/1197/1997                                   |
| 12. | Shri Santosh Yadav<br>Enroll. No.—MP/958/2007<br>(already working)               |
| 13. | Shri Rakesh Kesharwani<br>Enroll. No.—MP/1805/1998                               |
| 14. | Shri Naveen Ahuja<br>Enroll. No.—MP/2264/2014                                    |
| 15. | Shri Swati Aseem George<br>Enroll. No.—MP/1750/2012                              |
| 16. | Shri Aditya Choubey<br>Enroll. No.—MP/222/1997<br>(already working)              |
| 17. | Shri Beerendra Kumar Upadhyay<br>Enroll. No.—MP/1648/2008<br>(already working)   |
| 18. | Shri Anubhav Jain<br>Enroll. No.—MP/2077/2003<br>(already working)               |
| 19. | Shri Vijayendra Singh Choudhary<br>Enroll. No.—MP/1676/2015<br>(already working) |

| (1) | (2)                                                                          | (1) | (2)                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 20. | Shri Dayaram Vishwakarma<br>Enroll. No.—MP/1575/2001<br>(already working)    | 33. | Shri Rajvardhan Datt Pararha<br>Enroll. No.—MP/2222/2014<br>(already working) |
| 21. | Smt. Samta Jain<br>Enroll. No.—MP/453/2003<br>(already working)              | 34. | Shri Alok Agnihotri<br>Enroll. No.—MP/1839/2013<br>(already working)          |
| 22. | Shri Kamal Singh Baghel<br>Enroll. No.—MP/1279/1994<br>(already working)     | 35. | Shri Achyutendra Singh Baghel<br>Enroll. No.—MP/557/2014<br>(already working) |
| 23. | Shri Sharad Sharma<br>Enroll. No.—MP/1974/2004                               | 36. | Shri Ajay Tamrakar<br>Enroll. No.—MP/134/1988<br>(already working)            |
| 24. | Shri Naveen Thakur<br>Enroll. No.—MP/1550/2012                               | 37. | Shri Piyush Jain<br>Enroll. No.—MP/1759/2006<br>(already working)             |
| 25. | Shri Mukesh Shukla<br>Enroll. No.—MP/3186/1999                               | 38. | Shri Girish Kekre<br>Enroll. No.—MP/2818/1996<br>(already working)            |
| 26. | Shri Pramod Chourasia<br>Enroll. No.—MP/3398/2001                            | 39. | Shri Ajit Kumar Rawat<br>Enroll. No.—MP/175/2007<br>(already working)         |
| 27. | Shri Chandra Mohan Tiwari<br>Enroll. No.—MP/1369/2005<br>(already working)   | 40. | Shri Prabhanshu Shukla<br>Enroll. No.—MP/1265/2011<br>(already working)       |
| 28. | Shri Darshan Soni<br>Enroll. No.—MP/1055/2012<br>(already working)           | 41. | Shri Ajay Ojha<br>Enroll. No.—MP/1819/2000<br>(already working)               |
| 29. | Shri Sumit Raghuvanshi<br>Enroll. No.—MP/2145/2005<br>(already working)      | 42. | Smt. Shikha Sharma<br>Enroll. No.—MP/797/2015<br>(already working)            |
| 30. | Smt. Geeta Yadav<br>Enroll. No.—MP/2990/2002<br>(already working)            | 43. | Shri Hitendra Singh<br>Enroll. No. MP/1469/2003<br>(already working)          |
| 31. | Shri Siddharth Singh Chauhan<br>Enroll. No.—MP/339/2004<br>(already working) | 44. | Shri Dinesh Prasad Patel<br>Enroll. No.—MP/3105/1998<br>(already working)     |
| 32. | Shri Suyash Thakur<br>Enroll. No.—MP/2622/2013<br>(already working)          |     |                                                                               |

- (1) (2)
45. Shri Arvind Singh  
Enroll. No.--MP/842/1999  
(already working)
46. Shri Ajay Shukla  
Enroll. No.--MP/1751/2001  
(already working)
47. Smt. Kanak Gaharwar  
Enroll. No.--MP/2916/2000
48. Shri Chandrakant Mishra  
Enroll. No.--MP/966/1990  
(already working)
49. Shri Manas Mani Verma  
Enroll. No.--MP/2093/2005  
(already working)
50. Shri Abhishek Singh  
Enroll. No.--MP/1233/2008  
(already working)
51. Shri Anshuman Swami  
Enroll. No.--MP/1348/2016  
(already working)
52. Shri Pramod Kumer Choubey  
Enroll. No.--MP/1260/1991  
(already working)
53. Ku. Rashika  
Enroll. No.--R/1538/2021
54. Smt. Priyanka Mishra  
Enroll. No.--MP/2138/2011  
(already working)
55. Ku. Supriya Singh  
Enroll. No.--MP/1191/2014  
(already working)
56. Mr. Surjeet Singh (AoR)  
Enroll. No.--D/2792/2015  
(Attached to Delhi)
57. Mr. Arkaj Kumar  
Enroll. No.--D/5258-D/2019  
(Attached to Delhi)

महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर  
उप शासकीय अधिवक्ता, जबलपुर

- | क्र.<br>(1) | नाम<br>(2)                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | Smt. Ranjana Agnihotri<br>Enroll. No.--3011/2010<br>(already working)     |
| 2.          | Shri Vijay Kumar Pandey<br>Enroll. No.--MP-2941/2005<br>(already working) |
| 3.          | Shri Ravindra Kumar Shukla<br>Enroll. No.--2212/1997<br>(already working) |
| 4.          | Shri Atmaram Ben<br>Enroll. No.--1761/2009<br>(already working)           |
| 5.          | Vineeta Sharma<br>Enroll. No.--MP/2376/2017                               |

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इंदौर  
अतिरिक्त महाधिवक्ता, इंदौर

- | क्र.<br>(1) | नाम<br>(2)                                     |
|-------------|------------------------------------------------|
| 1.          | Shri Rahul Sethi<br>Enroll. No.--MP/1201/2006  |
| 2.          | Shri Ashish Yadav<br>Enroll. No.--MP/1649/2010 |

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इंदौर  
उप महाधिवक्ता, इंदौर

- | क्र.<br>(1) | नाम<br>(2)                                                             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | Shri Kushal Goyal<br>Enroll. No.--MP/1253/2014<br>(Already working)    |
| 2.          | Shri Sudeep Bhargawa<br>Enroll. No.--MP/1172/2011<br>(Already working) |

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इंदौर  
शासकीय अधिवक्ता, इंदौर

| क्र.<br>(1) | नाम<br>(2)                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | Shri Jay Gopal Chouksey<br>Enroll. No.—MP/595/2018                             |
| 2.          | Drishti Rawal<br>Enroll. No.—MP/1254/2018                                      |
| 3.          | Shri Pradyumna Kibe<br>Enroll. No.—MP/1161/2018                                |
| 4.          | Shri Bhaskar Agrawal<br>Enroll. No.—MP/2479/2008                               |
| 5.          | Shri Prashant Jain<br>Enroll. No.—MP/221/2008                                  |
| 6.          | Shri Anshul Rajpurohit<br>Enroll. No.—MP/1207/2015                             |
| 7.          | Shri Hemant Kumar Sharma<br>Enroll. No.—MP/2358/2010<br>(Already working)      |
| 8.          | Shri Aditya Garg<br>Enroll. No.—MP/1367/2006                                   |
| 9.          | Shri Manish Kumar Sankhala<br>Enroll. No.—MP/3297/1998                         |
| 10.         | Swati Okhale<br>Enroll. No.—MP/608/1993                                        |
| 11.         | Shri Rajendra Singh Suryavanshi<br>Enroll. No.—MP/91/2009<br>(Already working) |
| 12.         | Shri Romil Verma<br>Enroll. No.—MP/503/2016                                    |
| 13.         | Shri Harish Singh Rathore<br>Enroll. No.—MP/1308/1992<br>(Already working)     |
| 14.         | Shri Tarun Pagare<br>Enroll. No.—MP/2598/2013<br>(Already working)             |

| क्र.<br>(1) | नाम<br>(2)                                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.         | Shri Gaurav Rawat<br>Enroll. No.—MP/1695/2015                                                |
| 16.         | Shri Rahul Solanki<br>Enroll. No.—MP/1157/2012                                               |
| 17.         | Usha Chauhan<br>Enroll. No.—MP/2435/2001                                                     |
| 18.         | Shri Rajwardhan Gawde<br>Enroll. No.—MP/1571/2016<br>(Already working)                       |
| 19.         | Shri Amit Bhatia<br>Enroll. No.—MP/651/2011                                                  |
| 20.         | Shri Ayushyaman Choudhary<br>Enroll. No.—MP/1032/2012                                        |
| 21.         | Shri Surendra Kumar Gupta<br>Enroll. No.—MP/1891/1999<br>(Already working)                   |
| 22.         | Shri Dinesh Singh Chouhan<br>Enroll. No.—MP/1639/2011                                        |
| 23.         | Bhagyashree Gupta<br>Enroll. No.—MP/3527/2006<br>(Already working)                           |
| 24.         | Shri Gajendra Singh Dodiya<br>Enroll. No.—MP/598/2015                                        |
| 25.         | Shri Ambuj Patel<br>Enroll. No.—MP/1292/2015                                                 |
| 26.         | Shri Sunil Kapoor<br>Enroll. No.—MP/1516/2016                                                |
| 27.         | Shri Viraj Godha<br>Enroll. No.—MP/1222/2014                                                 |
| 28.         | Mr. Abhimanyu Singh<br>Enroll. No.—MP/4413/2010<br>(already working) (Attached to Delhi)     |
| 29.         | Mr. Aditya Vaibhav Singh<br>Enroll. No.—D/1057/2016<br>(already working) (Attached to Delhi) |

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इंदौर  
उप शासकीय अधिवक्ता, इंदौर

| क्र.<br>(1) | नाम<br>(2)                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | Shri Surendra Pal Singh Alawa<br>Enroll. No.—MP/1246/2016                 |
| 2.          | Shri Vijay Nagpal<br>Enroll. No.—MP/09/2020                               |
| 3.          | Shri Kushagra Singh<br>Enroll. No.—D/2178/2020                            |
| 4.          | Smt. Pranjali Yajurvedi<br>Enroll. No.—MP/1767/2017                       |
| 5.          | Shri Anoop Sonkar<br>Enroll. No.—MP/903/2006<br>(Attached to Jabalpur)    |
| 6.          | Smt. Aishwarya Singh<br>Enroll. No.—MP/760/2016<br>(Attached to Jabalpur) |

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर  
अतिरिक्त महाधिवक्ता, ग्वालियर

| क्र.<br>(1) | नाम<br>(2)                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.          | Shri Rajesh Kumar Shukla<br>Enroll. No.—MP/1939/1996               |
| 2.          | Shri Rohit Mishra<br>Enroll. No.—MP/2856/2009<br>(already working) |
| 3.          | Shri Ankur Mody<br>Enroll. No.—2530/2000<br>(already working)      |

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर  
उप महाधिवक्ता, ग्वालियर

| क्र.<br>(1) | नाम<br>(2)                                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | Shri Rajendra Singh Yadav<br>Enroll. No.—MP/3564/2003                                  |
| 2.          | Shri Yash Soni<br>Enroll. No.—1194/2011<br>(already working)<br>(Attached to Jabalpur) |

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर  
शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर

| क्र.<br>(1) | नाम<br>(2)                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | Shri Giriraj Kishore Agarwal<br>Enroll. No.—MP/3029/2004<br>(already working)  |
| 2.          | Shri Ravindra Dixit<br>Enroll. No.—MP/1521/2005<br>(already working)           |
| 3.          | Shri Brij Mohan Patel<br>Enroll. No.—MP/556/2007<br>(already working)          |
| 4.          | Shri Shailendra Singh Kushwah<br>Enroll. No.—MP/1339/2004<br>(already working) |
| 5.          | Shri Kaushlendra Singh Tomar<br>Enroll. No.—MP/3618/2005<br>(already working)  |
| 6.          | Shri Dinesh Savita<br>Enroll. No.—MP/3538/2004<br>(already working)            |
| 7.          | Shri Yogesh Kumar Parashar<br>Enroll. No.—MP/1983/2001<br>(already working)    |

| क्र.<br>(1) | नाम<br>(2)                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 8.          | Shri Sohit Mishra<br>Enroll. No.—MP/1671/2011<br>(already working)              |
| 9.          | Shri Sanjay Singh Kushwaha<br>Enroll. No.—MP/1508/2005<br>(already working)     |
| 10.         | Shri Mohit Shivhare<br>Enroll. No.—MP/695/2014<br>(already working)             |
| 11.         | Shri Dileep Kumar Awasthi<br>Enroll. No.—MP/762/1992<br>(already working)       |
| 12.         | Shri Rinkesh Goyal<br>Enroll. No.—MP/3910/2004                                  |
| 13.         | Smt. Kalpana Parmar<br>Enroll. No.—MP/1703/2013                                 |
| 14.         | Smt. Monika Mishra<br>Enroll. No.—MP/4535/2010                                  |
| 15.         | Shri Chandra Pratap Singh Kushwah<br>Enroll. No.—MP/106/2002                    |
| 16.         | Shri Vikram Pippal<br>Enroll. No.—MP/494/2017                                   |
| 17.         | Shri Dharmendra Nayak<br>Enroll. No.—MP/3321/2002                               |
| 18.         | Shri Manish Saxena<br>Enroll. No.—MP/2226/2006                                  |
| 19.         | Shri Kamal Prajapati<br>Enroll. No.—MP/1810/2012<br>(already working)           |
| 20.         | Shri Satendra Singh Sikarwar<br>Enroll. No.—MP/2802/2003                        |
| 21.         | Shri Prabhat Pateriya<br>Enroll. No.—MP/179/2010<br>(already working as Dy. GA) |

| क्र.<br>(1) | नाम<br>(2)                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.         | Shri Anil Babu Mangal<br>Enroll. No.—MP/293/2004                                           |
| 23.         | Shri Atul Kumar Sharma<br>Enroll. No.—MP/1753/2010                                         |
| 24.         | Shri Brajesh Kumar Tyagi<br>Enroll. No.—MP/1087/2014                                       |
| 25.         | Dr. Anjali Gyanani<br>Enroll. No.—MP/3723/2005<br>(already working)                        |
| 26.         | Shri Rajendra Jain<br>Enroll. No.—MP/615/1987                                              |
| 27.         | Shri Shiraz Qureshi<br>Enroll. No.—MP/1599/1995                                            |
| 28.         | Mr. Sarthak Raijada<br>Enroll. No.—D/2578/2017<br>(already working)<br>(Attached to Delhi) |

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर

उप शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर

| क्र.<br>(1) | नाम<br>(2)                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.          | Shri Harish Sharma<br>Enroll. No.—MP/387/2013<br>(already working)  |
| 2.          | Shri Samar Ghuraiya<br>Enroll. No.—MP/291/2012<br>(already working) |
| 3.          | Shri Anurag Sharma<br>Enroll. No.—MP/1359/2010<br>(already working) |
| 4.          | Smt. Smriti Sharma<br>Enroll. No.—MP/1881/2017                      |

**अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, नई दिल्ली**  
**अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली**

| क्र.<br>(1) | नाम<br>(2)                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | Mr. Dharendra Singh Parmar<br>Enroll. No.-MP/1367/2005<br>(already working) |
| 2.          | Mr. Sridhar Potaraju<br>Enroll. No.-D/807/1997(R)                           |
| 3.          | Mr. Joydip Roy<br>Enroll. No.-WB/891/2003<br>(already working)              |
| 4.          | Mr. Amit Sharma<br>Enroll. No.-D/1212/2013<br>(already working)             |
| 5.          | Mr. Bharat Singh<br>Enroll. No.-D/1882/1999<br>(already working)            |

**अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, नई दिल्ली**  
**उप महाधिवक्ता, नई दिल्ली**

| क्र.<br>(1) | नाम<br>(2)                                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | Mr. Bhupendra Pratap Singh<br>Enroll. No.-UP/8661/2019<br>Old No.-D/902-R/1997<br>(already working) |
| 2.          | Mr. V.V.V.M.B.N.S. Pattabhiram<br>Enroll. No.-AP/1788/2001<br>(already working)                     |
| 3.          | Mr. Rudraditya Khare<br>Enroll. No.-D/6377/2017                                                     |
| 4.          | Shri Veer Vikrant Singh<br>Enroll. No.-MP/2156/2011<br>(already working)<br>(Attached to Jabalpur)  |

**अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, नई दिल्ली**  
**शासकीय अधिवक्ता, नई दिल्ली**

| क्र.<br>(1) | नाम<br>(2)                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 1.          | Mr. Rajan Kumar Chourasia<br>Enroll. No.-D/851-R/1998 |

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

**नोट :-** उपरोक्त विधि अधिकारी जिस कार्यक्षेत्र के लिए नियुक्त किए गए हैं, वे उसी कार्यक्षेत्र में शासन का पक्ष रखेंगे, कोई भी विधि अधिकारी महाधिवक्ता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना अपने कार्यक्षेत्र को छोड़कर अन्य कार्यक्षेत्र का कार्य करने नहीं जायेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**मुकेश कुमार, सचिव.**

**नगरीय विकास एवं आवास विभाग**

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2026

क्र.यूडीएच-3-0320-2025-अठारह-5.-- मध्यप्रदेश शासन नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1293-F-1-42-तैंतीस-74, भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 1974 द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 13(1) क के अंतर्गत रीवा निवेश क्षेत्र का गठन किया गया था, उक्त निवेश क्षेत्र की सीमा को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13(2) में निम्नानुसार पुनरीक्षित किया जाता है। वृद्धित निवेश क्षेत्र की सीमाएँ निम्न अनुसूची में दर्शायी गई है :-

**अनुसूची**

**रीवा निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमायें**

1. उत्तर में :- पैपखरा, लपटा, बहुरीबाध, खमरिया, माढाचक-2, सहिजना, टिकुरी, गगहरा, सगरा, पड्डिया(365), शिवपुरवा, खीरा, महसुआ, रायपुर की पूर्वी सीमा तक.
2. पूर्व में :- रायपुर, भलुहा, रामनई, चौडियार, महसाव, रीठी, उमरी (अवधेशपुर), लक्ष्मणपुर की दक्षिणी सीमा तक.
3. दक्षिण में :- लक्ष्मणपुर, खौर भटलों, पडोखर, अमरीठी, डोमा, देवरा, खौरा की पश्चिमी सीमा तक.
4. पश्चिम में :- खैरा, रघुनाथपुर, चोरहटी, उमरी, दुबहाई, महिडाल, कपुरी, करहिया, तिघरा, धौचट, जुडमनिया, कुल्लू, पैपखरा की उत्तरी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**सुप्रिया पेंडके, अवर सचिव.**

कार्यालय कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 24 दिसम्बर 2025

(प्रारूप -क)

#### नियम 4 देखिए

क्र.-184-भू-अर्जन-2025.-राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथास्थिति सम्बद्धित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए समाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है. अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम, 2013 (क्रमांक. 30) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा :-

- |   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | परियोजना विकासक का नाम                                                           | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग जबलपुर                                                                                                                                                                               |
| 2 | भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन                                              | जलमग्नीय पुल एवं पहुंचमार्ग के निर्माण हेतु                                                                                                                                                                                                  |
| 3 | अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के सदस्यों का विवरण | 1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घुघरी, जिला मण्डला<br>2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, मोहगांव, जिला मण्डला<br>3. कृषि विस्तार अधिकारी, मोहगांव, जिला मण्डला<br>4. राजस्व निरीक्षक मण्डल, मोहगांव, प.ह.न 27<br>5. सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत, देवगांव |
| 4 | भूमि का विवरण :-                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | क. जिला                                                                          | मण्डला                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | ख. तहसील                                                                         | घुघरी                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | ग. ग्राम/नगर                                                                     | देवगांव                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | घ. प्रभावित खसरा नं.                                                             | 442, 444, 439 व 407                                                                                                                                                                                                                          |
|   | ड. कुल प्रभावित क्षेत्र                                                          | कुल रकबा 1.508 हेक्टेयर                                                                                                                                                                                                                      |
|   | ट. अर्जित होने वाला क्षेत्र                                                      | 1.508 हेक्टेयर.                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 | प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण                                           | देवगांव-कुड़ोपानी मार्ग में बुढ़नेर नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुंचमार्ग के निर्माण हेतु                                                                                                                                                       |
| 6 | परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र                                             | ग्राम-देवगांव                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 | क्या ग्राम सभा और/या भूमि धारकों की सहमति आपेक्षित है.                           | ग्राम सभा की सहमति है.                                                                                                                                                                                                                       |
| 8 | समाजिक समाघात निर्धारण किये जाने की तारीख.                                       | अधिसूचना प्रकाशन होने के 06 माह के भीतर.                                                                                                                                                                                                     |

2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घुघरी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मण्डला में किया जा सकता है.

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग जबलपुर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सोमेश मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

### विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 31 दिसम्बर 2025

#### भू-सर्वेक्षण का आरंभ

क्र.1606-भू-सर्वेक्षण-2025.-मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 को नियम 10 के साथ गठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश, एतद्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

#### "अनुसूची"

| सरल<br>क्रमांक | जिला  | तहसील   | ग्राम/नगर | मजरा टोला का<br>नाम | पटवारी हल्का<br>क्रमांक/सेक्टर<br>क्रमांक | भू-सर्वेक्षण<br>अधीन लिए<br>गए क्षेत्र |
|----------------|-------|---------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| (1)            | (2)   | (3)     | (4)       | (5)                 | (6)                                       | (7)                                    |
| 1.             | झाबुआ | पेटलावद | मोहनपुरा  | बडी हथनीपाडा        | 30                                        | ग्राम का                               |
| 2.             |       |         | सेमलिया   | काकडपाडा            | 73                                        | संपूर्ण क्षेत्र                        |
| 3.             |       |         | मोरझरी    | गोमलीसात            | 105                                       | (आबादी को                              |
| 4.             |       |         | परवाडा    | भेरुपाडा            | 70                                        | छोड़कर).                               |
| 5.             |       |         |           | करंजपाडा            | 71                                        |                                        |
| 6.             |       |         | रन्नी     | संगतबडी             | 71                                        |                                        |
| 7.             |       |         |           | कलाल्याखारी         | 71                                        |                                        |
| 8.             |       | थांदला  |           | कदवाली              | 69                                        |                                        |
| 9.             |       |         | मादलदा    | नगारी               | 69                                        |                                        |
| 10.            |       |         |           | ईटानखेडा            | 69                                        |                                        |
| 11.            |       |         | भामल      | बडलीपाडा            | 82                                        |                                        |
| 12.            |       |         |           | रुपापाडा            | 82                                        |                                        |
| 13.            |       |         | नारेला    | बिजनीपाडा           | 78                                        |                                        |
| 14.            |       |         | तलावडा    | गडी फलिया           | 53                                        |                                        |

#### Commencement of Land Survey

No.1606-Land Survey-2025.-In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No.20 of 1959) read with Rule 10 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sahita (Bhu-sarvekshan Tatha Bhu-abhilekh) Niyam, 2020, the Commissioner, Land Record, Madhya Pradesh, hereby, notifies that areas mentioned in column (6) of the Scheduled below have been taken under land survey :-

#### SCHEDULE

| S.<br>No. | District | Tehsil   | Village<br>Name | Majra Tola<br>Name | Patwari<br>Halka<br>No./Sector<br>No. | Area taken<br>under Land<br>Survey |
|-----------|----------|----------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| (1)       | (2)      | (3)      | (4)             | (5)                | (6)                                   | (7)                                |
| 1.        | Jhabua   | Petlawad | Mohanpura       | Badi Hathani Pada  | 30                                    | Total area of                      |
| 2.        |          |          | Semllya         | Kakadpada          | 73                                    | village (Excluding<br>population). |

| (1) | (2)    | (3)     | (4)      | (5)          | (6) | (7)                                           |
|-----|--------|---------|----------|--------------|-----|-----------------------------------------------|
| 3.  | Jhabua | Thandla | Morjhari | Gomalisaat   | 105 | Total area of village (Excluding population). |
| 4.  |        |         | Parwada  | Bherupada    | 70  |                                               |
| 5.  |        |         |          | Karanjpada   | 71  |                                               |
| 6.  |        |         | Ranni    | Sangatbadi   | 71  |                                               |
| 7.  |        |         |          | Kalalyakhari | 71  |                                               |
| 8.  |        |         |          | Kadwali      | 69  |                                               |
| 9.  |        |         | Madalda  | Nagari       | 69  |                                               |
| 10. |        |         |          | Itankheda    | 69  |                                               |
| 11. |        |         | Blamal   | Badlipada    | 82  |                                               |
| 12. |        |         |          | Rupapada     | 82  |                                               |
| 13. |        |         | Narela   | Bijnipada    | 78  |                                               |
| 14. |        |         | Talavada | Gadi Faliya  | 53  |                                               |

## परिशिष्ट-6

प्रारूप-बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

क्र.1608-भू-सर्वेक्षण-2020.-विभागीय अधिसूचना क्र. एफ 15-39-2013-सात-शाखा-6, दिनांक 06 अक्टूबर 2022 को निरस्त करते हुए, विभागीय अधिसूचना क्र. एफ-क्र. 15-39-2013-सात-शाखा-7, भोपाल, दिनांक 26 जून 2013 को पुनः प्रभावी की जाती है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश, एतद्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

## अनुसूची

| सरल क्रमांक | जिला  | तहसील | ग्राम/नगर                                                  | पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक | भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र            |
|-------------|-------|-------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| (1)         | (2)   | (3)   | (4)                                                        | (5)                                 | (6)                                            |
| 1.          | पन्ना | पन्ना | मूल ग्राम-इटवांकला<br>मजरा ग्राम- डोभा<br>मजरा ग्राम-मडैयन | 04                                  | ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र<br>(आबादी को छोड़कर) |
| 2.          | पन्ना | पन्ना | मूल ग्राम-तिलगवां<br>मजरा ग्राम-कटरा                       | 25                                  | ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र<br>(आबादी को छोड़कर) |
| 3.          | पन्ना | पन्ना | मूल ग्राम-अहिरगंवा मजरा<br>ग्राम-अहिरगंवा कैम्प            | 29                                  | ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र<br>(आबादी को छोड़कर) |

| (1) | (2)   | (3)          | (4)                                        | (5) | (6)                                            |
|-----|-------|--------------|--------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| 4.  | पन्ना | शाहनगर       | मूल ग्राम—शाहनगर<br>मजरा ग्राम—धरमपुरा     | 25  | ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र<br>(आबादी को छोड़कर) |
| 5.  | पन्ना | शाहनगर       | मूल ग्राम—लमतारा<br>मजरा ग्राम—झिन्ना      | 18  | ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र<br>(आबादी को छोड़कर) |
| 6.  | पन्ना | शाहनगर       | मूल ग्राम—लुधगवां<br>मजरा ग्राम—कारी पतेरी | 28  | ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र<br>(आबादी को छोड़कर) |
| 7.  | पन्ना | पवई          | मूल ग्राम—सिमरा खुर्द<br>मजरा ग्राम—टिकुरी | 02  | ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र<br>(आबादी को छोड़कर) |
| 8.  | पन्ना | पवई          | मूल ग्राम—खम्हरिया<br>मजरा ग्राम—महेडा     | 09  | ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र<br>(आबादी को छोड़कर) |
| 9.  | पन्ना | पवई          | मूल ग्राम—खरमोरा<br>मजरा ग्राम—चहली        | 23  | ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र<br>(आबादी को छोड़कर) |
| 10. | पन्ना | पवई          | मूल ग्राम—महोड़<br>मजरा ग्राम—महोड़कला     | 05  | ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र<br>(आबादी को छोड़कर) |
| 11. | पन्ना | देवेन्द्रनगर | मूल ग्राम—सिलगी<br>मजरा ग्राम—ककरहा        | 33  | ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र<br>(आबादी को छोड़कर) |
| 12. | पन्ना | देवेन्द्रनगर | मूल ग्राम—जमुनहाईकलां<br>मजरा ग्राम—बरचुवा | 01  | ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र<br>(आबादी को छोड़कर) |
| 13. | पन्ना | देवेन्द्रनगर | मूल ग्राम—राजापुर<br>मजरा ग्राम—दौवन टोला  | 20  | ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र<br>(आबादी को छोड़कर) |
| 14. | पन्ना | देवेन्द्रनगर | मूल ग्राम—भिलसांय<br>मजरा ग्राम—मझगांवा    | 25  | ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र<br>(आबादी को छोड़कर) |
| 15. | पन्ना | गुनौर        | मूल ग्राम—कचनारा<br>मजरा ग्राम—जोधनटोला    | 29  | ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र<br>(आबादी को छोड़कर) |
| 16. | पन्ना | गुनौर        | मूल ग्राम—धरवारा<br>मजरा ग्राम—भगेपुर      | 53  | ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र<br>(आबादी को छोड़कर) |
| 17. | पन्ना | गुनौर        | मूल ग्राम—घाटसिमरिया<br>मजरा ग्राम—तालगांय | 22  | ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र<br>(आबादी को छोड़कर) |
| 18. | पन्ना | गुनौर        | मूल ग्राम—बिल्हा<br>मजरा ग्राम—हनुमतपुरा   | 13  | ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र<br>(आबादी को छोड़कर) |

| (1) | (2)   | (3)     | (4)                                         | (5) | (6)                                            |
|-----|-------|---------|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| 19. | पन्ना | गुनौर   | मूल ग्राम—बंघौरा<br>मजरा ग्राम—पथरहा        | 30  | ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र<br>(आबादी को छोड़कर) |
| 20. | पन्ना | गुनौर   | मूल ग्राम—तिदुनहाई<br>मजरा ग्राम—साहूपुरा   | 39  | ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र<br>(आबादी को छोड़कर) |
| 21. | पन्ना | अजयगढ़  | मूल ग्राम—राजापुर<br>मजरा ग्राम—भवानीपुर    | 40  | ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र<br>(आबादी को छोड़कर) |
| 22. | पन्ना | अजयगढ़  | मूल ग्राम—खरौनी<br>मजरा ग्राम—खरौनी पुरवा   | 43  | ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र<br>(आबादी को छोड़कर) |
| 23. | पन्ना | अजयगढ़  | मूल ग्राम—जिगनी<br>मजरा ग्राम—बल्दुपुरवा    | 42  | ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र<br>(आबादी को छोड़कर) |
| 24. | पन्ना | अजयगढ़  | मूल ग्राम—उदयपुर<br>मजरा ग्राम—ढगरी         | 29  | ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र<br>(आबादी को छोड़कर) |
| 25. | पन्ना | अजयगढ़  | मूल ग्राम—सहपुरा<br>मजरा ग्राम—गुरदीन पुरवा | 36  | ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र<br>(आबादी को छोड़कर) |
| 26. | पन्ना | अजयगढ़  | मूल ग्राम—बरकोला<br>मजरा ग्राम—रामपुर खोड़ा | 28  | ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र<br>(आबादी को छोड़कर) |
| 27. | पन्ना | अजयगढ़  | मूल ग्राम—मोहना<br>मजरा ग्राम—निम्हा        | 14  | ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र<br>(आबादी को छोड़कर) |
| 28. | पन्ना | अमानगंज | मूल ग्राम—जसवंतपुरा<br>मजरा ग्राम—तिघरा     | 21  | ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र<br>(आबादी को छोड़कर) |
| 29. | पन्ना | अमानगंज | मूल ग्राम—तारा<br>मजरा ग्राम—शंकरपुरा       | 24  | ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र<br>(आबादी को छोड़कर) |
| 30. | पन्ना | अमानगंज | मूल ग्राम—रैगुवां<br>मजरा ग्राम—भोइपुरा     | 05  | ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र<br>(आबादी को छोड़कर) |
| 31. | पन्ना | अमानगंज | मूल ग्राम—कोट<br>मजरा ग्राम—बिल्हाई         | 46  | ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र<br>(आबादी को छोड़कर) |
| 32. | पन्ना | अमानगंज | मूल ग्राम—बम्हौरी<br>मजरा ग्राम—मडैयन       | 39  | ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र<br>(आबादी को छोड़कर) |
| 33. | पन्ना | अमानगंज | मूल ग्राम—टौराह<br>मजरा ग्राम—पुरवा         | 33  | ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र<br>(आबादी को छोड़कर) |

Annexure-6  
Format-Twelve  
(See Rule 10)

**Madhya Pradesh Land Revenue Code (Land Survey and Land Records) Rules, 2020**  
**Start of land survey**

Sr.-Land-Survey-2020.-While cancelling the Departmental Notification No.-F 15-39-2013-seven-Branch-6, dated 06 October 2022, the Departmental Notification No. F-No. 15-39-2013-seven-Branch-7 Bhopal dated 26-06-2013 is re-enacted, in exercise of the powers conferred by Section 64 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) read with Rule 10 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Bhoomi Survey and Land Records) Rules, 2020, the Commissioner, Land Records, Madhya Pradesh hereby notifies that the areas described in column (6) of the below given Schedule have been taken under land survey :-

| Sr. | District | Tehsil        | Village                                                                 | P.H.N. | Areas taken under land survey        |
|-----|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| (1) | (2)      | (3)           | (4)                                                                     | (5)    | (6)                                  |
| 1   | Panna    | Panna         | Mool Village-Itwankala<br>Majra Village-Dobha<br>Majra Village-Madaiyan | 04     | Village Total Area<br>(Except Abadi) |
| 2   | Panna    | Panna         | Mool Village-Tilgawan<br>Majra Village-Katra                            | 25     | Village Total Area<br>(Except Abadi) |
| 3   | Panna    | Panna         | Mool Village-Ahirganwa<br>Majra Village-Ahirganwa Camp                  | 29     | Village Total Area<br>(Except Abadi) |
| 4   | Panna    | Shahnagar     | Mool Village-Shahnagar<br>Majra Village-Dharampura                      | 25     | Village Total Area<br>(Except Abadi) |
| 5   | Panna    | Shahnagar     | Mool Village-Lamtara<br>Majra Village-Jhinna                            | 18     | Village Total Area<br>(Except Abadi) |
| 6   | Panna    | Shahnagar     | Mool Village-Ludhgawan<br>Majra Village-Kari Pateri                     | 28     | Village Total Area<br>(Except Abadi) |
| 7   | Panna    | Pawai         | Mool Village-Simra Khurd<br>Majra Village-Tikuri                        | 02     | Village Total Area<br>(Except Abadi) |
| 8   | Panna    | Pawai         | Mool Village-Khamharia<br>Majra Village-Maheda                          | 09     | Village Total Area<br>(Except Abadi) |
| 9   | Panna    | Pawai         | Mool Village-Kharmora<br>Majra Village-Chahali                          | 23     | Village Total Area<br>(Except Abadi) |
| 10  | Panna    | Pawai         | Mool Village-Mahod<br>Majra Village-Mahodkala                           | 05     | Village Total Area<br>(Except Abadi) |
| 11  | Panna    | Devendranagar | Mool Village-Silgi<br>Majra Village-Kakraha                             | 33     | Village Total Area<br>(Except Abadi) |
| 12  | Panna    | Devendranagar | Mool Village-Jamunhai Kalan<br>Majra Village-Barchuwa                   | 01     | Village Total Area<br>(Except Abadi) |

| (1) | (2)   | (3)           | (4)                                                   | (5) | (6)                                  |
|-----|-------|---------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| 13  | Panna | Devendranagar | Mool Village—Rajapur<br>Majra Village—Dauwan Tola     | 20  | Village Total Area<br>(Except Abadi) |
| 14  | Panna | Devendranagar | Mool Village—Bhilsay<br>Majra Village—Majhgawan       | 25  | Village Total Area<br>(Except Abadi) |
| 15  | Panna | Gunnor        | Mool Village—Kachnara<br>Majra Village—Jodhantola     | 29  | Village Total Area<br>(Except Abadi) |
| 16  | Panna | Gunnor        | Mool Village—Dharwara<br>Majra Village—Bhagepur       | 53  | Village Total Area<br>(Except Abadi) |
| 17  | Panna | Gunnor        | Mool Village—Ghatsimariya<br>Majra Village—Talgaon    | 22  | Village Total Area<br>(Except Abadi) |
| 18  | Panna | Gunnor        | Mool Village—Vilaha<br>Majra Village—Hanumatpura      | 13  | Village Total Area<br>(Except Abadi) |
| 19  | Panna | Gunnor        | Mool Village—Bandhora<br>Majra Village—Pathraha       | 30  | Village Total Area<br>(Except Abadi) |
| 20  | Panna | Gunnor        | Mool Village—Tidunahai<br>Majra Village—Sahupura      | 39  | Village Total Area<br>(Except Abadi) |
| 21  | Panna | Ajaygarh      | Mool Village—Rajapur<br>Majra Village—Bhawanipur      | 40  | Village Total Area<br>(Except Abadi) |
| 22  | Panna | Ajaygarh      | Mool Village—Kharauni<br>Majra Village—Kharauni Purva | 43  | Village Total Area<br>(Except Abadi) |
| 23  | Panna | Ajaygarh      | Mool Village—Jigni<br>Majra Village—Baldupurva        | 42  | Village Total Area<br>(Except Abadi) |
| 24  | Panna | Ajaygarh      | Mool Village—Udaipur<br>Majra Village—Dhagri          | 29  | Village Total Area<br>(Except Abadi) |
| 25  | Panna | Ajaygarh      | Mool Village—Sahpura<br>Majra Village—Gurdin Purva    | 36  | Village Total Area<br>(Except Abadi) |
| 26  | Panna | Ajaygarh      | Mool Village—Barkola<br>Majra Village—Rampur Khoda    | 28  | Village Total Area<br>(Except Abadi) |
| 27  | Panna | Ajaygarh      | Mool Village—Mohana<br>Majra Village—Nimha            | 14  | Village Total Area<br>(Except Abadi) |
| 28  | Panna | Amanganj      | Mool Village—Jaswantpura<br>Majra Village—Tighra      | 21  | Village Total Area<br>(Except Abadi) |
| 29  | Panna | Amanganj      | Mool Village—Tara<br>Majra Village—Shankarpura        | 24  | Village Total Area<br>(Except Abadi) |
| 30  | Panna | Amanganj      | Mool Village—Raiguwan<br>Majra Village—Bhoipura       | 05  | Village Total Area<br>(Except Abadi) |
| 31  | Panna | Amanganj      | Mool Village—Kot<br>Majra Village—Vilhai              | 46  | Village Total Area<br>(Except Abadi) |
| 32  | Panna | Amanganj      | Mool Village—Bamhori<br>Majra Village—Madaiyan        | 39  | Village Total Area<br>(Except Abadi) |
| 33  | Panna | Amanganj      | Mool Village—Taurah<br>Majra Village—Purva            | 33  | Village Total Area<br>(Except Abadi) |

अनुभा श्रीवास्तव, आयुक्त.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**  
रीवा, दिनांक 22 दिसम्बर 2025

प.क्र.-859-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

**अनुसूची**

| भूमि का विवरण |        |       |                         | धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी                                       | सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण                                              |
|---------------|--------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे.में) |                                                                                   |                                                                         |
| (1)           | (2)    | (3)   | (4)                     | (5)                                                                               | (6)                                                                     |
| रीवा          | सिरमौर | कैथा  | 0.007                   | कार्यपालन यंत्री,<br>नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई<br>परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र.). | डी.बी. निर्माण हेतु<br>(नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव<br>सिंचाई परियोजना अंतर्गत) |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प.क्र.-860-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

**अनुसूची**

| भूमि का विवरण |        |          |                         | धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी                                       | सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण                                              |
|---------------|--------|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | ग्राम    | लगभग क्षेत्रफल (हे.में) |                                                                                   |                                                                         |
| (1)           | (2)    | (3)      | (4)                     | (5)                                                                               | (6)                                                                     |
| रीवा          | सिरमौर | भौखरीकला | 0.004                   | कार्यपालन यंत्री,<br>नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई<br>परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र.). | डी.बी. निर्माण हेतु<br>(नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव<br>सिंचाई परियोजना अंतर्गत) |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प.क्र.-861-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |        |        |                         | धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी                                    | सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण                                           |
|---------------|--------|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | ग्राम  | लगभग क्षेत्रफल (हे.में) |                                                                                |                                                                      |
| (1)           | (2)    | (3)    | (4)                     | (5)                                                                            | (6)                                                                  |
| रीवा          | सिरमौर | तुर्का | 0.003                   | कार्यपालन यंत्री,<br>नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र.). | डी.बी. निर्माण हेतु<br>(नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत) |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प.क्र.-862-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |        |       |                         | धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी               | सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण |
|---------------|--------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| जिला          | तहसील  | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे.में) |                                                           |                            |
| (1)           | (2)    | (3)   | (4)                     | (5)                                                       | (6)                        |
| रीवा          | त्योथर | कटरा  | 0.003                   | कार्यपालन यंत्री,<br>नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना. | डी.बी. निर्माण हेतु        |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प.क्र.-863-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |        |       |                         | धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी               | सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण |
|---------------|--------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| जिला          | तहसील  | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे.में) |                                                           |                            |
| (1)           | (2)    | (3)   | (4)                     | (5)                                                       | (6)                        |
| रीवा          | त्योथर | धूमा  | 0.006                   | कार्यपालन यंत्री,<br>नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना. | डी.बी. निर्माण हेतु        |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प.क्र.-864-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |        |          |                         | धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी               | सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण |
|---------------|--------|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| जिला          | तहसील  | ग्राम    | लगभग क्षेत्रफल (हे.में) |                                                           |                            |
| (1)           | (2)    | (3)      | (4)                     | (5)                                                       | (6)                        |
| रीवा          | त्योथर | जमुई कला | 0.008                   | कार्यपालन यंत्री,<br>नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना. | डी.बी. निर्माण हेतु        |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प.क्र.-865-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |         |       |                         | धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी               | सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण |
|---------------|---------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| जिला          | तहसील   | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे.में) |                                                           |                            |
| (1)           | (2)     | (3)   | (4)                     | (5)                                                       | (6)                        |
| रीवा          | त्योंथर | बरहट  | 0.010                   | कार्यपालन यंत्री,<br>नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना. | डी.बी. निर्माण हेतु        |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प.क्र.-866-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |         |       |                         | धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी               | सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण |
|---------------|---------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| जिला          | तहसील   | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे.में) |                                                           |                            |
| (1)           | (2)     | (3)   | (4)                     | (5)                                                       | (6)                        |
| रीवा          | त्योंथर | देउर  | 0.012                   | कार्यपालन यंत्री,<br>नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना. | डी.बी. निर्माण हेतु        |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.-867-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |         |                |                         | धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी                  | सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण |
|---------------|---------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| जिला          | तहसील   | ग्राम          | लगभग क्षेत्रफल (हे.में) |                                                              |                            |
| (1)           | (2)     | (3)            | (4)                     | (5)                                                          | (6)                        |
| रीवा          | त्योंथर | दुबगवां<br>264 | 0.001                   | कार्यपालन यंत्री,<br>नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई<br>परियोजना. | डी.बी. निर्माण हेतु        |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.-868-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |         |            |                         | धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी                  | सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण |
|---------------|---------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| जिला          | तहसील   | ग्राम      | लगभग क्षेत्रफल (हे.में) |                                                              |                            |
| (1)           | (2)     | (3)        | (4)                     | (5)                                                          | (6)                        |
| रीवा          | त्योंथर | जमुई खुर्द | 0.005                   | कार्यपालन यंत्री,<br>नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई<br>परियोजना. | डी.बी. निर्माण हेतु        |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.-869-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |         |              |                         | धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी                  | सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण |
|---------------|---------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| जिला          | तहसील   | ग्राम        | लगभग क्षेत्रफल (हे.में) |                                                              |                            |
| (1)           | (2)     | (3)          | (4)                     | (5)                                                          | (6)                        |
| रीवा          | त्योंधर | करहिया<br>51 | 0.007                   | कार्यपालन यंत्री,<br>नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई<br>परियोजना. | डी.बी. निर्माण हेतु        |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.-870-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |         |         |                         | धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी                  | सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण |
|---------------|---------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| जिला          | तहसील   | ग्राम   | लगभग क्षेत्रफल (हे.में) |                                                              |                            |
| (1)           | (2)     | (3)     | (4)                     | (5)                                                          | (6)                        |
| रीवा          | त्योंधर | गंगतीरा | 0.010                   | कार्यपालन यंत्री,<br>नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई<br>परियोजना. | डी.बी. निर्माण हेतु        |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.-917-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |        |        |                         | धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी                                       | सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण                                              |
|---------------|--------|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | ग्राम  | लगभग क्षेत्रफल (हे.में) |                                                                                   |                                                                         |
| (1)           | (2)    | (3)    | (4)                     | (5)                                                                               | (6)                                                                     |
| रीवा          | सिरमौर | हिनौती | 0.010                   | कार्यपालन यंत्री,<br>नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई<br>परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र.). | डी.बी. निर्माण हेतु<br>(नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव<br>सिंचाई परियोजना अंतर्गत) |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.-920-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |        |       |                         | धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी                                       | सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण                                              |
|---------------|--------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे.में) |                                                                                   |                                                                         |
| (1)           | (2)    | (3)   | (4)                     | (5)                                                                               | (6)                                                                     |
| रीवा          | सिरमौर | लोहरा | 0.001                   | कार्यपालन यंत्री,<br>नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई<br>परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र.). | डी.बी. निर्माण हेतु<br>(नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव<br>सिंचाई परियोजना अंतर्गत) |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.-923-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |        |        |                         | धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी                                       | सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण                                              |
|---------------|--------|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | ग्राम  | लगभग क्षेत्रफल (हे.में) |                                                                                   |                                                                         |
| (1)           | (2)    | (3)    | (4)                     | (5)                                                                               | (6)                                                                     |
| रीवा          | सिरमौर | क्योटा | 0.002                   | कार्यपालन यंत्री,<br>नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई<br>परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र.). | डी.बी. निर्माण हेतु<br>(नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव<br>सिंचाई परियोजना अंतर्गत) |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र.-926-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |        |        |                         | धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी                                       | सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण                                              |
|---------------|--------|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | ग्राम  | लगभग क्षेत्रफल (हे.में) |                                                                                   |                                                                         |
| (1)           | (2)    | (3)    | (4)                     | (5)                                                                               | (6)                                                                     |
| रीवा          | सिरमौर | बडियौर | 0.002                   | कार्यपालन यंत्री,<br>नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई<br>परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र.). | डी.बी. निर्माण हेतु<br>(नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव<br>सिंचाई परियोजना अंतर्गत) |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प.क्र.-929-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |        |         |                         | धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी                                    | सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण                                            |
|---------------|--------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | ग्राम   | लगभग क्षेत्रफल (हे.में) |                                                                                |                                                                       |
| (1)           | (2)    | (3)     | (4)                     | (5)                                                                            | (6)                                                                   |
| रीवा          | सिरमौर | नेवरिया | 0.002                   | कार्यपालन यंत्री,<br>नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र.). | डी.बी. निर्माण हेतु<br>(नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत). |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प.क्र.-932-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |        |       |                         | धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी                                    | सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण                                            |
|---------------|--------|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे.में) |                                                                                |                                                                       |
| (1)           | (2)    | (3)   | (4)                     | (5)                                                                            | (6)                                                                   |
| रीवा          | सिरमौर | लोटनी | 0.002                   | कार्यपालन यंत्री,<br>नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र.). | डी.बी. निर्माण हेतु<br>(नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत). |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प.क्र.-935-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |        |       |                         | धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी                                       | सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण                                               |
|---------------|--------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे.में) |                                                                                   |                                                                          |
| (1)           | (2)    | (3)   | (4)                     | (5)                                                                               | (6)                                                                      |
| रीवा          | सिरमौर | धौवना | 0.009                   | कार्यपालन यंत्री,<br>नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई<br>परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र.). | डी.बी. निर्माण हेतु<br>(नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव<br>सिंचाई परियोजना अंतर्गत). |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प.क्र.-938-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |        |       |                         | धारा (1)12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी                                       | सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण                                               |
|---------------|--------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे.में) |                                                                                   |                                                                          |
| (1)           | (2)    | (3)   | (4)                     | (5)                                                                               | (6)                                                                      |
| रीवा          | सिरमौर | कठमना | 0.004                   | कार्यपालन यंत्री,<br>नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई<br>परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र.). | डी.बी. निर्माण हेतु<br>(नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव<br>सिंचाई परियोजना अंतर्गत). |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रीवा, दिनांक 11 दिसम्बर 2025

क्र.-789-भू-अर्जन-2025.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

**अनुसूची**

| भूमि का विवरण |        |          |                         | धारा 12 के लिये प्राधिकृत अधिकारी                                      | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                                                                                          |
|---------------|--------|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | ग्राम    | लगभग क्षेत्रफल (हे.में) |                                                                        |                                                                                                                     |
| (1)           | (2)    | (3)      | (4)                     | (5)                                                                    | (6)                                                                                                                 |
| रीवा          | मनगवां | बुढ़गवां | 0.625                   | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रीवा (म.प्र.). | रीवा जिले के अंतर्गत बुढ़गवां से बसौली वाया हरदी खुर्द मार्ग में महाना नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शहडोल, दिनांक 24 दिसम्बर 2025

क्र.-दस-भू-अर्जन-प्र.क्र.-0003-अ-82-2025-26-6207.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

**अनुसूची**

| भूमि का विवरण |          |           |                         | धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी                                    | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                                                                                       |
|---------------|----------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील    | ग्राम     | लगभग क्षेत्रफल (हे.में) |                                                                     |                                                                                                                  |
| (1)           | (2)      | (3)       | (4)                     | (5)                                                                 | (6)                                                                                                              |
| शहडोल         | ब्यौहारी | बराबघेलहा | 2.674                   | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण (सेतु निर्माण), संभाग रीवा, (म.प्र.). | ब्यौहारी से कटनी वाया विजयसोता मार्ग के कि.मी. 37/10 में सोन नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण), संभाग रीवा, मध्यप्रदेश एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ब्यौहारी, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

केदार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 22 अक्टूबर 2025

प्र. क्र. 19-अ-82 वर्ष 2025-2026.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |         |             |                                                                               | धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी                                     | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                                                                                                                                                                                |
|---------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील   | नगर / ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में)                                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |
| (1)           | (2)     | (3)         | (4)                                                                           | (5)                                                                       | (6)                                                                                                                                                                                                       |
| पन्ना         | सिमरिया | रैकरा       | निजी भूमि रकवा 0.31 हेक्ट. एवं शासकीय भूमि रकवा 0.00 है. कुल रकवा 0.31 हेक्ट. | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, सागर, मध्यप्रदेश. | दमोह जिले के हटा-सिमरिया मार्ग के कि. मी. 66/6 में व्यारमा नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण पहुंच मार्ग एवं सुरक्षा कार्य हेतु मौजा रैकरा की भूमियों के भू-अर्जन हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, सागर मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 0006-अ-82 वर्ष 2024-2025.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत पन्ना-पहाड़ीखेरा मार्ग लम्बाई 38.65 कि. मी. के निर्माण हेतु भूमि अर्जन हेतु ग्राम लक्ष्मीपुर तहसील व अनुभाग पन्ना, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 17 मई 2024 एक वर्ष की अवधि के भीतर विभाग में उपयंत्रियों की अत्यंत कमी के कारण अधिनियम की धारा 19 का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र में नहीं किया जा सका, अतः अधिनियम की धारा 19(7) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है, जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अधिनियम की धारा 19 का प्रकाशन करने हेतु व्यपगत दिनांक से 1 वर्ष की अवधि बढ़ाई जाती है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |             |                                                                                 | धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी                    | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                                                                                                                 |
|---------------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर / ग्राम | कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हे. में)                                        |                                                          |                                                                                                                                            |
| (1)           | (2)   | (3)         | (4)                                                                             | (5)                                                      | (6)                                                                                                                                        |
| पन्ना         | पन्ना | लक्ष्मीपुर  | निजी भूमि 1.8687 हेक्ट. एवं शास. भूमि 0.0000 हेक्ट. इस प्रकार कुल 1.8687 हेक्ट. | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ / स) संभाग पन्ना. | पन्ना-पहाड़ीखेरा मार्ग लम्बाई 38.65 कि. मी. के निर्माण हेतु भूमि अर्जन हेतु ग्राम लक्ष्मीपुर तहसील व अनुभाग पन्ना, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 6 दिसम्बर 2025

प्र. क्र. 25-अ-82 वर्ष 2025-2026.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |             |                                                                                  | धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी     | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                                                                                                                                                                           |
|---------------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर / ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में)                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                      |
| (1)           | (2)   | (3)         | (4)                                                                              | (5)                                       | (6)                                                                                                                                                                                                  |
| पन्ना         | पवई   | बराहों      | निजी भूमि रकवा 0.775 हेक्ट. एवं शासकीय भूमि रकवा 0.013 है. कुल रकवा 0.788 हेक्ट. | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना. | पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माईनर एवं सब माईनर नहर निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली भूमि का भू-अर्जन ग्राम बराहों तहसील व अनुभाग पवई जिला पन्ना हेतु भूमि का अर्जन भाग-11 का प्रकाशन हेतु. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, पन्ना जिला पन्ना मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 29 दिसम्बर 2025

प्र. क्र. 28-अ-82 वर्ष 2025-2026.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |             |                                                                                  | धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी                  | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                                                                   |
|---------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर / ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में)                                                         |                                                        |                                                                                              |
| (1)           | (2)    | (3)         | (4)                                                                              | (5)                                                    | (6)                                                                                          |
| पन्ना         | अजयगढ़ | तरौनी       | निजी भूमि रकवा 0.138 हेक्ट. एवं शासकीय भूमि रकवा 0.000 है. कुल रकवा 0.138 हेक्ट. | उप मुख्य अभियंता/ निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे, खजुराहो. | ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण कार्य हेतु. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता / निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे खजुराहो जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 29-अ-82 वर्ष 2025-2026.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |             |                                                                                  | धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी     | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                                                                                                                                                                        |
|---------------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर / ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में)                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                   |
| (1)           | (2)   | (3)         | (4)                                                                              | (5)                                       | (6)                                                                                                                                                                                               |
| पन्ना         | पवई   | उमरहट       | निजी भूमि रकवा 1.413 हेक्ट. एवं शासकीय भूमि रकवा 0.360 है. कुल रकवा 1.773 हेक्ट. | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना. | पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माईनर एवं सब माईनर नहर रिमाण कार्य में प्रभावित होने वाली भूमि का भू-अर्जन ग्राम उमरहट तहसील व अनुभाग पवई जिला पन्ना हेतु भूमि का अर्जन भाग-11 का प्रकाशन हेतु. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, पन्ना जिला पन्ना मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 30-अ-82 वर्ष 2025-2026.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |             |                                                                                  | धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी     | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                                                                                                                                                                        |
|---------------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर / ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में)                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                   |
| (1)           | (2)   | (3)         | (4)                                                                              | (5)                                       | (6)                                                                                                                                                                                               |
| पन्ना         | पवई   | कुपना       | निजी भूमि रकवा 1.725 हेक्ट. एवं शासकीय भूमि रकवा 0.020 है. कुल रकवा 1.745 हेक्ट. | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना. | पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माईनर एवं सब माईनर नहर रिमाण कार्य में प्रभावित होने वाली भूमि का भू-अर्जन ग्राम कुपना तहसील व अनुभाग पवई जिला पन्ना हेतु भूमि का अर्जन भाग-11 का प्रकाशन हेतु. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, पन्ना जिला पन्ना मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उषा परमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

क्र. 4056-भू-अर्जन-2025

सतना, दिनांक 22 दिसम्बर 2025

ग्राम धनखेर कला तहसील रघुराजनगर जिला सतना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना की नागौद शाखा नहर अन्तर्गत सोहवल वितरिका की शिवपुर माइनर के अन्तर्गत धनखेर कला सब माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि रकवा 2.9660 का भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 का प्रकाशन पूर्व में म0प्र0 राजपत्र में दिनांक 11.10.2024 को प्रकाशन किया गया था।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (7) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत समुचित सरकार (कलेक्टर) द्वारा 12 मास की अवधि विस्तारित करते हुए किये जाने के अधिकार प्राप्त हैं, अतः धारा 19 (7) के तहत 12 मास की अवधि विस्तारित करते हुए ग्राम धनखेर कला तहसील रघुराजनगर की निजी भूमि का धारा 19 के प्रकाशन हेतु निम्नानुसार अनुसूची संलग्न है।

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला --सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग) नगर /ग्राम - धनखेर कला

(घ) क्षेत्रफल- 2.9660 हे0

| क्र. | भूस्वामी का नाम / पिता का नाम                                          | खसरा नं. | अर्जित रकवा |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 1    | भधुराज सिंह पिता मणिराज सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी  | 6/1/1    | 0.0450      |
| 2    | जयराज सिंह पिता मणिराज सिंह पता धनखेर कला रघु0 सतना भूमिस्वामी         | 6/1/2    | 0.0450      |
| 3    | यदुराज सिंह पिता मणिराज सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी  | 6/1/3    | 0.0450      |
| 4    | विपिन पिता गजेन्द्र सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी      | 6/2/1    | 0.0700      |
| 5    | राघवेन्द्र पिता गजेन्द्र सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी | 6/2/2    | 0.0680      |
| 6    | राजेश सिंह पिता रणवीर सिंह पता रघु0 सतना भूमिस्वामी                    | 9/2      | 0.1900      |
| 7    | राजेश सिंह पिता रणवीर सिंह पता रघु0 सतना भूमिस्वामी                    | 10/2     | 0.0160      |
| 8    | राघवेन्द्र पिता गजेन्द्र सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी | 17/2/2/2 | 0.0160      |
| 9    | रामलाल सिंह पिता महिपाल सिंह पता सा0 धनखेर कला भूमि स्वामी             | 158/2    | 0.0290      |
| 10   | जगतबहादुर सिंह पिता पृथ्वीराज सिंह पता सा0 देह भूमि स्वामी             | 159/2    | 0.0960      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 11 | राज दुलारी बेवा बलबेन्द्र सिंह, निर्मला सिंह बेवा राणा प्रताप सिंह, अमित सिंह पिता राणा प्रताप, नरेन्द्र सिंह पिता बलबेन्द्र सिंह, अनुराग सिंह पिता बलबेन्द्र सिंह, विमला सिंह बेवा रामराज सिंह, ध्रुव सिंह पिता रामराज सिंह, रूपन देवी बेवा रावेन्द्र, दलजीत सिंह पिता गिरधर सिंह जाति क्षत्रिय पता रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी | 160/1   | 0.0340 |
| 12 | राज दुलारी बेवा बलबेन्द्र सिंह, निर्मला सिंह बेवा राणा प्रताप सिंह, अमित सिंह पिता राणा प्रताप, नरेन्द्र सिंह पिता बलबेन्द्र सिंह, अनुराग सिंह पिता बलबेन्द्र सिंह, विमला सिंह बेवा रामराज सिंह, ध्रुव सिंह पिता रामराज सिंह, रूपन देवी बेवा रावेन्द्र, दलजीत सिंह पिता गिरधर सिंह जाति क्षत्रिय पता रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी | 165     | 0.0160 |
| 13 | राज दुलारी बेवा बलबेन्द्र सिंह, निर्मला सिंह बेवा राणा प्रताप सिंह, अमित सिंह पिता राणा प्रताप, नरेन्द्र सिंह पिता बलबेन्द्र सिंह, अनुराग सिंह पिता बलबेन्द्र सिंह, विमला सिंह बेवा रामराज सिंह, ध्रुव सिंह पिता रामराज सिंह, रूपन देवी बेवा रावेन्द्र, दलजीत सिंह पिता गिरधर सिंह जाति क्षत्रिय पता रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी | 164/1   | 0.1740 |
| 14 | बृजेश सिंह पिता दलजीत सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                                             | 164/2   | 0.1880 |
| 15 | बृजेश सिंह पिता दलजीत सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                                             | 163     | 0.0190 |
| 16 | राज दुलारी बेवा बलबेन्द्र सिंह, निर्मला सिंह बेवा राणा प्रताप सिंह, अमित सिंह पिता राणा प्रताप, नरेन्द्र सिंह पिता बलबेन्द्र सिंह, अनुराग सिंह पिता बलबेन्द्र सिंह, विमला सिंह बेवा रामराज सिंह, ध्रुव सिंह पिता रामराज सिंह, रूपन देवी बेवा रावेन्द्र, दलजीत सिंह पिता गिरधर सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी     | 151     | 0.0450 |
| 17 | भूपेन्द्र सिंह पिता रामभगत सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                                        | 149/1   | 0.0680 |
| 18 | पुष्पेन्द्र पिता रामभगत सिंह पता सा0 देह भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                                                            | 149/2   | 0.0610 |
| 19 | भूपेन्द्र, पुष्पेन्द्र, हरेन्द्र सिंह पिता रामभगत सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                 | 150     | 0.0160 |
| 20 | भूपेन्द्र सिंह पिता रामभगत सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                                        | 148/1/1 | 0.1110 |
| 21 | पुष्पेन्द्र पिता रामभगत सिंह पता सा0 देह भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                                                            | 148/1/2 | 0.0020 |
| 22 | शिवनरायण सिंह तनय वंशपती सिंह पता सा0 देह भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                                                           | 147/1   | 0.0970 |
| 23 | विनोद, विनय, विजय, वीरेन्द्र सिंह पिता दददू सिंह उर्फ शीतल सिंह, जागेन्द्र बहादुर सिंह पिता मनोज सिंह जाति क्षत्री पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                                                                                                                                     | 132/1/2 | 0.0100 |
| 24 | गंगा सिंह पिता सुदर्शन सिंह, हंशराज सिंह पिता सुदर्शन सिंह, विमला सिंह पत्नी जमुना सिंह, अखिलेश सिंह पिता जमुना सिंह, अखिल सिंह पिता जमुना सिंह जाति क्षत्री पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                                                                                           | 131/1   | 0.0970 |
| 25 | विनोद, विनय, विजय, वीरेन्द्र सिंह पिता दददू सिंह उर्फ शीतल सिंह, जागेन्द्र बहादुर सिंह पिता मनोज सिंह जाति क्षत्री पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                                                                                                                                     | 130/1   | 0.1100 |

|     |                                                                                                                                       |        |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 26  | मानेन्द्र सिंह पिता ददोली सिंह, कृष्णपाल सिंह, दिनेश सिंह पिता गोकर्ण सिंह सा0 देह भूमि स्वामी                                        | 129    | 0.0010 |
| 27  | बृजमोहन सिंह पिता रामदयाल सिंह पता सा0 देह भूमि स्वामी                                                                                | 48/2/1 | 0.0130 |
| 28  | बृजमोहन सिंह पिता रामदयाल सिंह पता सा0 देह भूमि स्वामी                                                                                | 49/1   | 0.1880 |
| 29  | प्रदीप सिंह पिता अमरपाल सिंह जाति क्षत्री पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                    | 53     | 0.0010 |
| 30  | बृजमोहन सिंह पिता रामदयाल सिंह पता सा0 देह भूमि स्वामी                                                                                | 54     | 0.0400 |
| 31  | जितेन्द्र सिंह पिता रामभगत सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                              | 55/1   | 0.0160 |
| 32  | सुरेन्द्र, चंद्र प्रताप, जितेन्द्र पिता रामभगत सिंह, शिवनरायण, जयनरायण सिंह पिता वंशपती सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी | 58     | 0.0380 |
| 33  | चंद्र प्रताप सिंह पिता रामभगत सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                           | 57/1/2 | 0.0230 |
| 34  | जितेन्द्र सिंह पिता रामभगत सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                              | 57/1/3 | 0.0340 |
| 35  | चंद्र प्रताप सिंह पिता रामभगत सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                           | 57/2/2 | 0.0470 |
| 36  | जितेन्द्र सिंह पिता रामभगत सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                              | 57/2/3 | 0.0060 |
| 37  | सुरेन्द्र सिंह पिता रामभगत सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                              | 56/1   | 0.0650 |
| 38  | चंद्र प्रताप सिंह पिता रामभगत सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                           | 56/2   | 0.0630 |
| 39  | गजेन्द्र सिंह पिता विजय बहादुर सिंह पता धौरहारा रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                            | 25/1/2 | 0.1770 |
| 40  | गजेन्द्र सिंह पिता विजय बहादुर सिंह पता धौरहारा रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                            | 26/1/2 | 0.0240 |
| 41  | प्रदीप सिंह पिता अमरपाल सिंह जाति क्षत्री पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                    | 20/1   | 0.1740 |
| 42  | प्रदीप सिंह पिता अमरपाल सिंह जाति क्षत्री पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                    | 23/2   | 0.0190 |
| 43  | अधिराज सिंह नाबालिग पिता प्रमोद सिंह संरक्षक माँ अंतिमा सिंह जाति बघेल पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                       | 18/1   | 0.1200 |
| 44  | प्रदीप सिंह पिता अमरपाल सिंह जाति क्षत्री पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                    | 18/2   | 0.0020 |
| 45  | ज्ञानेन्द्र सिंह पिता बाबू सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                              | 29/1   | 0.0080 |
| 46  | त्रिलोक सिंह पिता अवधेश सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                                 | 34/1   | 0.0250 |
| 47  | बागेन्द्र सिंह पिता बाबू सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                                | 46/1/2 | 0.0260 |
| 48  | कौशलेन्द्र पिता शमशेर सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                                   | 47/1/1 | 0.0840 |
| 49  | कमलेन्द्र पिता शमशेर सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                                    | 47/1/2 | 0.0520 |
| 50  | विपिन पिता शमशेर सिंह पता धनखेर कला रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                                        | 47/1/3 | 0.0520 |
| योग |                                                                                                                                       |        | 2.9660 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0) द्वारा नागौद शाखा नहर अन्तर्गत सोहवल वितरिका की शिवपुर माइनर के अन्तर्गत धनखेर कला सब माइनर के निर्माण हेतु !
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 4057--भू-अर्जन-2025

ग्राम **खडौरी** तहसील **कोठी** जिला सतना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना की नागौद शाखा नहर अन्तर्गत सोहावल उपशाखा नहर की घड़ेरुआ माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि रकवा 1.4050 हे० का भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 का प्रकाशन पूर्व में म०प्र० राजपत्र में दिनांक 12.07.2024 को प्रकाशन किया गया था।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (7) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत समुचित सरकार (कलेक्टर) द्वारा 12 मास की अवधि विस्तारित करते हुए किये जाने के अधिकार प्राप्त हैं, अतः धारा 19 (7) के तहत 12 मास की अवधि विस्तारित करते हुए ग्राम **खडौरी** तहसील **कोठी** की निजी भूमि का धारा 19 के प्रकाशन हेतु निम्नानुसार अनुसूची संलग्न है।

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- कोठी

(ग) नगर /ग्राम -- खडौरी

(घ) क्षेत्रफल- 1.4050 हे०

| क्र. | भूस्वामी का नाम / पिता का नाम                                                                                                           | खसरा नं. | अर्जित रकवा (हे०में) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 1    | रावेन्द्र सिंह पिता शोभा सिंह पता खडौरा,कोठी भूमिस्वामी                                                                                 | 23/2     | 0.0160               |
| 2    | राकेन्द्र सिंह पिता शोभा सिंह पता खडौरा,कोठी भूमिस्वामी                                                                                 | 24/1/1   | 0.0300               |
| 3    | रावेन्द्र सिंह पिता शोभा सिंह पता खडौरा,कोठी भूमिस्वामी                                                                                 | 24/1/2   | 0.1100               |
| 4    | रज्जू पिता पुनौवा जाति काछी पता खडौरा,कोठी भूमिस्वामी                                                                                   | 25/1     | 0.0410               |
| 5    | रामसजीवन पिता खुलू काछी पता खडौरा,कोठी भूमिस्वामी                                                                                       | 25/2     | 0.0100               |
| 6    | स्वतंत्र कुमार पिता गुलाब प्रसाद बागरी जाति बागरी पता खडौरा,कोठी भूमिस्वामी                                                             | 50/1/2   | 0.0580               |
| 7    | शिवबहादुर पिता गुलाब प्रसाद बागरी जाति बागरी पता खडौरा,कोठी भूमिस्वामी                                                                  | 50/1/4   | 0.0580               |
| 8    | सुरेन्द्र सिंह नरेन्द्र प्रताप सिंह जाति सिंह पता खडौरा,कोठी भूमिस्वामी                                                                 | 51/1/1   | 0.1470               |
| 9    | रामाश्रय पिता विश्वनाथ कुशवाह जाति काछी,हरीशंकर पिता विश्वनाथ कुशवाह,राजकुमार पिता विश्वनाथ कुशवाहा जाति काछी पता खडौरा,कोठी भूमिस्वामी | 51/1/23  | 0.1260               |
| 10   | हीरालाल पिता बैजनाथ कुशवाह जाति काछी पता खडौरा,कोठी भूमिस्वामी                                                                          | 58/3     | 0.1120               |
| 11   | कैलाश प्रसाद पिता शंभू प्रसाद जाति काछी पता बौलिहा सतना भूमिस्वामी                                                                      | 61/1/1   | 0.0120               |
| 12   | श्रीमती सिया पत्नी जीवनलाल कुशवाहा पता बौलिहा भूमिस्वामी                                                                                | 61/1/2   | 0.0260               |

|     |                                                                                    |        |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 13  | राजमन तनय लल्ला काछी जाति काछी पता बौलिहा भूमिस्वामी                               | 61/2   | 0.0040 |
| 14  | राजमन तनय लल्ला काछी जाति काछी पता बौलिहा भूमिस्वामी                               | 63/1   | 0.0970 |
| 15  | झल्लू पिता कमलवा चमार जाति चमार पता खडौरी कोठी भूमिस्वामी                          | 72/1   | 0.0060 |
| 16  | चिरौंजीलाल पिता कमलवा चमार जाति चमार पता खडौरी कोठी भूमिस्वामी                     | 73/1/1 | 0.0890 |
| 17  | गोविन्द प्रसाद कमलया चमार पता खडौरी कोठी भूमिस्वामी                                | 73/1/3 | 0.0420 |
| 18  | झल्लू पिता कमलया चमार जाति चमार पता खडौरी कोठी भूमिस्वामी                          | 73/1/4 | 0.0420 |
| 19  | बुटइया प्रत्री शिवबालक जाति चमार पता पैकोरी,कोठी भूमिस्वामी                        | 79/3   | 0.0160 |
| 20  | बुटइया प्रत्री शिवबालक जाति चमार पता पैकोरी,कोठी भूमिस्वामी                        | 79/4/1 | 0.0300 |
| 21  | संदीप सिंह पिता धीरेन्द्र सिंह जाति सिंह पता खडौरा,कोठी भूमिस्वामी                 | 79/4/2 | 0.0970 |
| 22  | लक्ष्मण तनय गंगा जाति काछी पता खडौरी,कोठी भूमिस्वामी                               | 78/1/1 | 0.0340 |
| 23  | राजमन यादव रज्जू यादव पुत्र गोलरे यादव व सीता गोलरे यादव पता खडौरी,कोठी भूमिस्वामी | 82     | 0.0570 |
| 24  | तुलसी पिता गंगा प्रसाद जाति काछी पता खडौरा,कोठी भूमिस्वामी                         | 83/2   | 0.0070 |
| 25  | तुलसी पिता गंगा प्रसाद जाति काछी पता खडौरा,कोठी भूमिस्वामी                         | 85/1/1 | 0.0970 |
| 26  | धीर सिंह पिता कमल सिंह जाति सिंह पता खडौरी कोठी भूमिस्वामी                         | 17/2/2 | 0.0410 |
| योग |                                                                                    |        | 1.4050 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0) द्वारा नागौद शाखा नहर अन्तर्गत सोहावल उपशाखा नहर की घड़ेरूआ माइनर के निर्माण हेतु ।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

क्र. 4058-भू-अर्जन-2025

ग्राम रेवरा तहसील रघुराजनगर जिला सतना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना की नागौद शाखा नहर अन्तर्गत सोहवल वितरिका की मझगावां टेल माइनर एवं रेवरा सब माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि रकवा 2.9230 का भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 का प्रकाशन पूर्व में म0प्र0 राजपत्र में दिनांक 23.08.2024 को प्रकाशन किया गया था।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (7) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत समुचित सरकार (कलेक्टर) द्वारा 12 मास की अवधि विस्तारित करते हुए किये जाने के अधिकार प्राप्त हैं, अतः धारा 19 (7) के तहत 12 मास की अवधि विस्तारित करते हुए ग्राम रेवरा तहसील रघुराजनगर की निजी भूमि का धारा 19 के प्रकाशन हेतु निम्नानुसार अनुसूची संलग्न है।

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग) नगर /ग्राम - रेवरा

(घ) क्षेत्रफल- 2.2760 हे०

| क्र. | भूस्वामी का नाम / पिता का नाम                                             | खसरा नं. | अर्जित रकवा (हे०में) |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 1    | विकास पिता रामजी पांडेय जाति ब्रा० पता हिनौता रेवरा रघु० सतना भूमि स्वामी | 158/2    | 0.3010               |
| 2    | विकास पिता रामजी पांडेय जाति ब्रा० पता हिनौता रेवरा रघु० सतना भूमि स्वामी | 157/2    | 0.0150               |
| 3    | ज्ञानवती पत्नी लालजी पता हिनौता रेवरा रघु० सतना भूमि स्वामी               | 156/2    | 0.2600               |
| 4    | लालजी पिता रामसुन्दर पता सा० हिनौता सतना भूमि स्वामी                      | 155      | 0.1950               |
| 5    | बालमती पति रामजी पता रेवरा रघु० सतना भूमि स्वामी                          | 135      | 0.0130               |
| 6    | बालमती पति रामजी पता रेवरा रघु० सतना भूमि स्वामी                          | 136      | 0.0200               |
| 7    | बालमती पति रामजी पता रेवरा रघु० सतना भूमि स्वामी                          | 137      | 0.0020               |
| 8    | बालमती पति रामजी पता रेवरा रघु० सतना भूमि स्वामी                          | 125      | 0.1260               |
| 9    | बालमती पति रामजी पता रेवरा रघु० सतना भूमि स्वामी                          | 124      | 0.0750               |
| 10   | रोहित पिता बालमुकुन्द अग्रवाल पता रेवरा रघु० सतना भूमि स्वामी             | 122      | 0.1160               |
| 11   | रोहित पिता बालमुकुन्द अग्रवाल पता रेवरा रघु० सतना भूमि स्वामी             | 120      | 0.0810               |
| 12   | रोहित पिता बालमुकुन्द अग्रवाल पता रेवरा रघु० सतना भूमि स्वामी             | 109/2    | 0.0150               |
| 13   | विश्वसुचित पिता लालजी पता रेवरा रघु० सतना भूमि स्वामी                     | 110/1    | 0.1500               |
| 14   | रोहित पिता बालमुकुन्द अग्रवाल पता रेवरा रघु० सतना भूमि स्वामी             | 110/2    | 0.4500               |
| 15   | विश्वसुचित पिता लालजी पता रेवरा रघु० सतना भूमि स्वामी                     | 111/1    | 0.0330               |
| 16   | मोहित पिता बालमुकुन्द अग्रवाल पता सा० सोहावल सतना भूमि स्वामी             | 101/1/1  | 0.0720               |
| 17   | रोहित पिता बालमुकुन्द अग्रवाल पता रेवरा रघु० सतना भूमि स्वामी             | 70/1     | 0.0390               |
| 18   | मदन प्रसाद पिता गुरुप्रसाद पता सा० हिनौता सतना भूमि स्वामी                | 71/2     | 0.1300               |
| 19   | कैलाश प्रसाद पिता गुरुप्रसाद पता रेवरा रघु० सतना भूमि स्वामी              | 72/1     | 0.1600               |
| 20   | मदन प्रसाद पिता गुरुप्रसाद पता सा० हिनौता सतना भूमि स्वामी                | 72/2     | 0.0100               |
| 21   | कैलाश प्रसाद पिता गुरुप्रसाद पता रेवरा रघु० सतना भूमि स्वामी              | 73/1/1   | 0.0070               |
| 22   | मदन प्रसाद पिता गुरुप्रसाद पता सा० हिनौता सतना भूमि स्वामी                | 73/1/2   | 0.0060               |
| योग  |                                                                           |          | 2.2760               |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0) द्वारा नागौद शाखा नहर अन्तर्गत सोहवल वितरिका की मझगावां टेल माइनर एवं रेवरा सब माइनर के निर्माण हेतु ।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 4059-भू-अर्जन-2025

ग्राम रामपुर चौरासी तहसील रघुराजनगर जिला सतना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना की नागौद शाखा नहर अन्तर्गत तुरी वितरिका की मेदनीपुर माइनर एवं चनपुरवा माइनर तथा सलैया सब माइनर एवं मझगवां टेल माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि रकवा 6.1314 का भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 का प्रकाशन पूर्व में म0प्र0 राजपत्र में दिनांक 23.08.2024 को प्रकाशन किया गया था।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (7) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत समुचित सरकार (कलेक्टर) द्वारा 12 मास की अवधि विस्तारित करते हुए किये जाने के अधिकार प्राप्त हैं, अतः धारा 19 (7) के तहत 12 मास की अवधि विस्तारित करते हुए ग्राम रैगांव तहसील रघुराजनगर की निजी भूमि का धारा 19 के प्रकाशन हेतु निम्नानुसार अनुसूची संलग्न है।

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला --सतना

(ख) तहसील-- रघुराजनगर

(ग) नगर /ग्राम - रामपुर चौरासी

(घ) क्षेत्रफल-- 6.1314 हे0

| क्र. | भूस्वामी का नाम / पिता का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | खसरा नं.         | अर्जित रकवा |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 1    | नाराणदास ओमप्रकाश राकेश पिता जगपती गोपी राजन पिता रामलखन नाबा बलि सर मां प्रेमवती पिता मूंगाराम लालजी पिता दुर्गा श्री मननारायण पिता रणछोर शिवप्रसाद राजेन्द्र प्रसाद विष्णु प्रसाद पिता रामहेतु रामखेलावन पिता गंगा, दामोदर प्रसाद रामाधार पिता भगवादीन बृजबिहारी पिता जगदीश प्रसाद आदित्यनारायण रूपनारायण सनत कुमार आनन्द कुमार पिता सूर्यभान मु. रामकली बेवा सूर्यभान बट्टी विशाल शीतल प्रसाद पिता भगवानदीन श्रवणकुमार पिता सूरजदीन पता सा0 खूझा भूमि स्वामी | 1301/1/1/1/1/1   | 0.0340      |
| 2    | श्रीनिवास सिंह पिता राम सिंह पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1301/1/1/1/1/2/2 | 0.1000      |
| 3    | शैलेन्द्र बाजपेई पिता देवदत्ता बाजपेई सा0 राजेन्द्र नगर सतना व गंगा कुमार पिता रामनुज शुक्ला सा0 धवचट पो0 कवूर तह0 हजुर जिला रीवा भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1301/1/1/1/1/2/3 | 0.0090      |
| 4    | मनोज साहू पिता मंगलदास साहू पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1301/1/1/1/2/2   | 0.0650      |
| 5    | कामता प्रसाद पिता प्रेमलाल शुक्ला पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1317/13/2/2      | 0.0490      |
| 6    | दसोदिया, सुखलाल, रामकिशोर, भगमनिया, रनिया पिता सूरजदीन चौधरी निवास खाम्हा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1317/13/12/12    | 0.1410      |
| 7    | श्रीमती ज्ञानवती सिंह पुत्री शिवमूर्ति सिंह सा0 आकाश गंगानगर पतेरी सतना कु0 श्रेया अग्रवाल पिता द्वारका अग्रवाल नावा0 वली पिता द्वारका अग्रवाल पिता शौर्या गोयल पुत्री शोभित गगनल नावा0 वली0 सर0 पिता शोभित गोयल पिता राधा कृष्ण गोयल सा0 बाधवगढ़ कालोनी सतना                                                                                                                                                                                                   | 1317/13/11/11/2  | 0.0320      |
| 8    | अंकुर पिता द्वारिका प्रसाद अग्रवाल निवास सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1317/13/11/11/1  | 0.0320      |
| 9    | शिवशंकर पिता रामसुरेश शुक्ला निवास खाम्हा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1317/10/1/1      | 0.0490      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 10 | सतेन्द्र कुमार पिता नरेन्द्र शुक्ला निवास खाम्हा                                                                                                                                                                                                                                         | 1317/10/1/2   | 0.0490 |
| 11 | सुधा पत्नी राजेश कुमार शुक्ला निवास खाम्हा                                                                                                                                                                                                                                               | 1317/10/1/3   | 0.0240 |
| 12 | रामशंकर शुक्ला पिता रामसुरेश शुक्ला निवास खाम्हा                                                                                                                                                                                                                                         | 1317/10/2/1/1 | 0.0240 |
| 13 | राजेन्द्र प्रसाद पिता छकौडीलाल देवेश शुक्ल पिता राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला रमजनिया पत्नी वावन प्रसाद धीरेन्द्र प्रसाद राजकुमार राजकिशोर पिता वामन प्रसाद शुक्ला शशि पत्नी उमेश हरीओम पिता उमेश रश्मी पिता उमेश नाबा. बलि. मां शशी पत्नी उमेश शुक्ला पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना भूमि स्वामी | 1299/1/1      | 0.0650 |
| 14 | रामनरेश पिता भागवत प्रसाद ब्रा0 जाति ब्रा0 पता सा0 देह सतना                                                                                                                                                                                                                              | 1299/3        | 0.0150 |
| 15 | राजेन्द्र प्रसाद पिता छकौडीलाल देवेश शुक्ल पिता राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला रमजनिया पत्नी वावन प्रसाद धीरेन्द्र प्रसाद राजकुमार राजकिशोर पिता वामन प्रसाद शुक्ला शशि पत्नी उमेश हरीओम पिता उमेश रश्मी पिता उमेश नाबा. बलि. मां शशी पत्नी उमेश शुक्ला पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना भूमि स्वामी | 1298/1/1      | 0.0080 |
| 16 | रामनरेश पिता भागवत प्रसाद ब्रा0 जाति ब्रा0 पता सा0 देह सतना                                                                                                                                                                                                                              | 1298/4        | 0.0010 |
| 17 | राजेन्द्र प्रसाद पिता छकौडीलाल देवेश शुक्ल पिता राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला रमजनिया पत्नी वावन प्रसाद धीरेन्द्र प्रसाद राजकुमार राजकिशोर पिता वामन प्रसाद शुक्ला शशि पत्नी उमेश हरीओम पिता उमेश रश्मी पिता उमेश नाबा. बलि. मां शशी पत्नी उमेश शुक्ला पता रामपुर चा                           | 1295/1/1      | 0.2180 |
| 18 | मोतीलाल शुक्ल पिता हनुमान प्रसाद शुक्ल निवास खाम्हा                                                                                                                                                                                                                                      | 1296/2/4      | 0.0040 |
| 19 | उदयभान सिंह पिता जयराम सिंह पता चनपुरवा रघु0 सतना                                                                                                                                                                                                                                        | 109/2/2       | 0.0030 |
| 20 | बृजेन्द्र सिंह पिता आदित्यनारायण सिंह पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना                                                                                                                                                                                                                        | 109/2/7/2/1   | 0.0062 |
| 21 | कृष्णेन्द्र सिंह पिता आदित्यनारायण सिंह पता सा0 देह सतना                                                                                                                                                                                                                                 | 109/2/7/2/2   | 0.0062 |
| 22 | गुलाब तनय बट्टी पता सा0 चनपुरवा भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                              | 109/2/8       | 0.1100 |
| 23 | नीलू सिंह पत्नी उदय भान सिंह पता चनपुरवा भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                     | 94/2/2        | 0.0450 |
| 24 | संजय त्रिपाठी पिता शेषमणि त्रिपाठी पता पुराणक टोला सतना                                                                                                                                                                                                                                  | 107/3         | 0.1730 |
| 25 | जितेन्द्र सिंह पिता राजकरण सिंह पता हटिया सतना भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                               | 106           | 0.1280 |
| 26 | लवकुश सिंह पिता राजकरण सिंह पता हटिया सतना भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                   | 103           | 0.1550 |
| 27 | अंजू त्रिवेदी पत्नी शशिकांत त्रिवेदी पुत्री बृजराज कुमार चतुर्वेदी, आशीष कुमार पिता बृजराज कुमार चतुर्वेदी निवासी कृष्णनगर सतना                                                                                                                                                          | 103/1515      | 0.1780 |
| 28 | लवकुश सिंह पिता राजकरण सिंह पता हटिया सतना भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                   | 102/1         | 0.0040 |
| 29 | देवीशरण सिंह पिता लालमन सिंह पता सतना भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                        | 98            | 0.0220 |
| 30 | श्रवण कुमार, श्रतुपर्ण पिता लोकेश पाठक, पुष्पा पत्नी लोकेश पाठक पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                  | 46/1          | 0.1280 |
| 31 | कल्पना पाठक पत्नी शीतल प्रसाद पाठक पता सा0 देह सतना भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                          | 551/1/2       | 0.0250 |
| 32 | प्रहलाद पाठक पिता हरिहर प्रसाद पाठक पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                              | 551/2         | 0.0040 |
| 33 | प्रहलाद पाठक पिता हरिहर प्रसाद पाठक राजू रानू पिता लल्लू प्रसाद पता सा0 देह सतना भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                             | 550           | 0.0730 |
| 34 | प्रहलाद घोषी शकुन्तला रामललिया पिता हरिहर प्रसाद पता सा0 देह भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                 | 541/2/1       | 0.0060 |
| 35 | चन्द्रशेखर, सूर्यभान कामता पिता रामाश्रय पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना                                                                                                                                                                                                                     | 546/1         | 0.0900 |
| 36 | संजीव कुमार पिता बलराम प्रसाद पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना                                                                                                                                                                                                                                | 546/2         | 0.2000 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 37 | गायत्री अरुणा लक्ष्मी सविता आशा ज्योति पिता बाबूलाल कहार, मु. सरमनिया बेवा श्यामलाल लल्लू रमेश कुमार सन्तोष कुमार पिता श्यामलाल बल्द भिम्मा श्रीमती सुग्गा उर्फ शकुन्तला पत्नी महेश कुमार मर्क सुमित आशीष शिवम पिता महेश कुमार रोशनी चादनी पुत्री महेश कुमार पता सा0 देह भूमि स्वामी                                                                                                                                                                      | 547       | 0.0240 |
| 38 | ददन पिता रामप्रताप पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 509/1     | 0.1510 |
| 39 | ददन पिता रामप्रताप पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 510       | 0.0130 |
| 40 | चन्द्रशेखर, सूर्यभान कामता पिता रामाश्रय पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 511/1     | 0.0180 |
| 41 | कृष्णकान्त चतुर्वेदी पिता अशीष कुमार चतुर्वेदी पता कृष्णनगर सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 511/2     | 0.0190 |
| 42 | चन्द्रशेखर, सूर्यभान कामता पिता रामाश्रय पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 512/1     | 0.0610 |
| 43 | दिलीप सिंह पिता रामविश्वास सिंह पता सा0 देह सतना भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 512/2/1/1 | 0.0020 |
| 44 | कृष्णकान्त चतुर्वेदी पिता अशीष कुमार चतुर्वेदी पता कृष्णनगर सतना भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 512/2/2   | 0.0620 |
| 45 | महेश सिंह पिता जगदीश सिंह पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 491       | 0.3200 |
| 46 | महेश प्रसाद पिता जगदीश पिता भगवानदीन भगवनिया बेवा सुन्दलाल राजकुमारी केशकली पिता सुन्दरलाल ललिया बेवा जूना प्रसाद कमलाइबाई पुत्री जमुनाप्रसाद रामशरण रामाऔतार रामसिंह राममिलन रामनिहोर पिता जमुना प्रसाद बृजमाहन रमलली पिता लालमन, रामप्यारी बेवा गंगा रामस्वरूप सम्पत पिता गंगा दुलरिया पुत्री बृजलाल रघुराज हंसराज सावित्री ज्ञानवती कन्यावती पिता बृजलाल सिंह श्यामकली पत्नी जगमोहन सिंह विजय सिंह पिता जगमोहन पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना भूमि स्वामी | 332/1     | 0.0550 |
| 47 | श्रीराम प्रसाद पिता महेश प्रसाद पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 333       | 0.1410 |
| 48 | रामशरण सिंह पिता रामस्वरूप सिंह पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 334/1     | 0.2050 |
| 49 | गोविन्द सिंह पिता अमर सिंह पता मैहर रोड अमरपाटन मैहर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 334/2     | 0.0320 |
| 50 | रामकिशोर सिंह पिता जमुना सिंह पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 334/3     | 0.0490 |
| 51 | पेहरि सिंह पिता रामशरण सिंह पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 334/4/1   | 0.0320 |
| 52 | अरुण प्रताप सिंह पिता रामशरण सिंह पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 334/4/2   | 0.0320 |
| 53 | श्रीमती इन्द्रकुमारी पत्नी राम सिंह व श्रीनिवास पिता राम सिंह पता सा0 देह भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 334/5     | 0.0090 |
| 54 | सन्तोष सिंह पिता चंदन सिंह पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 335/2     | 0.0640 |
| 55 | सुखेन्द्र सिंह पिता संतोष सिंह पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 335/1545  | 0.0040 |
| 56 | महेश प्रसाद पिता जगदीश पिता भगवानदीन भगवनिया बेवा सुन्दलाल राजकुमारी केशकली पिता सुन्दरलाल ललिया बेवा जूना प्रसाद कमलाइबाई पुत्री जमुनाप्रसाद रामशरण रामाऔतार रामसिंह राममिलन रामनिहोर पिता जमुना प्रसाद बृजमाहन रमलली पिता लालमन, रामप्यारी बेवा गंगा रामस्वरूप सम्पत पिता गंगा दुलरिया पुत्री बृजलाल रघुराज हंसराज सावित्री ज्ञानवती कन्यावती पिता बृजलाल सिंह श्यामकली पत्नी जगमोहन सिंह विजय सिंह पिता जगमोहन पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना भूमि स्वामी | 331/1     | 0.0230 |
| 57 | सुखेन्द्र सिंह पिता संतोष सिंह पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 291       | 0.0820 |
| 58 | बबू यादव पिता दादूभाई यादव पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300/1/2   | 0.0710 |
| 59 | आनंद गौतम पिता रामाधार गौतम पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 292/1     | 0.0530 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| 60  | अर्जुन गौतम पिता रामजीत गौतम पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 292/2            | 0.0500 |
| 61  | संध्या सिंह पत्नी कामता सिंह पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 327              | 0.0870 |
| 62  | महेश प्रसाद पिता जगदीश पिता भगवानदीन भगवनिया देवा सुन्दरलाल राजकुमारी केशकली पिता सुन्दरलाल ललिया देवा जूना प्रसाद कमलाइबाई पुत्री जमुनाप्रसाद रामशरण रामाऔतार रामसिंह राममिलन रामनिहोर पिता जमुना प्रसाद बृजमोहन रमलली पिता लालमन, रामप्यारी देवा गंगा रामस्वरूप सम्पत पिता गंगा दुलरिया पुत्री बृजलाल रघुराज हंसराज सावित्री ज्ञानवती कन्यावती पिता बृजलाल सिंह श्यामकली पत्नी जगमोहन सिंह विजय सिंह पिता जगमोहन पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना भूमि स्वामी | 328/1            | 0.0130 |
| 63  | श्रीमती रामदुलारी सिंह पत्नी बृजलाल सिंह पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 288              | 0.0390 |
| 64  | रवि प्रकाश प्रजापति पिता तिलकूराम प्रजापति हर्षित प्रजापति व हार्दिक प्रजापति दोनों नाबालिक सरपरस्त पिता रवि प्रकाश प्रजापति पता निवासी जवाहर नगर गली नं. 1 बूटीबाई स्कूल के पास सतना रघु0 भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                                     | 284/2/1          | 0.0020 |
| 65  | बंदना कुशवाहा पत्नी छोटकू कुशवाहा संखीदेवी कुशवाहा पत्नी विजयबहादुर कुशवाहा जाति काछी पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 284/2/2          | 0.0020 |
| 66  | शशि अग्रवाल पत्नी दिलीप कुमार अग्रवाल पता मेदनीपुर सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 285              | 0.0480 |
| 67  | भगवनिया सिंह पत्नी मदन सिंह मुकुटधारी सिंह मंगलेश्वर सिंह राजबहादुर सिंह शिवबहादुर सिंह पिता मदन सिंह पता सा0 देह सतना भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 286              | 0.0420 |
| 68  | गणेश सिंह पिता दत्तदी सिंह पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 287              | 0.0840 |
| 69  | हाकिम सिंह राजकुमार सिंह रामशिरोमणि सिंह कृष्णपाल सिंह मोरा सिंह मैना सिंह पिता सीताराम सिंह पियरिया सिंह पत्नी सीताराम सिंह, मन्नु उर्फ भनवती पत्नी देवमन सिंह, बृजेश सिंह, मणिराज सिंह पिता देवमन सिंह पता रघु0 सतना भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                         | 275              | 0.0870 |
| 70  | हाकिम सिंह पिता सीताराम सिंह पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 276              | 0.1120 |
| 71  | मणिराज सिंह पिता देवमन सिंह पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 272              | 0.0300 |
| 72  | मणिराज सिंह पिता देवमन सिंह पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 271              | 0.1700 |
| 73  | निर्मला पांडेय पत्नी शिवमूर्ति पांडेय पता बाघवगढ कालोनी सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 250/2            | 0.1280 |
| 74  | उषा सिंह पत्नी विनोद कुमार सिंह पता पूनम भवन के पीछे धवारी सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 251/1            | 0.1120 |
| 75  | निर्मला पांडेय पत्नी शिवमूर्ति पांडेय पता बाघवगढ कालोनी सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 251/2/1          | 0.0100 |
| 76  | उषा सिंह पत्नी विनोद कुमार सिंह पता पूनम भवन के पीछे धवारी सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 252              | 0.2600 |
| 77  | रामेश्वर प्रसाद गौतम पिता वंशगोपाल गौतम पता रामपुर चौरासी रघु0 सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 253/1            | 0.0410 |
| 78  | दीनानाथ पिता इन्द्रपाल तिवारी पता सा0 कुशियरा सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 403/1/3          | 0.0500 |
| 79  | रामचरित्र पिता सरजू प्रसाद ब्रा0 पता सा0 कुशियरा सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 403/2/1/1        | 0.0880 |
| 80  | आनन्द मिश्रा पिता जयनारायण मिश्रा जाति ब्रा0 पता बडखेरा सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 403/2/1/2        | 0.0960 |
| 81  | रामलोचन पिता इन्द्रपाल तिवारी पता सा0 कुशियरा सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 403/1490/1/2/1/1 | 0.6500 |
| 82  | आशा सिंह पत्नी शुशील सिंह पता कैमा उन्मूलन सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 403/1490/1/2/1/2 | 0.0650 |
| 83  | दीनानाथ पिता इन्द्रपाल तिवारी पता सा0 कुशियरा सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 403/1490/1/3/1/1 | 0.0340 |
| 84  | रामचरित्र पिता सरजू प्रसाद ब्रा0 पता सा0 कुशियरा सतना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 404/2            | 0.0340 |
| योग |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 6.1314 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कर्मांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0) द्वारा नागौद शाखा नहर के अन्तर्गत तुरी वितरिका की मेदनीपुर माइनर एवं चनपुरवा माइनर तथा सलैया सब माइनर एवं मझगावां टेल माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 4061-भू-अर्जन-2025

ग्राम रैगांव तहसील रघुराजनगर जिला सतना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना की नागौद शाखा नहर अन्तर्गत सोहवल वितरिका की महापात्र माइनर एवं सब माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि रकवा 2.9230 का भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 का प्रकाशन पूर्व में म0प्र0 राजपत्र में दिनांक 02.08.2024 को प्रकाशन किया गया था।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (7) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत समुचित सरकार (कलेक्टर) द्वारा 12 मास की अवधि विस्तारित करते हुए किये जाने के अधिकार प्राप्त हैं, अतः धारा 19 (7) के तहत 12 मास की अवधि विस्तारित करते हुए ग्राम रैगांव तहसील रघुराजनगर की निजी भूमि का धारा 19 के प्रकाशन हेतु निम्नानुसार अनुसूची संलग्न है।

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला -सतना
- (ख) तहसील- रघुराजनगर
- (ग) नगर /ग्राम - रैगांव
- (घ) क्षेत्रफल- 2.9230 हे०

| क्र. | भूस्वामी का नाम / पिता का नाम                                                                                         | खसरा नं. | अर्जित रकवा (हे०में) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 1    | श्यामलाल पिता रामेश्वरदीन महापात्र पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                              | 3/1/1/1  | 0.1050               |
| 2    | उमेश पिता रामेश्वरदीन महापात्र पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                  | 3/1/1/2  | 0.1060               |
| 3    | पुरुषोत्तम पिता रामेश्वरदीन महापात्र पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                            | 3/1/1/3  | 0.0850               |
| 4    | सुखेन्द्र पिता भइयालाल ब्राम्हण पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                 | 3/1/2/1  | 0.1390               |
| 5    | रामलाल पिा भइयालाल ब्राम्हण पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                     | 3/1/2/2  | 0.0550               |
| 6    | रामसुन्दर पिता भइयालाल ब्राम्हण पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                 | 3/1/2/3  | 0.1370               |
| 7    | द्वरिका प्रसाद पिता गुलाब प्रसाद पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                | 15       | 0.1980               |
| 8    | धनश्याम, कल्याणदास पिता लालमणि पाठक पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                             | 17       | 0.0520               |
| 9    | धनश्याम, कल्याणदास पिता लालमणि पाठक पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                             | 18       | 0.1260               |
| 10   | कमलेश कुमार पिता शिवबालक प्रसाद पता रैगांव रघुराजनगर सतना                                                             | 36       | 0.1270               |
| 11   | कमलेश कुमार पिता शिवबालक प्रसाद पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                 | 37       | 0.1360               |
| 12   | कमलेश कुमार पिता शिवबालक प्रसाद पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                 | 39       | 0.0120               |
| 13   | शुशीलादेवी पत्नी शीतल प्रसाद, अशोक कुमार, दीपक कुमार पिता शीतल प्रसाद शुक्ला पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी 41 | 41/1     | 0.1780               |

|     |                                                                                                                                                                                         |        |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 14  | ऊषा बेवा उमा प्रसाद शुक्ला, मीरा, नीतू, प्रीति पुत्री उमा प्रसाद शुक्ला, केदार, हेमन्त पिता उमा प्रसाद शुक्ला पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                     | 41/2/2 | 0.0120 |
| 15  | अमृतलाल पिता संखा बागरी पता रघुराजनगर भूमि स्वामी                                                                                                                                       | 30/2/1 | 0.0210 |
| 16  | बबलू सिंह बागरी पिता अमृतलाल बागरी पता गडरा रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                                                                                  | 30/2/3 | 0.1090 |
| 17  | भागवेन्द्र प्रसाद पिता भुराईलाल पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                                                                                   | 42     | 0.1170 |
| 18  | अनीता देवी पत्नी नवलकिशोर, सौरभ, गौरव पिता नवल किशोर निगम पता रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                                                                | 47/1   | 0.0180 |
| 19  | शुभवन्त किशोर निगम पिता रोशनलाल निगम पता रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                                                                                     | 47/2   | 0.0180 |
| 20  | रजनीश कुमार पिता नत्थूलाल निगम पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                                                                                    | 46/1   | 0.1470 |
| 21  | सुशीलादेवी पत्नी शीतल प्रसाद शुक्ला पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                                                                               | 122/1  | 0.2910 |
| 22  | रामरती बेवा रामसजीवन डीमर, गीता बेवा सुरेश, संगीता, मुन्ना, गणेश, राकेश, राजेश पिता रामसजीवन डीमर, मीरा, शकुन्तला, कौशिल्या पुत्री रामसजीवन डीमर, पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी | 122/2  | 0.0870 |
| 23  | रामरती बेवा रामसजीवन डीमर, गीता बेवा सुरेश, संगीता, मुन्ना, गणेश, राकेश, राजेश पिता रामसजीवन डीमर, मीरा, शकुन्तला, कौशिल्या पुत्री रामसजीवन डीमर, पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी | 125    | 0.1680 |
| 24  | अंकित निगम पिता गंगाशंकर निगम पिता पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                                                                                | 123/1  | 0.0550 |
| 25  | अमित पिता रामाश्रय निगम पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                                                                                           | 123/2  | 0.0390 |
| 26  | राजेन्द्र कुमार पिता लक्ष्मण प्रसाद, माधुरी निगम पत्नी बृजेन्द्र कुमार निगम, श्रीष निगम निगम पिता बृजेन्द्र कुमार निगम पता गली नम्बर 1 धवारी रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                 | 123/3  | 0.0100 |
| 27  | कैलाश पिता प्रेमलाल कहार पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                                                                                          | 134/1  | 0.1620 |
| 28  | श्यामलाल पिता लल्ला कहार पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                                                                                          | 134/2  | 0.0820 |
| 29  | सन्ती बेवा रामप्रसाद कहार, शिवेन्द्र पिता रामप्रसाद कहार पता रैगांव रघुराजनगर सतना भूमि स्वामी                                                                                          | 134/3  | 0.1210 |
| 30  | फुलिया पत्नी रमेश कुमार धोबी पता सहिपुरा सतना भूमि स्वामी                                                                                                                               | 139/2  | 0.0100 |
| योग |                                                                                                                                                                                         |        | 2.9230 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0) द्वारा नागौद शाखा नहर के अन्तर्गत सोहवल वितरिका की महापार माइनर एवं सब माइनर के निर्माण हेतु ।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सतीश कुमार एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-9803-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.0026-अ-82-2025-26

हरदा, दिनांक 30 दिसम्बर 2025

भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

(क्रमांक-30 सन् 2013) अंतर्गत धारा-11)

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में नर्मदापुरम-टिमरनी मार्ग उन्नयन एवं निर्माण मार्ग के चौड़ीकरण एवं विस्तारीकरण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 अंतर्गत धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति-इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य नर्मदापुरम-टिमरनी मार्ग के चौड़ीकरण एवं विस्तारीकरण उन्नयन एवं निर्माण के लिए है, मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की, धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

-अनुसूची (1):-

| विवरण                                                 | अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| नर्मदापुरम-टिमरनी मार्ग उन्नयन एवं निर्माण कार्य हेतु | 1.194 निजी                                           |

-अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

- (क) जिला - हरदा  
(ख) तहसील - टिमरनी  
(ग) ग्राम - छिंदगांव मेल  
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल - 1.194 हे.

| क्र. सं. | सर्वेक्षण संख्या | अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा(हेक्टर में) | धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी                      | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                            |
|----------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1        | 2                | 3                                     | 4                                                          | 5                                                     |
| 1        | 64/1             | 0.280                                 | संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम नर्मदापुरम (म.प्र.) | नर्मदापुरम-टिमरनी मार्ग उन्नयन एवं निर्माण कार्य हेतु |
| 2        | 64/4             | 0.264                                 |                                                            |                                                       |
| 3        | 66/7             | 0.165                                 |                                                            |                                                       |
| 4        | 66/6             | 0.083                                 |                                                            |                                                       |
| 5        | 66/4             | 0.189                                 |                                                            |                                                       |
| 6        | 107/2            | 0.020                                 |                                                            |                                                       |
| 7        | 107/3            | 0.020                                 |                                                            |                                                       |
| 8        | 106/2            | 0.160                                 |                                                            |                                                       |
| 9        | 105              | 0.013                                 |                                                            |                                                       |
|          | कुल रकबा         | 1.194                                 |                                                            |                                                       |

अधिनियम की धारा-15(1) अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) अनुभाग टिमरनी के समक्ष आपेक्षों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) अनुभाग टिमरनी कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-9805-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.0019-अ-82-2025-26

**भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013**

(क्रमांक-30 सन् 2013)अंतर्गत धारा-11)

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में नर्मदापुरम-टिमरनी मार्ग उन्नयन एवं निर्माण मार्ग के चौड़ीकरण एवं विस्तारीकरण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 अंतर्गत धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति-इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य नर्मदापुरम-टिमरनी मार्ग के चौड़ीकरण एवं विस्तारीकरण उन्नयन एवं निर्माण के लिए है, मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची(1):-

| विवरण                                                 | अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| नर्मदापुरम-टिमरनी मार्ग उन्नयन एवं निर्माण कार्य हेतु | 0.074 निजी                                           |

-:अनुसूची (2):-

**(1) भूमि का विवरण**

- (क) जिला - हरदा  
(ख) तहसील - टिमरनी  
(ग) ग्राम - टिमरनी  
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल - 0.074 हे.

|   |          |       |                                                            |                                                       |
|---|----------|-------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | 70       | 0.074 | संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम नर्मदापुरम (म.प्र.) | नर्मदापुरम-टिमरनी मार्ग उन्नयन एवं निर्माण कार्य हेतु |
|   | कुल रकबा | 0.074 |                                                            |                                                       |

अधिनियम की धारा-15(1) अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) अनुभाग टिमरनी के समक्ष आपेक्षों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) अनुभाग टिमरनी कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सिद्धार्थ जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

पन्ना, दिनांक 5 दिसम्बर 2025

प्रकरण क्रमांक 0015/अ-82 वर्ष 2025-26 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन:-

|     |           |   |                  |
|-----|-----------|---|------------------|
| (क) | जिला      | — | पन्ना            |
| (ख) | तहसील     | — | रैपुरा           |
| (ग) | ग्राम     | — | सलैया समारी      |
| (घ) | क्षेत्रफल | — | 0.1270 हेक्टेयर, |

| क्रमांक | खसरा नम्बर  | कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में | भूमि का प्रकार |
|---------|-------------|------------------------------|----------------|
| 1       | 2           | 3                            | 4              |
| 1       | 830/1/1     | 0.9450                       | निजी भूमि      |
| 2       | 829         | 0.0325                       | निजी भूमि      |
| योग     | कुल किता-02 | 0.1270 हे०                   |                |

- [2] सलैया बैराज योजना से बैराज निर्माण कार्य हेतु धारा-19 का प्रकाशन ग्राम सलैया समारी तहसील रैपुरा अनुभाग शाहनगर जिला पन्ना।
- [3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग पन्ना जिला पन्ना में किया जा सकता है।

पन्ना, दिनांक 8 दिसम्बर 2025

प्रकरण क्रमांक 0006/अ-82 वर्ष 2025-26 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला — पन्ना  
(ख) तहसील — अजयगढ़  
(ग) ग्राम — मझगांव  
(घ) क्षेत्रफल — 1.020 हेक्टेयर,

| क्रमांक | खसरा नम्बर | कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में | भूमि का प्रकार |
|---------|------------|------------------------------|----------------|
| 1       | 2          | 3                            | 4              |
| 1       | 932/1      | 1.020                        | निजी भूमि      |
|         | योग        | 1.020 हे०                    |                |

- {2} मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत पंप हाउस निर्माण में प्रभावित भूमि के भूमि अर्जन धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम मझगांव तह० अजयगढ़ जिला पन्ना।  
{3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऊषा परमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

क्र.-2102-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-2025-रा.मा.क्र-05-अ-82-2025-26

गोटेगांव, दिनांक 1 जनवरी 2026

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन बाँध जल संसाधन संभाग क्र. 01 चौरई, जिला-छिंदवाड़ा (म.प्र.) को शेर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के अंतर्गत बाँध क्र. 03 के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि शेर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के अंतर्गत बाँध क्र. 03 की पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्ताव क्रमांक IA/MP/RIV/515497/2024 राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 की उपधारा-2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

**अनुसूची - 1**

1. परियोजना का नाम शेर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना बाँध क्र. 03 निर्माण हेतु ।

2. भूमि का विवरण: -

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1. जिला                     | : नरसिंहपुर    |
| 2. तहसील                    | : गोटेगांव     |
| 3. ग्राम                    | : शेढ़ पिपरिया |
| 4. प.ह.न.                   | : 89           |
| 5. नं. बंदोबस्त             | : 588          |
| 6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : 3.292 हेक्ट. |

## अनुसूची-2

| स. क्र. | खातेदार का नाम, पिता/पति का नाम                                                                                                                                                                             | खसरा नं.                    | कुल रकबा (हे. में) | अर्जित रकबा (हे. में) |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1       | रूपलाल पिता संतराम, मीराबाई पिता संतराम, जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी                                                                                               | 153(S)                      | 0.999              | 0.150                 |
| 2       | पित्तोबाई, बत्तीबाई, रेवतीबाई पिता हरि जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी                                                                                                 | 154(S)                      | 0.417              | 0.417                 |
| 3       | रूपलाल पिता संतराम, मीराबाई पिता संतराम, जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी                                                                                               | 155(S)                      | 0.458              | 0.200                 |
| 4       | गोरेलाल पिता गुलाब जाति मेहरा सा. देह सेवा खातेदार ग्राम नौकर                                                                                                                                               | 159(S)                      | 0.142              | 0.010                 |
| 5       | श्यामलाल पिता धुरका जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी                                                                                                                    | 160(S)                      | 0.089              | 0.040                 |
| 6       | रामकुमारी बेवा डब्बूलाल, हंसोबाई पिता डब्बूलाल जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी                                                                                         | 161/2(S)<br>168/1,<br>169/4 | 0.489              | 0.489                 |
| 7       | शम्भू पिता हुबला जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी                                                                                                                       | 161/3(S)<br>168/2,<br>169/3 | 0.488              | 0.400                 |
| 8       | हुकम पिता डब्बू जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी                                                                                                                        | 162(S)                      | 0.441              | 0.200                 |
| 9       | हुकम पिता डब्बू जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी                                                                                                                        | 163/1(S)                    | 0.024              | 0.024                 |
| 10      | रमेश पिता रामचरन, इन्द्रेण कुमार ना.बा. पिता खुमान सिंह वली व. खुद मां रेमोबाई बेवा खुमानसिंह, अन्नोबाई मनोबाई कष्णावाई पिता छिकोडीलाल जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी | 163/2(S)                    | 0.081              | 0.081                 |
| 11      | ताराबाई बेवा दसई जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी                                                                                                                       | 163/3(S)                    | 0.061              | 0.061                 |
| 12      | गिन्दा पिता खिन्तू जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी                                                                                                                     | 164(S)                      | 0.711              | 0.580                 |
| 13      | गिन्दा पिता खिन्तू जाति गोंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी                                                                                                                     | 167(S)                      | 0.841              | 0.430                 |

|                |                                                                                                                     |                |              |              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 14             | मोतीलाल पिता रामदीन जाति गौंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी                            | 169 / 2(S)     | 0.223        | 0.050        |
| 15             | शम्भू पिता हुबला जाति गौंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी                               | 170 / 1(S)     | 0.057        | 0.040        |
| 16             | रामकुमारी बेवा डब्बूलाल, हंसोबाई पिता डब्बूलाल जाति गौंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी | 170 / 2(S)     | 0.056        |              |
| 17             | टेकसिंह पिता भारत गौंड पता शेढ़ पिपरिया गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी                                   | 171 / 1 / 3(S) | 0.725        | 0.120        |
| <b>कुल योग</b> |                                                                                                                     |                | <b>6.742</b> | <b>3.292</b> |

कुल निजी अर्जित भूमि 3.292 हे०

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 'भोपाल दिनांक-एफ 16-15 (7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. 01 चौरई, जिला-छिंदवाडा (म.प्र.) और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्रमांक-84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) अथवा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोटेगांव में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गोटेगांव कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

क्र.-2104-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-2025-रा.मा.क्र-06-अ-82-2025-26

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन बाँध जल संसाधन संभाग क्र. 01 चौरई, जिला-छिंदवाड़ा (म.प्र.) को शेर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के अंतर्गत बाँध क्र. 03 के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि शेर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के अंतर्गत बाँध क्र. 03 की पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्ताव क्रमांक IA/MP/RIV/515497/2024 राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 की उपधारा-2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

#### अनुसूची - 1

1. परियोजना का नाम शेर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना बाँध क्र. 03 निर्माण हेतु ।

2. भूमि का विवरण: -

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. जिला                     | : नरसिंहपुर     |
| 2. तहसील                    | : गोटेगांव      |
| 3. ग्राम                    | : बरगड़ा        |
| 4. प.ह.न.                   | : 90            |
| 5. नं. बंदोबस्त             | : 372           |
| 6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : 18.075 हेक्ट. |

## अनुसूची-2

| क्र.सं. | खातेदार का नाम/पिता का नाम/निवास पता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | खसरा नं.      | कुल रकबा<br>(हे.में) | अर्जित रकबा<br>(हे.में) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| 1       | सुमियाबाई, सुकोबाई, सतियाबाई, सुबत्री बाई गौड़,<br>हितियाबाई गौड़ पुत्री लालसिंह गौड़ लक्ष्मी बाई<br>टेकाम पुत्री हीरालाल रामचंद्र, रामगोपाल उइके,<br>रामकुमार पुत्र हीरालाल जाति गौड़ पता बरगड़ा<br>गोटेगांव, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी                                                                                                                          | 2/2(S)        | 2.023                | 1.900                   |
| 2       | शंभूलाल पिता रघुवीर, जाति गौड़ पता बरगड़ा<br>गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5/1(S)        | 0.403                | 0.010                   |
| 3       | शंभूलाल पिता रघुवीर, जाति गौड़ पता बरगड़ा<br>गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5/2(S)        | 0.403                | 0.050                   |
| 4       | फूलो बाई बेवा अन्नीलाल जाति गौड़ पता<br>बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि<br>स्वामी                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5/3(S)        | 0.202                | 0.010                   |
| 5       | हकोलाबाई गौड़ बेवा अमरसिंह लक्ष्मीबाई गौड़<br>बेवा हुकुम राजेन्द्र गौड़ पुत्र हुकुम रामप्यारी<br>गौड़ पुत्री हुकुम तुलसाबाई गौड़ पुत्री हुकुम<br>मानसिंह गौड़ पुत्र अमरसिंह रामबगस गौड़ पुत्र<br>अमर सिंह रूकमणिबाई गौड़ पुत्री अमरसिंह<br>रूपवतीबाई गौड़ पुत्री अमरसिंह सुखवती गौड़<br>पुत्री अमरसिंह जाति गौड़ पता बरगड़ा गोटेगांव<br>नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी | 8/2(S).<br>32 | 5.863                | 0.650                   |
| 6       | कोदूलाल पिता चेताराम जाति गौड़ पता बरगड़ा<br>गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10(S)         | 0.336                | 0.336                   |
| 7       | रंगलाल पिता चेताराम जाति गौड़ पता बरगड़ा<br>गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12/1(S)       | 0.506                | 0.506                   |
| 8       | मंगोबाई बेवा कन्धीलाल गौड़ सुरेश गौड़ पुत्र<br>कन्धीलाल गौड़ दिनेश गौड़ पुत्र कन्धीलाल गौड़<br>विलाबाई पुत्री कन्धीलाल गौड़ राधाबाई पुत्री<br>कन्धीलाल गौड़ अनिल गौड़ पुत्र कुन्ती बाई<br>गौड़ अनीता पुत्री कुन्तीबाई गौड़ विनीता पुत्री<br>कुन्तीबाई गौड़ जाति गौड़ पता बरगड़ा गोटेगांव<br>नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी                                             | 12/2(S)       | 0.580                | 0.580                   |
| 9       | फूलोबाई बेवा अन्नीलाल जाति गौड़ पता<br>बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि<br>स्वामी                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12/3(S)       | 0.581                | 0.581                   |
| 10      | श्रीराम पिता मुन्नीलाल गौड़ जाति गौड़ पता<br>बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि<br>स्वामी                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12/4(S)       | 0.505                | 0.505                   |

|    |                                                                                                  |                              |       |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------|
| 11 | कोदूलाल पिता चेताराम जाति गौंड पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी              | 14/1(S)                      | 0.405 | 0.150 |
| 12 | श्रीराम पिता मुन्नीलाल गौंड जाति गौंड पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी       | 14/3(S)                      | 0.416 | 0.200 |
| 13 | अमनकुमार पिता जगतसिंह जाति पटेल पता मुंगवानी नरसिंहपुर                                           | 16/1(S)                      | 0.775 | 6.560 |
| 14 | अमनकुमार पिता जगतसिंह जाति पटेल पता मुंगवानी नरसिंहपुर                                           | 17/1/1(S)                    | 0.712 |       |
| 15 | दीपांश पटेल पिता देवीसिंह जाति पटेल पता मुंगवानी नरसिंहपुर                                       | 17/1/2(S)                    | 0.288 |       |
| 16 | दीपांश पटेल पिता देवीसिंह जाति पटेल पता मुंगवानी नरसिंहपुर                                       | 22/1(S)                      | 1.2   |       |
| 17 | वक्तू, हुकमसिंह पुत्र बुद्धा यादव जाति अहीर पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी | 16/2(S),<br>17/2,22/2        | 3.147 |       |
| 18 | भगवानदास पिता जालमसिंह जाति अहीर पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी            | 16/3(S),<br>17/3,<br>22/3    | 0.767 |       |
| 19 | देवीसिंह बल्द पंचम सिंह सुधा पत्नी देवीसिंह जाति लोधी निवासी मुंगवानी तह. नरसिंहपुर              | 16/4(S),<br>17/4,<br>22/4    | 2.316 |       |
| 20 | भगवानदास पिता जालमसिंह जाति अहीर पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी            | 16/5(S),<br>17/5,<br>22/5    | 0.180 |       |
| 21 | मानसिंह पिता जालमसिंह जाति अहीर पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी             | 16/6(S),<br>17/6,<br>22/6    | 0.768 |       |
| 22 | मानसिंह पिता जालमसिंह जाति अहीर पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी             | 16/7(S),<br>17/7,<br>22/7    | 0.18  |       |
| 23 | धनपतसिंह पिता कोमलसिंह जाति अहीर पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी            | 16/8(S),<br>17/8,<br>22/8    | 0.686 |       |
| 24 | धनपतसिंह पिता कोमलसिंह जाति अहीर पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी            | 16/9(S),<br>17/9,<br>22/9    | 0.767 |       |
| 25 | गनपतसिंह पिता कोमलसिंह जाति अहीर पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी            | 16/10(S),<br>17/10,<br>22/10 | 0.685 |       |
| 26 | गनपतसिंह पिता कोमलसिंह जाति अहीर पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी            | 16/11(S),<br>17/11,<br>22/11 | 0.768 |       |

|    |                                                                                          |                              |       |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------|
| 27 | नारायण पिता जालमसिंह जाति अहीर पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी      | 16/12(S),<br>17/12,<br>22/12 | 1.011 |       |
| 28 | सुशीलाबाई पुत्री नन्हेलाल जाति अहीर पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी | 16/13(S),<br>17/13,<br>22/13 | 0.405 |       |
| 29 | रामचरण पिता वक्तु जाति अहीर पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी         | 16/14(S),<br>17/14,<br>22/14 | 1.535 |       |
| 30 | गंगाराम पिता वक्तु जाति अहीर पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी        | 16/15(S),<br>17/15,<br>22/15 | 1.535 |       |
| 31 | हुकुमसिंह पिता अमरसिंह जाति गौंड भू-स्वामी बरगड़ा                                        | 18/1(S)                      | 2.223 | 0.040 |
| 32 | मानसिंह पिता अमरसिंह जाति गौंड पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी      | 18/2(S)                      | 2.180 | 0.050 |
| 33 | परसादी पिता सूरत जाति गौंड पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी          | 23(S)                        | 1.214 | 0.130 |
| 34 | हीरालाल पिता भोपाल सिंह अहीर निवासी घोघरा गोटेगांव नरसिंहपुर                             | 26/1(S)                      | 1.641 | 0.100 |
| 35 | ओमकार पिता भोपालसिंह जाति अहीर निवासी घोघरा गोटेगांव नरसिंहपुर                           | 26/2(S)                      | 1.641 |       |
| 36 | बसोरीलाल पिता गोकल जाति गौंड पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी        | 38/2(S)                      | 1.528 | 0.220 |
| 37 | भदई पिता सुमेर जाति गौंड पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी            | 38/3(S)                      | 0.395 | 0.395 |
| 38 | त्रिलोकसिंह पिता भदई जाति गौंड पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी      | 38/4(S)                      | 0.800 | 0.450 |
| 39 | जगदीश प्रसाद पिता भदई जाति गौंड पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी     | 38/5(S)                      | 0.800 | 0.800 |
| 40 | स्वामी पिता भदई जाति गौंड पता बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी           | 38/6(S)                      | 0.800 | 0.800 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |               |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 41 | मंगोबाई बेवा कन्धीलाल गौड़ सुरेश गौड़ पुत्र<br>कन्धीलाल गौड़ दिनेश गौड़ पुत्र कन्धीलाल गौड़<br>विल्लाबाई पुत्री कन्धीलाल गौड़ राधाबाई पुत्री<br>कन्धीलाल गौड़ अनिल गौड़ पुत्र कुन्तीबाई गौड़<br>अनीता पुत्री कुन्तीबाई गौड़ विनीता पुत्री<br>कुन्तीबाई गौड़ जाति गौड़ पता बरगड़ा गोटेगांव<br>नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी | 49/1(S)  | 0.209         | 0.209         |
| 42 | मंगोबाई बेवा कन्धीलाल गौड़ सुरेश गौड़ पुत्र<br>कन्धीलाल गौड़ दिनेश गौड़ पुत्र कन्धीलाल गौड़<br>विल्लाबाई पुत्री कन्धीलाल गौड़ राधाबाई पुत्री<br>कन्धीलाल गौड़ अनिल गौड़ पुत्र कुन्तीबाई गौड़<br>अनीता पुत्री कुन्तीबाई गौड़ विनीता पुत्री<br>कुन्तीबाई गौड़ जाति गौड़ पता बरगड़ा गोटेगांव<br>नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी | 49/2(S)  | 0.104         | 0.104         |
| 43 | मंगोबाई बेवा कन्धीलाल गौड़ सुरेश गौड़ पुत्र<br>कन्धीलाल गौड़ दिनेश गौड़ पुत्र कन्धीलाल गौड़<br>विल्लाबाई पुत्री कन्धीलाल गौड़ राधाबाई पुत्री<br>कन्धीलाल गौड़ अनिल गौड़ पुत्र कुन्तीबाई गौड़<br>अनीता पुत्री कुन्तीबाई गौड़ विनीता पुत्री<br>कुन्तीबाई गौड़ जाति गौड़ पता बरगड़ा गोटेगांव<br>नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी | 49/3(S)  | 0.104         | 0.104         |
| 44 | संतोष पिता रघुवीर जाति गौड़ पता बरगड़ा<br>गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                           | 50/2(S)  | 0.975         | 0.975         |
| 45 | संतोष पिता रघुवीर जाति गौड़ पता बरगड़ा<br>गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                           | 50/8(S)  | 0.876         | 0.250         |
| 46 | फूलोबाई पत्नी अन्नीलाल जाति गौड़ पता<br>बरगड़ा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि<br>स्वामी                                                                                                                                                                                                                                   | 50/10(S) | 0.430         | 0.430         |
| 47 | मंगोबाई बेवा कन्धीलाल गौड़ सुरेश गौड़ पुत्र<br>कन्धीलाल गौड़ दिनेश गौड़ पुत्र कन्धीलाल गौड़<br>विल्लाबाई पुत्री कन्धीलाल गौड़ राधाबाई पुत्री<br>कन्धीलाल गौड़ अनिल गौड़ पुत्र कुन्तीबाई गौड़<br>अनीता पुत्री कुन्तीबाई गौड़ विनीता पुत्री<br>कुन्तीबाई गौड़ जाति गौड़ पता बरगड़ा गोटेगांव<br>नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी | 62/1(S)  | 0.092         | 0.092         |
| 48 | पानाबाई बेवा सीताराम जाति गौड़ पता बरगड़ा<br>गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                        | 62/2(S)  | 0.369         | 0.030         |
| 49 | पीतम पिता वीरवल जाति गौड़ पता बरगड़ा<br>गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                             | 62/3(S)  | 0.092         | 0.022         |
| 50 | पीतम पिता वीरवल जाति गौड़ पता बरगड़ा<br>गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी                                                                                                                                                                                                                                             | 63(S)    | 0.336         | 0.336         |
|    | <b>कुल योग</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | <b>46.757</b> | <b>18.075</b> |

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 'भोपाल दिनांक-एफ 16-15 (7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. 01 चौरई, जिला-छिंदवाडा (म.प्र.) और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी सव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्रमांक-84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) अथवा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोटेगांव में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गोटेगांव कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

क्र.-29-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-2025-रा.मा.क्रं.0004-अ-82-2025-26

नरसिंहपुर, दिनांक 5 जनवरी 2026

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification NO.- EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक- 30.01.2023 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 की उपधारा-2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

### अनुसूची-1

1. परियोजना का नाम : चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना।
1. भूमि का विवरण
  2. जिला : नरसिंहपुर
  3. तहसील : गाडरवारा
  4. ग्राम : बडियाघाट
  5. प.ह.नं. : 69
  6. नं.ब. : 276
  7. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.249 हे.

### अनुसूची- 2

| क्र. | हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता                                          | स्वामित्व का प्रकार | खसरा नंबर | अर्जित रकबा हे. में |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 1    | 2                                                                       | 3                   | 4         | 5                   |
| 1.   | प्रिवेन्द्र कुमार पिता रामानुजप्रसाद जाति ब्रा पता नरसिंहपुर मध्यप्रदेश | भूमिस्वामी          | 9(S)      | 0.060               |
| 2.   | श्रीराम साहू पिता मनोहरलाल साहू जाति साहू पता इन्दौर मध्यप्रदेश         | भूमिस्वामी          | 13/1/1(S) | 0.223               |
|      |                                                                         |                     | 13/1/2(S) |                     |
|      |                                                                         |                     | 14(S)     | 0.004               |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                   |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------|
| 3. | कैलाश प्रसाद पिता नारायण प्रसाद जाति मिश्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | भूमिस्वामी | 13/2(S)           | 0.004 |
| 4. | रामेश्वर प्रसाद पिता रघुवरप्रसाद जाति मिश्रा पता गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | भूमिस्वामी | 154/1(S)<br>154/2 | 0.080 |
| 5. | प्रभूदयाल पिता लालजी जाति ब्रा. पता गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश,<br>वंशीधर पिता लालजी जाति ब्रा. पता गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश,<br>मुकेश पिता शंकरलाल जाति ब्रा. पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश,<br>सुकुमारी पिता लालजी जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश,<br>सुनीता पिता जगदीश जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश,<br>अजय पिता शंकरलाल जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश,<br>वीरेन्द्र पिता शंकरलाल जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश,<br>मिथलेश पिता जगदीश जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश,<br>मदन कुमार पिता जगदीश ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश,<br>समता बेवा रामचरन जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश,<br>मोहनलाल पिता जगदीश जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश,<br>राजकुमारी पिता लालजी जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश,<br>सुमित्राबाई बेवा शंकरलाल ब्रा. पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश,<br>संतोष पिता जगदीश जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश,<br>निर्मला पिता जगदीश जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश,<br>साकेत पिता रामचरन जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश,<br>सुरेन्द्र पिता शंकरलाल जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश,<br>शीतला पिता जगदीश जाति ब्रा. पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश,<br>मीराबाई पिता जगदीश जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश,<br>मालती पिता लालजी जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश, | भूमिस्वामी | 156(S)            | 0.050 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                      |                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------|
|         | राकेश पिता शंकरलाल जाति ब्रा. पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश,<br>संजय पिता जगदीश जाति ब्रा. पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश,<br>महेन्द्र पिता शंकरलाल जाति ब्रा. पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश,<br>रामरतन पिता जगदीश जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश,<br>सहोद्रीबाई पिता श्यामलाल जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश,<br>विमलाबाई पिता श्यामलाल जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश,<br>भूपेन्द्र पिता शंकरलाल जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश<br>मनोहर पिता लालजी जाति ब्रा पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी |            |                      |                |
| 6.      | संजय उर्फ मनीष पिता जगदीश प्रसाद जाति ब्राम्हण पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | भूमिस्वामी | 157/1(S)             | 0.030          |
| 7.      | मदन कुमार पिता जगदीश प्रसाद पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | भूमिस्वामी | 157/2(S)             | 0.030          |
| 8.      | दुर्गाबाई बेवा भैयाजी जाति दुबे, अम्बिका प्रसाद उर्फ बट्टलाल पिता भैया जी जाति दुबे, ओमप्रकाश उर्फ राजेश कुमार पिता भैया जी जाति दुबे, भूरीबाई पिता भैयाजी जाति दुबे, पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भूमिस्वामी | 158/1(S)             | 0.105          |
| 9.      | कमलेश पिता रामेश्वर प्रसाद ब्रा. पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भूमिस्वामी | 158/3(S)<br>160/3(S) | 0.080<br>0.008 |
| 10.     | दिनेश कुमार पिता रामेश्वर प्रसाद ब्रा. पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | भूमिस्वामी | 160/1(S)             | 0.032          |
| 11.     | धन्नोबाई पति सरदार जाति धानक पता बड़ियाघाट नरसिंहपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | भूमिस्वामी | 178(S)               | 0.240          |
| 12.     | राजेश पिता छोटेवीर जाति दुबे, नरेश पिता छोटेवीर जाति दुबे, विजय पिता छोटेवीर जाति दुबे पता बड़ियाघाट गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | भूमिस्वामी | 186(S)<br>187<br>188 | 0.263          |
| 13.     | शिवकुमार पिता साहबलाल नौरिया जाति नौरिया बरमान कलां गाडरवारा नरसिंहपुर मध्यप्रदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भूमिस्वामी | 184/1(S)             | 0.040          |
| कुल योग |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                      | 1.249          |

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15(7)-2014-सात-शा. 2ए भोपाल दिनांक- 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर (कक्ष क्रं. 84, भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गाडरवारा के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गाडरवारा) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुविभाग गाडरवारा कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रजनी सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह,  
जिला खरगोन, मध्यप्रदेश**

प.क्र.-178-रीडर-1-2026

बड़वाह, दिनांक 8 जनवरी 2026

प्रारूप- "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2)]

क्रमांक- 0163 / B-121/2025-26 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन "बृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम :- लछोरा, प.ह.नं. 73,, रा.नि.मं.-03, कानापुर, तहसील -सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) मध्यप्रदेश राज्य में वरिष्ठ प्रबंधक (यांत्रिकी उत्थापन), एन.टी.पी.सी. लिमिटेड खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

**:: अनुसूची ::**

| जिला    | तहसील | ग्राम / पटवारी<br>हल्का क्रमांक   | खसरा<br>क्रमांक | उपयोग के अधिकार<br>के लिये अर्जित की<br>जाने वाली भूमि<br>(हेक्टेयर में) |
|---------|-------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2     | 3                                 | 4               | 5                                                                        |
| खरगोन   | सनावद | ग्राम :-<br>लछोरा,<br>प.ह.नं. 73, | 72/6            | 0.088                                                                    |
|         |       |                                   | 72/5            | 0.074                                                                    |
|         |       |                                   | 72/4            | 0.005                                                                    |
|         |       |                                   | 25/3            | 0.479                                                                    |
|         |       |                                   | 25/5            | 0.053                                                                    |
|         |       |                                   | 25/4            | 0.053                                                                    |
|         |       |                                   | 25/6            | 0.010                                                                    |
|         |       |                                   | 25/1            | 0.410                                                                    |
|         |       |                                   | 24/4/2          | 0.125                                                                    |
|         |       |                                   | 24/2/3          | 0.260                                                                    |
|         |       |                                   | 10/3            | 0.310                                                                    |
|         |       |                                   | 9               | 0.220                                                                    |
|         |       |                                   | 8               | 0.360                                                                    |
|         |       |                                   | 3               | 0.015                                                                    |
|         |       |                                   | 6/1             | 0.368                                                                    |
|         |       |                                   | 6/2/1           | 0.012                                                                    |
|         |       |                                   | 4/2/1           | 0.041                                                                    |
|         |       |                                   | 4/2/2           | 0.050                                                                    |
|         |       |                                   | 4/2/3           | 0.010                                                                    |
| कुल योग |       |                                   | 19              | 2.943                                                                    |

प.क्र.-171-रीडर-1-2026

प्रारूप- "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2)]

क्रमांक- 0164 /B-121/2025-26 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन 'बृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम :- दाभड़, प.ह.नं. 73,, रा.नि.मं.-03, कानापुर, तहसील -सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) मध्यप्रदेश राज्य में वरिष्ठ प्रबंधक (यांत्रिकी उत्पादन), एन.टी.पी.सी. लिमिटेड खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

## :: अनुसूची ::

| जिला    | तहसील | ग्राम / पटवारी<br>हल्का क्रमांक   | खसरा<br>क्रमांक | उपयोग के अधिकार<br>के लिये अर्जित की<br>जाने वाली भूमि<br>(हेक्टेयर में) |
|---------|-------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2     | 3                                 | 4               | 5                                                                        |
| खरगोन   | सनावद | ग्राम :-<br>दाभड़,<br>प.ह.नं. 73, | 174/3           | 0.490                                                                    |
|         |       |                                   | 176/1           | 0.110                                                                    |
|         |       |                                   | 177/5           | 0.265                                                                    |
|         |       |                                   | 177/2           | 0.018                                                                    |
|         |       |                                   | 176/2           | 0.101                                                                    |
|         |       |                                   | 110             | 0.500                                                                    |
|         |       |                                   | 165             | 0.220                                                                    |
|         |       |                                   | 151/1           | 0.215                                                                    |
|         |       |                                   | 151/2           | 0.020                                                                    |
|         |       |                                   | 150/1           | 0.205                                                                    |
|         |       |                                   | 144             | 0.290                                                                    |
|         |       |                                   | 145             | 0.365                                                                    |
|         |       |                                   | 126/5           | 0.067                                                                    |
|         |       |                                   | 128             | 0.165                                                                    |
|         |       |                                   | 129/2           | 0.110                                                                    |
|         |       |                                   | 127             | 0.133                                                                    |
|         |       |                                   | 135/4           | 0.014                                                                    |
|         |       |                                   | 135/1/1         | 0.315                                                                    |
|         |       |                                   | 135/1/2         | 0.200                                                                    |
|         |       |                                   | 133/3           | 0.180                                                                    |
| कुल योग |       |                                   | 20              | 3.983                                                                    |

सत्यनारायण दारो, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी .

## कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम भू-अर्जन अधिकारी, बागली जिला देवास, मध्यप्रदेश

क्र.-H.N.-719-भू-अर्जन-2025

बागली, दिनांक 26 दिसम्बर 2025

प्रारूप- "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2) के तहत ]

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 मण्डलेश्वर जिला खरगौन म0प्र0 का पत्र क्रमांक 2502 दिनांक 28/07/2025 के अनुसार राज्य सरकार के लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आई.एस.पी. कालीसिंध चरण-II लिफ्ट माइक्रो उद्भवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ़ जिले में जल परिवहन के लिए 110000 हे. कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी जिसके लिए आवश्यक जल परिवहन हेतु देवास जिले में ग्राम फांगटी तहसील हाटपीपल्या में " मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) के अंतर्गत ग्राम गोला में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाना है।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा या प्रस्तुत कर सकेगा :-

### अनुसूची

अनुसूच

| जिला  | तहसील      | ग्राम/पटवारी<br>हल्का क्रं. | खसरा क्रमांक | उपयोगिता के अधिकार के लिए अर्जन<br>की जाने वाली भूमि हे. में |
|-------|------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| देवास | हाटपीपल्या | फांगटी                      | 54           | 0.044                                                        |
|       |            |                             | 53/1/1       | 0.02                                                         |
|       |            |                             | 53/1/2       | 0.05                                                         |
|       |            |                             | 53/2         | 0.023                                                        |
|       |            |                             | 49           | 0.026                                                        |
|       |            |                             | 48           | 0.024                                                        |
|       |            |                             | 50           | 0.033                                                        |
|       |            |                             | 33           | 0.01                                                         |
|       |            |                             | 47           | 0.016                                                        |
|       |            |                             | 31/1         | 0.034                                                        |
|       |            |                             | 31/2         | 0.011                                                        |
|       |            |                             | 31/4         | 0.034                                                        |
|       |            |                             | 3            | 0.098                                                        |
|       |            |                             | 2/1          | 0.144                                                        |
|       |            |                             | 1/1          | 0.03                                                         |
|       |            |                             | 374          | 0.082                                                        |
| योग   |            |                             |              | 0.679                                                        |

क्र.-H.N.-720-भू-अर्जन-2025

प्रारूप- "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2) के तहत ]

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 मण्डलेश्वर जिला खरगौन म0प्र0 का पत्र क्रमांक 1216/कार्य/मण्डलेश्वर दिनांक 04.04.2025 से आई.एस.पी. कालीसिंध चरण-II लिफ्ट माइक्रो उद्वहन मिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ़ जिले में जल परिवहन के लिए 110000 हे. कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी जिसके लिए आवश्यक जल परिवहन हेतु देवास जिले में ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील हाटपिपल्या में " मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 मन् 2013) के अंतर्गत ग्राम लक्ष्मीपुरा में भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाना है।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 मन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा या प्रस्तुत कर सकेगा :-

| क्र. | भूमिस्वामी का नाम                                                  | सर्वे नम्बर | रकबा  | केबल एवं डक्ट एक्ट के तहत अर्जित कि जाने वाली भूमि का रकबा |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                  | 3           | 4     | 5                                                          |
| 1    | प्रहलादसिंह पिता नंदा जाति बलाई भूमिस्वामी निवासी ग्राम            | 274         | 0.06  | 0.0133                                                     |
| 2    | प्रहलादसिंह पिता नंदा जाति बलाई भूमिस्वामी निवासी ग्राम            | 275         | 0.17  | 0.0091                                                     |
| 3    | रविन्द्र पिता गोपी जाति बलाई भूमिस्वामी निवासी ग्राम               | 400         | 0.61  | 0.0746                                                     |
| 4    | सुरेन्द्रसिंह पिता गोपी जाति बलाई भूमिस्वामी निवासी ग्राम          | 401         | 0.60  | 0.1013                                                     |
| 5    | पप्पुसिंह पिता प्रहलाद जाति बलाई भूमिस्वामी निवासी ग्राम           | 402         | 0.61  | 0.0853                                                     |
| 6    | लखन पिता प्रहलाद जाति बलाई भूमिस्वामी निवासी ग्राम                 | 404         | 0.98  | 0.0161                                                     |
| 7    | हरिसिंह पिता फुलसिंह जाति बलाई भूमिस्वामी निवासी ग्राम             | 405         | 1.57  | 0.0377                                                     |
| 8    | बबुलाल पिता शंकरलाल यादव जाति अहिर भूमिस्वामी निवासी ग्राम खुजरिया | 406/1       | 0.385 | 0.0571                                                     |
| 9    | अनारसिंह पिता फुलसिंह जाति राजपुत भूमिस्वामी निवासी ग्राम          | 406/2       | 0.385 | 0.0496                                                     |
| 10   | लक्ष्मणसिंह पिता फुलसिंह जाति राजपुत भूमिस्वामी                    | 406/3       | 0.385 | 0.0518                                                     |
| 11   | हरिसिंह पिता फुलसिंह जाति राजपुत भूमिस्वामी निवासी ग्राम           | 406/4       | 0.385 | 0.0027                                                     |
| 12   | गोवर्धन पिता पन्नालाल जाति चमार भूमिस्वामी निवासी ग्राम            | 416         | 0.40  | 0.1059                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                    |          |      |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------|
| 13 | काशीराम पिता गणपत, पुरुषोत्तम, विष्णुदत्त, रुघनाथ, मनोहर पिता दत्तात्रेय जाति ब्राह्मण सत्यकामा बाई बेवा माधवराव, नारायणराव पिता दामोदरराव जाति ब्राह्मण भूमिस्वामी निवासी कमलापुर | 419      | 0.56 | 0.038         |
| 14 | कैलाश पिता रामचंदर जाति खाती भूमिस्वामी निवासी ग्राम खाती पिपल्या इंदौर                                                                                                            | 421      | 1.31 | 0.0684        |
| 15 | गीताबाई बेवा सुनिल, अमित, सोनु, मोनु पिता सुनिल जाति खाती भूमिस्वामी निवासी 106 खातीपुरा सुखलिया इंदौर                                                                             | 422      | 1.31 | 0.0998        |
| 16 | रवि पिता कन्हैयालाल जाति अहिर निवासी ग्राम भूमिस्वामी                                                                                                                              | 429 / 1  | 0.50 | 0.0792        |
| 17 | कन्हैयालाल पिता हीरालाल जाति अहीर भूमिस्वामी निवासी ग्राम                                                                                                                          | 429 / 2  | 0.70 | 0.0043        |
| 18 | मनोहर पिता हीरालाल जाति अहीर भूमिस्वामी निवासी ग्राम                                                                                                                               | 430      | 1.21 | 0.0894        |
| 19 | मेहबुब हुसैन पिता अब्दुल हुसैन जाति पिंजारा भूमिस्वामी निवासी आगुर्ली बागली                                                                                                        | 432 / 11 | 0.10 | 0.0357        |
| 20 | शहजाद हुसैन मंसुरी पिता पीर मोहम्मद जाति पिंजारा भूमिस्वामी निवासी आगुर्ली                                                                                                         | 433 / 9  | 0.07 | 0.0095        |
| 21 | चम्पालाल पिता हीरालाल जाति अहिर भूमिस्वामी निवासी ग्राम                                                                                                                            | 436      | 2.06 | 0.0876        |
|    | योग :-                                                                                                                                                                             |          |      | <b>1.1164</b> |

1 जिले का नाम - देवास

2 तहसील- हाटपिपल्या

3 ग्राम- लक्ष्मीपुरा

4 अर्जित रकबा - 1.1164

5 भूमि - सिंचित/असिंचित

6 अर्जित भूमि में स्थित अन्य संपत्ति - निरंक

7 किस कार्य के लिए भूमि अर्जन की जा रही है - आई.एम.पी. कालीसिंध चरण-II लिफ्ट माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ़ जिले में जल परिवहन के लिए 110000 हे. कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी।

क्र.-H.N.-721-भू-अर्जन-2025

प्रारूप- "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2) के तहत ]

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 मण्डलेश्वर जिला खरगौन म0प्र0 का पत्र क्रमांक 1090 दिनांक 25/03/2025 के अनुसार राज्य सरकार के लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आई.एम.पी. कालीसिंध चरण-II लिफ्ट माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ़ जिले में जल परिवहन के लिए 110000 हे. कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी जिसके लिए आवश्यक जल परिवहन हेतु देवास जिले में ग्राम आमलाताज तहसील हाटपिपल्या में " मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत ग्राम आमलाताज में भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाना है।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा या प्रस्तुत कर सकेगा :-

| क्र. | ग्राम का नाम | भूमि स्वामी/अधिभोगी का नाम               | खसरा नंबर | कुल क्षेत्रफल हे. में. | भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के लिये उपभोक्ता के अधिकार के लिये आपेक्षित भूमि (हे. में) |
|------|--------------|------------------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | आमलाताज      | राजेन्द्रसिंह, नरेन्द्रसिंह पिता मानसिंह | 1491      | 0.4800                 | 0.130                                                                                            |

1 जिले का नाम - देवास

2 तहसील- हाटपिपल्या

3 ग्राम- आमलाताज

4 खसरा क्रमांक- 1491

5 भूमि का रकबा- 0.4800

6 अर्जित रकबा - 0.130

6 भूमि - सिंचित

7 अर्जित भूमि में स्थित अन्य संपत्ति - निरंक

8 किस कार्य के लिए भूमि अर्जन की जा रही है - आई.एम.पी. कालीसिंध चरण-II लिफ्ट माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ़ जिले में जल परिवहन के लिए 110000 हे. कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी।

क्र.-H.N.-722-भू-अर्जन-2025

प्रारूप- "ख"

## [नियम-5 का उपनियम (2) के तहत ]

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 मण्डलेश्वर जिला खरगौन म0प्र0 का पत्र क्रमांक 1221/कार्य/मण्डलेश्वर दिनांक 04.04.2025 से आई.एस.पी. कालीसिंध चरण-II लिफ्ट माइक्रो उद्भवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ़ जिले में जल परिवहन के लिए 110000 हे. कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी जिसके लिए आवश्यक जल परिवहन हेतु देवास जिले में ग्राम पालखा तहसील हाटपिपल्या में " मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केवल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 मन् 2013) के अंतर्गत ग्राम पालखा में भूमिगत पाइपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाई जाना है।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केवल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 मन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा या प्रस्तुत कर सकेगा :-

| क्र. | भूमि स्वामी का नाम                                                                                                                                  | सर्वे नंबर | कुल रकबा | केवल एवं डक्ट एक्ट के तहत अर्जित भूमि का रकबा |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                   | 3          | 4        | 5                                             |
| 1    | मायाबाई पति नरेन्द्रसिंह जाति राजपुत, भूमि स्वामी निवासी ग्राम, नवीनगुमा पिता सत्यनारायण गुप्ता, जाति गुप्ता, मानवता नगर सूख सागर अपार्टमेंट, इंदौर | 551        | 0.60     | 0.0557                                        |
| 2    | अनुराग डेंगुला पिता रामस्वरुप डेंगुला, जाति ब्राह्मण गौरव गुप्ता पिता सीताराम जाति अग्रवाल, प्रेम रावत पिता गणपत रावत, जाति भिलाला                  | 130        | 1.04     | 0.0081                                        |
| 3    | अमन पिता रामनारायण, जाति अहिर, भूमिस्वामी पता निवासी-ग्राम                                                                                          | 133        | 1.00     | 0.0223                                        |
| 4    | अंकित पिता रामनारायण, जाति अहिर, भूमिस्वामी पता निवासी ग्राम                                                                                        | 132        | 0.84     | 0.1134                                        |
| 5    | रामनारायण पिता नानुराम, जाति अहिर, भूमिस्वामी पता निवासी ग्राम                                                                                      | 548        | 0.40     | 0.0385                                        |
| 6    | भारत पिता बनेसिंह, जाति राजपुत, भूमिस्वामी पता खेड़ा खजूरिया, जिला उज्जैन                                                                           | 546        | 0.35     | 0.0227                                        |
| 7    | भारत पिता बनेसिंह, जाति राजपुत, भूमिस्वामी पता खेड़ा खजूरिया, जिला उज्जैन                                                                           | 542        | 1.05     | 0.0648                                        |
| 8    | जितेन्द्रसिंह पिता तेजपालसिंह, जाति राजपुत, भूमिस्वामी निवासी ग्राम                                                                                 | 545        | 0.49     | 0.0153                                        |
| 9    | जितेन्द्रसिंह पिता तेजपालसिंह, जाति राजपुत, भूमिस्वामी निवासी ग्राम                                                                                 | 544        | 1.46     | 0.0531                                        |
| 10   | जितेन्द्रसिंह पिता तेजपालसिंह, जाति राजपुत, भूमिस्वामी निवासी ग्राम                                                                                 | 543        | 1.47     | 0.0536                                        |
| 11   | जितेन्द्रसिंह पिता तेजपालसिंह, जाति राजपुत, भूमिस्वामी निवासी ग्राम                                                                                 | 535        | 0.28     | 0.0187                                        |
| 12   | जितेन्द्रसिंह पिता तेजपालसिंह, जाति राजपुत, भूमिस्वामी निवासी ग्राम                                                                                 | 534        | 0.30     | 0.0498                                        |
| 13   | तेजपालसिंह पिता तखतसिंह जाति राजपुत, भूमिस्वामी मृतक                                                                                                | 533        | 1.07     | 0.0205                                        |
| 14   | विजेन्द्रसिंह पिता तेजपालसिंह                                                                                                                       | 536        | 1.03     | 0.0232                                        |
|      | कुल योग-                                                                                                                                            |            |          | 0.5597                                        |

1 जिले का नाम - देवास

2 तहसील- हाटपिपल्या

3 ग्राम- पालखा

4 अर्जित रकबा - 0.5597

5 भूमि - सिंचित/असिंचित

6 अर्जित भूमि में स्थित अन्य संपत्ति - निरंक

7 किस कार्य के लिए भूमि अर्जन की जा रही है - आई.एस.पी. कालीसिंध चरण-II लिफ्ट माइक्रो उद्भवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ़ जिले में जल परिवहन के लिए 110000 हे. कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी।

क्र.-H.N.-723-भू-अर्जन-2025

प्रारूप- "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2) के तहत ]

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 मण्डलेश्वर जिला खरगौन म0प्र0 का पत्र क्रमांक 2507 दिनांक 28/07/2025 के अनुसार राज्य सरकार के लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आई.एस.पी. कालीसिंध चरण-II लिफ्ट माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ़ जिले में जल परिवहन के लिए 110000 हे. कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी जिसके लिए आवश्यक जल परिवहन हेतु देवास जिले में ग्राम गोला तहसील हाटपिपल्या में " मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) के अंतर्गत ग्राम गोला में भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाना है।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा या प्रस्तुत कर सकेगा :-

## अनुसूची

| जिला  | तहसील      | ग्राम/पटवारी<br>हल्का क्रं. | खसरा<br>क्रमांक | उपयोगिता के अधिकार के लिए<br>अर्जन की जाने वाली भूमि हे. में |
|-------|------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| देवास | हाटपीपल्या | गोला                        | 54 / 1          | 0.013                                                        |
|       |            |                             | 54 / 2          | 0.013                                                        |
|       |            |                             | 53              | 0.12                                                         |
|       |            |                             | 139 / 1         | 0.02                                                         |
|       |            |                             | 139 / 2         | 0.011                                                        |
|       |            |                             | 201 / 1         | 0.007                                                        |
|       |            |                             | 201 / 2         | 0.007                                                        |
|       |            |                             | 200 / 1         | 0.015                                                        |
|       |            |                             | 200 / 2         | 0.015                                                        |
|       |            |                             | 199             | 0.018                                                        |
|       |            |                             | 257             | 0.015                                                        |
|       |            |                             | 258             | 0.016                                                        |
| योग   |            |                             |                 | 0.270                                                        |

शिवम यादव, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

क्र.-10089-भू-अर्जन-2025

बालाघाट, दिनांक 30 दिसम्बर 2025

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

| 1. भूमि का वर्णन |                                        |                                                                    |
|------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| क.               | जिला                                   | बालाघाट                                                            |
| ख.               | तहसील                                  | बालाघाट                                                            |
| ग.               | नगर/ग्राम                              | भटेरा चौकी                                                         |
| घ.               | अर्जित किये जाने वाले प्रस्तावित क्षे. | कुल रकबा 0.535 हे. एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां |

| निजी भूमि की सूची |                      |                |                                 |
|-------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|
| क्र.              | प्रस्तावित खसरा नंबर | कुल रकबा (हे.) | प्रस्तावित अधिग्रहित रकबा (हे.) |
| 1                 | 4/25                 | 0.044          | 0.004                           |
| 2                 | 4/26                 | 0.044          | 0.004                           |
| 3                 | 4/38                 | 0.012          | 0.003                           |
| 4                 | 4/34                 | 0.018          | 0.003                           |
| 5                 | 4/6                  | 0.011          | 0.002                           |
| 6                 | 4/9/2                | 0.010          | 0.002                           |
| 7                 | 4/24/2               | 0.009          | 0.002                           |
| 8                 | 4/10/1               | 0.020          | 0.003                           |
| 9                 | 4/8/2/1/2            | 0.010          | 0.002                           |
| 10                | 4/8/2/1/1            | 0.011          | 0.002                           |
| 11                | 4/8/2/2              | 0.010          | 0.002                           |
| 12                | 6/2/2/2              | 0.032          | 0.002                           |
| 13                | 4/5/1/2,             | 0.011          | 0.002                           |
| 14                | 4/5/2,               |                | 0.002                           |
| 15                | 4/3                  | 0.011          | 0.003                           |
| 16                | 249/30               | 0.012          | 0.002                           |
| 17                | 249/27               | 0.011          | 0.002                           |
| 18                | 249/29               | 0.008          | 0.001                           |
| 19                | 249/28               | 0.006          | 0.001                           |
| 20                | 249/3/1              | 0.028          | 0.003                           |
| 21                | 249/3/2              | 0.006          | 0.003                           |
| 22                | 249/19/1             | 0.060          | 0.008                           |

| क्र. | प्रस्तावित खसरा नंबर | कुल रकबा (हे.) | प्रस्तावित अधि ग्रहिष्ठ रकबा (हे.) |
|------|----------------------|----------------|------------------------------------|
| 23   | 255/1/1/2            | 0.015          | 0.004                              |
| 24   | 255/1/1/1            | 0.074          | 0.003                              |
| 25   | 254/4/2/3            | 0.008          | 0.002                              |
| 26   | 253/1/1/1/1          | 0.003          | 0.003                              |
| 27   | 253/1/1/1/3          | 0.003          | 0.001                              |
| 28   | 253/1/1/1/2          | 0.003          | 0.001                              |
| 29   | 250/25/1/6           | 0.005          | 0.002                              |
| 30   | 250/25/1/2           | 0.009          | 0.001                              |
| 31   | 250/25/3/1           | 0.005          | 0.001                              |
| 32   | 250/16/1             | 0.010          | 0.004                              |
| 33   | 250/27/3             | 0.002          | 0.001                              |
| 34   | 250/27/1/4           | 0.002          | 0.001                              |
| 35   | 250/6                | 0.006          | 0.001                              |
| 36   | 250/28               | 0.008          | 0.002                              |
| 37   | 250/36/2             | 0.002          | 0.001                              |
| 38   | 250/36/1             | 0.001          | 0.001                              |
| 39   | 250/36/3             | 0.003          | 0.001                              |
| 40   | 250/44               | 0.031          | 0.006                              |
| 41   | 249/40/2             | 0.004          | 0.001                              |
| 42   | 249/40/4             | 0.004          | 0.001                              |
| 43   | 249/40/6             | 0.004          | 0.001                              |
| 44   | 249/40/5             | 0.004          | 0.001                              |
| 45   | 249/40/3             | 0.004          | 0.001                              |

| क्र. | प्रस्तावित खसरा नंबर | कुल रकबा (हे.) | प्रस्तावित अधि ग्रहित रकबा (हे.) |
|------|----------------------|----------------|----------------------------------|
| 46   | 249/24/3             | 0.010          | 0.002                            |
| 47   | 249/24/4             | 0.012          | 0.002                            |
| 48   | 249/24/2             | 0.012          | 0.002                            |
| 49   | 249/2/2              | 0.010          | 0.001                            |
| 50   | 249/2/1              | 0.010          | 0.002                            |
| 51   | 249/4                | 0.020          | 0.003                            |
| 52   | 249/7/1/2            | 0.004          | 0.002                            |
| 53   | 249/7/1/1            | 0.008          | 0.003                            |
| 54   | 249/23               | 0.012          | 0.003                            |
| 55   | 249/39               | 0.012          | 0.002                            |
| 56   | 249/9                | 0.012          | 0.002                            |
| 57   | 249/15               | 0.016          | 0.002                            |
| 58   | 249/37               | 0.016          | 0.002                            |
| 59   | 255/2/9/1/4          | 0.016          | 0.004                            |
| 60   | 255/2/9/1/1          | 0.014          | 0.004                            |
| 61   | 255/2/9/1/3          | 0.016          | 0.004                            |
| 62   | 255/2/9/1/2          | 0.015          | 0.004                            |
| 63   | 254/1/7              | 0.041          | 0.007                            |
| 64   | 254/1/6/1            | 0.192          | 0.002                            |
| 65   | 254/1/10             | 0.014          | 0.002                            |
| 66   | 255/2/9/2            | 0.020          | 0.002                            |
| 67   | 254/1/4              | 0.032          | 0.003                            |
| 68   | 254/1/1/2            | 0.016          | 0.003                            |
| 69   | 254/1/5              | 0.016          | 0.003                            |
| 70   | 255/1/10/18          | 0.014          | 0.007                            |

| क्र. | प्रस्तावित खसरा नंबर | कुल रकबा (हे.) | प्रस्तावित अधि ग्रहित रकबा (हे.) |
|------|----------------------|----------------|----------------------------------|
| 71   | 255/2/3              | 0.020          | 0.003                            |
| 72   | 255/2/12             | 0.014          | 0.002                            |
| 73   | 255/2/2/4            | 0.002          | 0.002                            |
| 74   | 255/2/2/2/2          | 0.008          | 0.001                            |
| 75   | 255/2/7              | 0.036          | 0.004                            |
| 76   | 255/2/4              | 0.036          | 0.004                            |
| 77   | 255/4                | 0.251          | 0.016                            |
| 78   | 255/9                | 0.012          | 0.002                            |
| 79   | 255/8                | 0.016          | 0.003                            |
| 80   | 256/1/6/1            | 0.034          | 0.006                            |
| 81   | 256/1/9/1            | 0.020          | 0.005                            |
| 82   | 256/1/5/2            | 0.014          | 0.002                            |
| 83   | 256/1/5/1            | 0.014          | 0.003                            |
| 84   | 256/1/4/2            | 0.012          | 0.002                            |
| 85   | 256/1/4/1            | 0.012          | 0.002                            |
| 86   | 256/1/10             | 0.012          | 0.002                            |
| 87   | 256/1/14             | 0.006          | 0.003                            |
| 88   | 255/5/1              | 0.034          | 0.003                            |
| 89   | 255/6                | 0.036          | 0.001                            |
|      |                      |                | 0.001                            |
| 90   | 254/1/3              | 0.032          | 0.001                            |
| 91   | 254/1/2/2            | 0.004          | 0.002                            |
| 92   | 254/1/2/1            | 0.028          | 0.002                            |
| 93   | 255/10               | 0.014          | 0.003                            |
| 94   | 255/11/2             | 0.007          | 0.001                            |

| क्र. | प्रस्तावित खसरा नंबर | कुल रकबा (हे.) | प्रस्तावित अधि ग्रहित रकबा (हे.) |
|------|----------------------|----------------|----------------------------------|
| 95   | 255/11/1             | 0.007          | 0.001                            |
| 96   | 256/1/3/2            | 0.009          | 0.002                            |
| 97   | 6/1/4/3              | 0.012          | 0.003                            |
| 98   | 6/2/7/2              | 0.028          | 0.006                            |
| 99   | 6/2/18               | 0.010          | 0.003                            |
| 100  | 6/2/27               | 0.016          | 0.004                            |
| 101  | 6/2/21/1             | 0.008          | 0.002                            |
| 102  | 6/2/21/2             | 0.008          | 0.002                            |
| 103  | 6/2/13/9             | 0.010          | 0.003                            |
| 104  | 6/2/17/2             | 0.010          | 0.002                            |
| 105  | 6/2/24/2             | 0.008          | 0.002                            |
| 106  | 6/2/24/1/2           | 0.007          | 0.002                            |
| 107  | 6/2/11/2             | 0.007          | 0.002                            |
| 108  | 6/2/14/1             | 0.016          | 0.005                            |
| 109  | 6/2/16               | 0.016          | 0.002                            |
| 110  | 6/2/15/10            | 0.018          | 0.001                            |
| 111  | 6/2/15/10            | 0.018          | 0.002                            |
| 112  | 6/2/31/1             | 0.012          | 0.006                            |
| 113  | 6/2/31/2/1/2         | 0.010          | 0.002                            |
| 114  | 6/2/31/2/1/1         | 0.013          | 0.002                            |
| 115  | 6/2/12/2             | 0.008          | 0.002                            |
| 116  | 6/2/15/2             | 0.012          | 0.003                            |
| 117  | 6/2/15/8/2           | 0.005          | 0.002                            |
| 118  | 6/2/15/14/1          | 0.009          | 0.003                            |
| 119  | 6/2/15/14/2          | 0.009          | 0.002                            |

| क्र. | प्रस्तावित खसरा नंबर | कुल रकबा (हे.) | प्रस्तावित अधि ग्रहित रकबा (हे.) |
|------|----------------------|----------------|----------------------------------|
| 120  | 6/2/7/4/2            | 0.008          | 0.002                            |
| 121  | 6/2/7/4/1            | 0.008          | 0.002                            |
| 122  | 6/2/7/5/1            | 0.008          | 0.002                            |
| 123  | 6/2/7/5/2            | 0.008          | 0.002                            |
| 124  | 6/2/8                | 0.030          | 0.005                            |
| 125  | 6/2/10/3             | 0.002          | 0.002                            |
| 126  | 6/2/11/2             | 0.010          | 0.001                            |
| 127  | 6/2/11/1             | 0.008          | 0.003                            |
| 128  | 6/2/4/2/3            | 0.004          | 0.001                            |
| 129  | 6/2/4/2/1            | 0.007          | 0.001                            |
| 130  | 6/2/4/2/2            | 0.005          | 0.001                            |
| 131  | 6/2/6/4              | 0.019          | 0.002                            |
| 132  | 6/2/6/8              | 0.015          | 0.002                            |
| 133  | 6/2/6/1/2            | 0.030          | 0.005                            |
| 134  | 6/2/6/1/1            | 0.030          | 0.003                            |
| 135  | 6/2/9/3              | 0.003          | 0.001                            |
| 136  | 7/1/4                | 0.121          | 0.007                            |
| 137  | 7/1/10               | 0.016          | 0.005                            |
| 138  | 7/1/2/3              | 0.022          | 0.003                            |
| 139  | 7/1/12/1             | 0.027          | 0.002                            |
| 140  | 7/1/6                | 0.012          | 0.002                            |
| 141  | 7/1/11/1/2           | 0.003          | 0.003                            |
| 142  | 7/1/9/2              | 0.004          | 0.002                            |
| 143  | 7/1/9/1              | 0.005          | 0.001                            |
| 144  | 7/1/9/3              | 0.001          | 0.001                            |

| क्र. | प्रस्तावित खसरा नंबर | कुल रकबा (हे.) | प्रस्तावित अधि ग्रहित रकबा (हे.) |
|------|----------------------|----------------|----------------------------------|
| 145  | 7/1/34/2             | 0.003          | 0.001                            |
| 146  | 7/1/3/1/1/2          | 0.003          | 0.002                            |
| 147  | 7/1/3/1/1/1/1        | 0.025          | 0.004                            |
| 148  | 7/1/3/1/1/1/2        | 0.003          | 0.001                            |
| 149  | 7/1/13/2             | 0.015          | 0.002                            |
| 150  | 7/1/1/6              | 0.024          | 0.003                            |
| 151  | 7/1/19               | 0.018          | 0.003                            |
| 152  | 7/1/1/8              | 0.020          | 0.003                            |
| 153  | 7/1/1/16             | 0.010          | 0.002                            |
| 154  | 7/1/1/7/2            | 0.006          | 0.004                            |
| 155  | 7/1/1/13             | 0.016          | 0.003                            |
| 156  | 8/1/10/1             | 0.021          | 0.009                            |
| 157  | 8/1/10/2             | 0.020          | 0.009                            |
| 158  | 8/1/9/2              | 0.020          | 0.002                            |
| 159  | 8/1/6                | 0.036          | 0.003                            |
| 160  | 8/1/17               | 0.016          | 0.004                            |
| 161  | 8/1/1/1              | 0.891          | 0.046                            |
| 162  | 8/1/11/3             | 0.008          | 0.001                            |
| 163  | 8/1/12/1             | 0.007          | 0.003                            |
| 164  | 8/1/16               | 0.022          | 0.003                            |
| 165  | 8/1/21               | 0.011          | 0.001                            |
| 166  | 8/1/4/3/2            | 0.010          | 0.003                            |
| 167  | 8/1/4/1              | 0.016          | 0.002                            |
| 168  | 8/1/2/1              | 0.042          | 0.010                            |
| 169  | 9/1/8/1/3            | 0.028          | 0.004                            |

| क्र.                 | प्रस्तावित खसरा नंबर                          | कुल रकबा (हे.) | प्रस्तावित अधि ग्रहित रकबा (हे.)                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 170                  | 9/1/8/4                                       | 0.029          | 0.004                                                               |
| 171                  | 9/1/14                                        | 0.086          | 0.008                                                               |
| 172                  | 9/1/7/1                                       | 0.030          | 0.016                                                               |
| 173                  | 9/1/11                                        | 0.008          | 0.002                                                               |
| कुल योग (निजी भूमि)- |                                               | 3.964          | 0.535                                                               |
| शासकीय भूमि की सूची  |                                               |                |                                                                     |
| क्र.                 | प्रस्तावित खसरा नंबर/<br>शीट नं एवं प्लॉट नं. | कुल रकबा (हे.) | शासकीय भूमि पर<br>स्थित संरचना का<br>विवरण एवं रकबा<br>वर्गमीटर में |
| 1                    | 16 ए-21/1                                     | 0.003 -नजूल    | 17.29 - दुकान/मकान                                                  |
| 2                    | 16 ए-21/4                                     | 0.002 -नजूल    | 13.51 - दुकान/मकान                                                  |
| 3                    | 16 ए-21/3                                     | 0.005 -नजूल    | 1.20- बाउंड्रीवाल                                                   |
| 4                    | 16 ए-4/14                                     | 0.005 -नजूल    | 37.62 - दुकान/मकान                                                  |
| 5                    | 16 ए-4/16                                     | 0.003 -नजूल    | 31.85 दुकान/मकान                                                    |
| 6                    | 16 ए-4/19                                     | 0.003 -नजूल    | 31.72 - दुकान                                                       |
| 7                    | 16 ए-4/1                                      | 0.075 -नजूल    | 31.16- मकान                                                         |
|                      |                                               |                | 24.96- दुकान                                                        |
|                      |                                               |                | 22.05- दुकान                                                        |
|                      |                                               |                | 55.59- दुकान                                                        |
|                      |                                               |                | 22.94- दुकान                                                        |
|                      |                                               |                | 35.42- दुकान                                                        |
|                      |                                               |                | 27.60- दुकान                                                        |
|                      |                                               |                | 29.25- दुकान                                                        |
|                      |                                               |                | 37.60- दुकान                                                        |
|                      |                                               |                | 33.81- दुकान                                                        |
|                      |                                               |                | 39.79- दुकान                                                        |
|                      |                                               |                | 15.12- दुकान                                                        |

| क्र.                | प्रस्तावित खसरा नंबर/<br>शीट नं एवं प्लॉट नं. | कुल रकबा (हे.) | शासकीय भूमि पर<br>स्थित संरचना का<br>विवरण एवं रकबा<br>वर्गमीटर में |
|---------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 8                   | 16 बी-31                                      | 0.388 -नजूल    | 10.13- बाउंड्रीवाल,<br>आम -1, शीशम -1                               |
|                     |                                               |                | 128.65-दुकान/मकान                                                   |
|                     |                                               |                | 4.60 -बाउंड्रीवाल                                                   |
| 9                   | 16 बी-21/2                                    | 0.006 -नजूल    | 23.19-दुकान/मकान                                                    |
| 10                  | 16 बी-21/1                                    | 0.005 -नजूल    | 10.46 -दुकान/मकान                                                   |
| 11                  | 16 ए-38/3                                     | 0.011 -नजूल    | रिक्त                                                               |
| 12                  | 16 ए-38/5                                     | 0.005 -नजूल    | 1.10 -मकान                                                          |
| 13                  | 17 ए-38/4                                     | 0.005 -नजूल    | 4.32 -मकान                                                          |
| 14                  | 16 ए-38/1                                     | 0.014 -नजूल    | 18.70 -मकान                                                         |
| 15                  | 16 ए-38/2                                     | 0.005 -नजूल    | 5.55 -मकान                                                          |
| 16                  | 16 बी-22/1                                    | 0.018 -नजूल    | 26.88 -दुकान/मकान                                                   |
| 17                  | 2/2                                           | शासकीय सड़क    | 62.79 -दुकान/मकान                                                   |
| कुलयोग (निजी भूमि)- |                                               | 3.964          | 0.535                                                               |

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- बालाघाट जिले के अंतर्गत बालाघाट कटंगी सेक्शन के रेल्वे किमी 1045/2-3 पर लेवल क्रॉसिंग क्र बी.के.-2 पर आर.ओ.बी. निर्माण कार्य के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.balaghat.mp.gov.in> एवं मंत्रालय शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील - बालाघाट, जिला बालाघाट के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण जबलपुर जिला जबलपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग बालाघाट जिला-बालाघाट के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मृणाल मीना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

क्र. 0015-अ-82-2024-25-मुलताई

बैतूल, दिनांक 5 जनवरी 2026

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

| जिला              | तहसील  | ग्राम  | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                                                                                               |
|-------------------|--------|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | 2      | 3      | 4                                | 6                                                                                                                        |
| बैतूल<br>(म.प्र.) | मुलताई | मुलताई | 0.2396                           | मुलताई से बोरदेही मार्ग पर इटारसी नागपुर रेलखंड में रेलवे क्रासिंग क्र. 265 पर ओवर ब्रिज निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन |

**अनुसूची -2  
(प्रभावित धारकों की सूची)**

| क्र. | भूमिस्वामी का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ख.नं.         | कुल रकबा<br>(हे.मे.) | अर्जित<br>रकबा<br>(हे.मे.) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3             | 4                    | 5                          |
| 1    | रामचन्द्र जी मंदिर सा. देह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 360/1         | 3.8800               | 0.1890                     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 357           | 0.1050               | 0.0305                     |
| 2    | तारेश कुमार पिता मुन्नालाल, विजयकुमार पुत्र राधाकृष्ण, नान्ह पुत्र राम, नाबा. अनिता पिता मुन्नालाल वली मां मुन्नी, मुन्नी बेवा मुन्नालाल, सूबेबाई पत्नी अर्जुन, लक्ष्मण पुत्र शंकर, भिक्या पुत्र मिदू, प्रशांत कुमार पुत्र राधाकृष्ण, सरस्वती पत्नी बाजेराव, सुशीला पत्नी इन्द्रपाल, हेमलता पत्नी लक्ष्मीनारायण समस्त निवासी मुलताई, शिवराम, रतन, नारायण पुत्र भगर्या निवासी महिलावाड़ी, राधा, निर्मला, कला, तुलसी पुत्री भगर्या निवासी महिलावाड़ी मुलताई | 355/1/1/1/1/1 | 1.8642               | 0.0201                     |
|      | योग :-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1             | 5.8492               | 0.2396                     |

(2) चूंकि इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

## पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. 966-2025-26-चौवन-1

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2025

### परियोजना संचालन हेतु दिशा-निर्देश

**विषय :-** विदेश में रोजगार नियोजन संबंधी विभागीय योजनान्तर्गत सोशल इम्पैक्ट बॉण्ड (SIB) आधारित परियोजना संचालन हेतु दिशा-निर्देश

म.प्र. शासन वित्त विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में शासन के वित्तीय जोखिम को न्यूनतम करने एवं निजी निवेश उपलब्ध करने हेतु जारी दिशा-निर्देशों के तहत सोशल इम्पैक्ट बॉण्ड (SIB) प्रस्तावों के अनुमोदन के संदर्भ में गठित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी (SLSC) द्वारा अनुशंसित एवं मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित "विदेश में रोजगार नियोजन संबंधी विभागीय योजनान्तर्गत सोशल इम्पैक्ट बॉण्ड (SIB) आधारित परियोजना" का आगामी 02 वर्षों में निम्नानुसार क्रियान्वयन किया जाना है :-

- (1) **उद्देश्य :-** परियोजना का उद्देश्य प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को विदेशी भाषा, सॉफ्ट स्किल, नियोक्ता की मांग अनुसार विशिष्ट कार्यक्षेत्र एवं अन्य आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार हेतु जापान एवं जर्मनी भेजा जाना है।

- (2) **परियोजना अवधि :-** 02 वर्ष (समय सीमा में विदेश में रोजगार नियोजन संबंधी विभागीय योजनान्तर्गत गठित विभागीय साधिकार समिति द्वारा नियमानुसार वृद्धि की जा सकती है।)
- (3) **क्रियान्वयन संस्था :-** विभागीय परियोजना का क्रियान्वयन NSDC द्वारा अपनी सहयोगी संस्था NSDC-International के माध्यम से किया जाएगा।
- (4) **परियोजना आउटकम :-** प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं का जापान एवं जर्मनी में रोजगार नियोजन, उनके परिवारों एवं प्रभाव क्षेत्र में आर्थिक व सामाजिक उन्नति तथा व्यापक सकारात्मक प्रभाव परियोजना का आउटकम होगा।
- (5) **प्रभाव मूल्यांकन :-** परियोजना अंतर्गत SEBI (Securities Exchange Board of India) / NISM (National Institute of Securities Markets) द्वारा मान्यता प्राप्त स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सामाजिक मूल्यांकनकर्ता संस्था के माध्यम से प्रत्येक त्रैमास में पूर्व परिभाषित आउटकम तथा परियोजना के अंत में सामाजिक प्रभाव का समग्र मूल्यांकन (Impact Assessment) किया जाएगा तथा मूल्यांकन उपरांत प्रतिवेदन म.प्र. शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को प्रेषित किया जाएगा।

(6) **परियोजना अवधि में वृद्धि :-** संतोषजनक सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर NSDC/NSDC-I के प्रस्ताव अनुसार आगामी वर्षों में परियोजना का क्रियान्वयन किये जाने की अवधि में विदेश में रोजगार नियोजन संबंधी विभागीय योजनान्तर्गत गठित विभागीय साधिकार समिति द्वारा पृथक-पृथक एक-एक वर्ष की वृद्धि दो बार की जा सकेगी।

(7) **परियोजना के प्रमुख हितधारक एवं उनके दायित्व :-**

- (I) **जोखिम निधिदाता -** परियोजना अंतर्गत नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSDC) मुख्य रिस्क फण्डर होगी, जो स्वयं के स्रोतों से एवं SIB(ZCZP) के माध्यम से प्रशिक्षण शुल्क पर होने वाले व्यय हेतु वित्त का प्रबंध करेगी।
- (II) **सामाजिक सेवा प्रदाता संस्था -** परियोजना में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSDC) की अनुषांगिक संस्था नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन- इंटरनेशनल (NSDC-I) सामाजिक सेवा प्रदाता संस्था का कार्य करेगी। NSDC-I द्वारा प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को जापान एवं जर्मनी में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु नियोक्ता की मांग अनुसार आवश्यक सॉफ्ट स्किल, रोजगार के विशिष्ट कार्यक्षेत्र (Domain Specific), संबंधित देश की भाषा एवं आवश्यकता अनुसार अन्य आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर आवश्यक प्रमाणन करायेगी तथा विदेश जाने की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु जवाबदेह होगी तथा उन्हें संबंधित देश में रोजगार उपलब्ध कराएगी।

(III) आउटकम फण्डर - परियोजना अंतर्गत म.प्र. शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग आउटकम फण्डर होगा। प्रशिक्षण शुल्क की अधिकतम 70 प्रतिशत राशि का प्रबंध वित्त विभाग के सोशल इम्पेक्ट बॉण्ड संबंधी निर्देश दिनांक 21.11.2025 अनुसार SIB निधि अंतर्गत प्राप्त राशि से विभाग द्वारा किया जाएगा।

परियोजना अंतर्गत विदेश में सफल प्लेसमेंट (Joining in the Organization and Reporting of Joining at Indian Embassy) उपरांत ही विभाग द्वारा कोई भुगतान किया जाएगा। विभाग को संतोषजनक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तथा प्रत्येक 50 सफल लाभार्थी की जानकारी प्रस्तुत किये जाने पर NSDC/NSDC-I को भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। प्रशिक्षित युवा के विदेश गमन हेतु आवश्यक समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात् स्वप्रेरणा से विदेश गमन नहीं करने का निर्णय लेने की स्थिति में भी आउटकम फण्डर द्वारा सामाजिक सेवा प्रदाता संस्था/रिस्क फण्डर को देय प्रशिक्षण शुल्क में से अपने अंश का भुगतान करेगा।

(IV) टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी - परियोजना अंतर्गत नेशनल स्किल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन(NSDC) तकनीकी सहयोगकर्ता एजेंसी (Technical Support Agency) होगी।

(V) हितग्राही - अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र युवा परियोजना के हितग्राही होंगे। परियोजना अंतर्गत प्रशिक्षण शुल्क की 15% राशि संबंधित लाभार्थी (हितग्राही) द्वारा पंजीयन के समय जमा करना अनिवार्य होगा। पात्रता परीक्षा के प्रथम अवसर के अतिरिक्त अन्य प्रयासों में व्यय होने वाली राशि की व्यवस्था, विदेश गमन हेतु विमान

किराया एवं भोजन इत्यादि पर होने वाले व्यय की व्यवस्था संबंधित युवा द्वारा स्वयं की जाएगी। प्रवेश के तीन सप्ताह तक ड्रॉप आउट होने पर एवं समस्त पात्रता संबंधी औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात् भी विदेश में प्लेसमेंट नहीं हो पाने की दशा में अभ्यर्थी को पंजीयन शुल्क वापसी योग्य होगी। अन्य परिस्थितियों में पंजीयन शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।

- (VI) **निष्पक्ष सामाजिक मूल्यांकनकर्ता** - SEBI/NISM द्वारा मान्यता प्राप्त, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सामाजिक मूल्यांकनकर्ता संस्था के माध्यम से पूर्व परिभाषित आउटकम का त्रैमासिक तथा परियोजना के अंत में व्यापक सामाजिक प्रभाव (Social Impact) का मूल्यांकन कराया जाकर प्रतिवेदन विभाग एवं जोखिम निधिदाता (Risk Funder) को उपलब्ध कराया जाएगा।

मूल्यांकनकर्ता संस्था का चयन विभाग द्वारा NSDC से परामर्श कर किया जाएगा। परन्तु यह परामर्श बंधनकारी नहीं होगा, इस संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा। मूल्यांकन कार्य पर होने वाला व्यय NSDC द्वारा उल्लेखित परियोजना व्यय में सम्मिलित होगा, जिसका भुगतान विभाग द्वारा NSDC को किये जाने वाले भुगतान में से समायोजित कर किया जाएगा।

- (8) **लक्षित हितग्राही :-** मध्यप्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं, नर्सिंग महाविद्यालयों, पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालयों आदि में अध्ययनरत अथवा स्नातक युवा जो कि नॉन क्रीमी-लेयर श्रेणी में आते हैं, वे योजना के हितग्राही होंगे।

(9) अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को परियोजना में सम्मिलित होने हेतु आवश्यक अर्हताएँ :-

परियोजना अंतर्गत अभ्यर्थियों की आवश्यक अर्हताएँ विदेश में रोजगार नियोजन संबंधी प्रचलित विभागीय योजना अनुसार चालित होगी। यदि प्रचलित योजना नियमों में आवश्यक अर्हताएँ परिवर्तित होती हैं तो वह इस परियोजना अंतर्गत भी लागू मानी जाएगी।

(10) मोबिलाईजेशन :- परियोजना अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के योग्य एवं पात्र अभ्यर्थियों को जुटाने के लिए प्रचार-प्रसार, सेमिनार, वर्कशॉप एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रमों का आयोजन NSDC/NSDC-I द्वारा किया जाएगा, जिसमें सर्व-सम्बंधित शासकीय विभागों द्वारा सम्पूर्ण सहयोग किया जाएगा। इसका पर्यवेक्षण शासन स्तर पर गठित अन्तर्विभागीय समन्वय समिति द्वारा किया जाएगा।

(11) अभ्यर्थियों का चयन :- NSDC/NSDC-I द्वारा एप्टीट्यूड टेस्ट एवं साइकोमेट्रिक एनालिसिस के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग एवं चयन किया जाएगा।

(12) परियोजनान्तर्गत विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाएं :- प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आवश्यक अधोसंरचना जैसे अध्यापन कक्ष-फर्नीचर सहित, ऑडिटोरियम एवं कॉन्फ्रेंस हॉल इत्यादि की व्यवस्था किराये के माध्यम से विभाग द्वारा की जाएगी। यह प्रशिक्षण

यथासंभव आवासीय होगा। उपरोक्त सुविधाओं का सम्पूर्ण प्रबंधन NSDC/NSDC-I द्वारा एवं पर्यवेक्षण विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि में आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाने की स्थिति में हितग्राही को रुपये 2000/- प्रतिमाह की दर से आवास भत्ते का भुगतान विभाग द्वारा DBT से किया जाएगा।

**(13) परियोजना के संचालन हेतु विभागीय नोडल एजेंसी :-** विभाग की ओर से इस परियोजना के संचालन हेतु नोडल एजेंसी राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केंद्र, (पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण का संस्थान), भोपाल होगी।

**13.1. संचालक,** राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल परियोजना अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रभावी संचालन एवं क्रियान्वयन NSDC/NSDC-I से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे।

**13.2. परियोजना हेतु** स्वीकृत अन्य प्रशासनिक व्यय मद से छात्रावास प्रबंधन, मॉनीटरिंग आदि कार्य हेतु आवश्यक मैनपावर का नियमानुसार भुगतान, स्टेशनरी क्रय, कम्प्यूटर्स एवं सहायक उपकरणों के क्रय एवं रख-रखाव, किराये के वाहन, योजना की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, बैठक, कार्यक्रमों का आयोजन, सूचना प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग, विशेषज्ञ से परामर्श, हितग्राहियों का मोबिलाईजेशन, योजना के प्रचार-प्रसार, आदि पर होने वाले व्यय हेतु किया जाएगा।

- (14) **वित्तीय प्रबंधन :-** परियोजना अंतर्गत राशि का प्रबंध वित्त विभाग के सोशल इम्पेक्ट बॉण्ड संबंधी निर्देश दिनांक 21.11.2025 अनुसार SIB निधि अंतर्गत प्राप्त राशि से विभाग द्वारा किया जाएगा। वित्तीय प्रबंधन संलग्न परिशिष्ट-01 एवं परिशिष्ट-02 अनुसार होगा।
- (15) **परियोजनान्तर्गत उत्पन्न विवादों का निराकरण :-** परियोजना अंतर्गत भुगतान संबंधी एवं अन्य विवाद की स्थिति में निपटारा/निराकरण का अधिकार विदेश में रोजगार नियोजन संबंधी विभागीय योजनान्तर्गत गठित विभागीय साधिकार समिति को होगा। विभागीय साधिकार समिति का निर्णय अंतिम होगा।
- (16) **त्रि-पक्षीय अनुबंध :-** परियोजना के क्रियान्वयन के पूर्व चयनित सामाजिक सेवा प्रदाता संस्था (NSDC-I), वित्तीय प्रबंधन में सामाजिक सेवा प्रदाता संस्थान की सहायता करने वाली संस्था (NSDC) एवं म.प्र. शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मध्य एक त्रि-पक्षीय अनुबंध का नियमानुसार निष्पादित होगा।
- (17) **न्याय क्षेत्र :-** परियोजना अंतर्गत विवादित विषयों के संबंध में न्याय क्षेत्र भोपाल (म.प्र.) रहेगा।
- (18) **निरीक्षण :-** परियोजना अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सतत निरीक्षण मुख्यालय / नोडल एजेंसी के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।
- (19) **अभिलेखों का संधारण :-** नोडल एजेंसी द्वारा संकलित परियोजना संबंधी अभिलेख नियमानुसार विहित अवधि हेतु संधारित की जाएगी।

परिशिष्ट-01वित्तीय प्रबंधन

## (1) प्रशिक्षण शुल्क

(अ) 70 प्रतिशत निवेश वित्त विभाग के सोशल इम्पेक्ट बॉण्ड संबंधी निर्देश दिनांक 21.11.2025 अनुसार SIB निधि अंतर्गत प्राप्त राशि से विभाग द्वारा किया जाएगा। अतः रिस्क फण्डर को किया जाने वाला भुगतान विभागीय योजना से विकलनीय नहीं होगा।

(ब) 15 प्रतिशत निवेश संबंधित हितग्राही द्वारा परियोजना की शर्तों के अधीन वहन किया जाएगा।

(स) 15 प्रतिशत निवेश जोखिम निधिदाताओं द्वारा ZCZP/SIB बॉण्ड के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

विभागीय परियोजना अंतर्गत कुल प्रशिक्षण शुल्क में विभिन्न हितधारकों का योगदान निम्न तालिका अनुसार नियत किया गया है :-

| Particulars                                             | Percentage Contribution | Japan         | Germany       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Cost per candidate                                      | -                       | 175000        | 200000        |
| Candidate Contribution (Non-Refundable)                 | 15%                     | 26250         | 30000         |
| Contribution through ZCZP Bond on social stock exchange | 15%                     | 26250         | 30000         |
| Outcome-based funding from MP Government                | 70%                     | 122500        | 140000        |
| <b>Total</b>                                            | <b>100%</b>             | <b>175000</b> | <b>200000</b> |

| Particulars                       | Percentage Contribution | Japan       | Germany     | Total        |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| No. of candidates to be mobilized | -                       | 300*        | 300*        | 600          |
| Expected Success Rate             |                         | 100%        |             |              |
| Candidate Contribution (Rs. Cr.)  | 15%                     | 0.79        | 0.90        | 1.69         |
| ZCZP contribution (Rs. Cr.)       | 15%                     | 0.79        | 0.90        | 1.69         |
| Outcome Funding by GoMP (Rs. Cr.) | 70%                     | 3.68        | 4.20        | 7.88         |
| <b>Total</b>                      | <b>100%</b>             | <b>5.26</b> | <b>6.00</b> | <b>11.26</b> |

\* विभागीय साधिकार समिति द्वारा आवश्यकतानुसार जापान तथा जर्मनी हेतु अभ्यर्थियों की संख्या में परिस्थितिजन्य परिवर्तन किया जा सकेगा। कुल अभ्यर्थी संख्या 600 ही रहेगी।

परिशिष्ट-02**(2) अन्य प्रासंगिक व्यय**

(अ) अधोसंरचना व्यय - परियोजना अंतर्गत प्रशिक्षण कार्य संचालित किये जाने हेतु आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध कराने वाली एजेंसी को स्वीकृति अनुसार पंजीकृत अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए स्वीकृत कुल राशि का भुगतान, SIB निधि अंतर्गत प्राप्त राशि से विभाग द्वारा किया जाएगा।

(ब) अन्य प्रशासनिक व्यय अंतर्गत राशि रुपये 0.49 करोड़ का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है।

इस प्रकार कुल अन्य विविध प्रासंगिक व्यय हेतु शासकीय व्यय का अनुमानित गणना पत्रक निम्नानुसार है :-

| S.No. | Particulars                   | Rs. in Crore |
|-------|-------------------------------|--------------|
| 1.    | Rent for Infrastructure       | 1.63         |
| 2.    | Hostel Facilities             | 1.50         |
| 3.    | Other Administrative Expenses | 0.49         |
|       | Total                         | 3.62         |

उपरोक्त प्रशिक्षण व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय को सम्मिलित करते हुए परियोजना लागत एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा व्यय की जाने वाली राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

| S.No. | Particulars                                        | Rs. in Crore     |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|
| 1.    | प्रशिक्षण शुल्क पर व्यय<br>(विभाग पर संभावित भार)* | 11.26<br>(7.88)  |
| 2.    | अन्य प्रासंगिक व्यय**                              | 3.62             |
|       | कुल परियोजना लागत<br>(विभाग पर संभावित कुल भार)**  | 14.88<br>(11.50) |

\*कुल प्रशिक्षण शुल्क पर व्यय का 70%

\*\*अनुमानित अतः भुगतान नियमानुसार वास्तविक व्यय के आधार पर

## वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2025

क्रमांक/PCCF/7/0718/2025-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, (1927 क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद, द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

## अनुसूची

जिला- छिन्दवाड़ा

वनमंडल- पश्चिम छिन्दवाड़ा

अ.क्र.

वनखण्ड की भूमि का विवरण

वनखण्ड ग्राम का भूमि का खसरा क्र.

का नाम

नाम वर्तमान मद

तहसील- तामिया

वनमंडल वनपरिक्षेत्र- तामिया

वनखण्ड की सीमायें

क्षेत्रफल  
(हेक्टेयर)

1

लहगडुआ लहगडुआ  
(सी)शासकीय  
वनविभाग  
मध्यप्रदेश  
शासन  
71/1/1/2(S)

6.372

उत्तर - संरक्षित वनखंड लहगडुआ (सी) के मुनारा क्रमांक 7 से मुनारा क्रमांक 10 होते हुये संरक्षित वनखंड लहगडुआ ए के मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वनसीमा।  
पूर्व - संरक्षित वनखंड लहगडुआ ए के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 14 तक वनसीमा से होते हुए संरक्षित वनखंड लहगडुआ (सी) मुनारा क्रमांक 3 तक की कृत्रिम वनसीमा।  
दक्षिण - संरक्षित वनखंड लहगडुआ (सी) के मुनारा क्रमांक 3 से मुनारा क्रमांक 4 तक की कृत्रिम वनसीमा।  
पश्चिम - संरक्षित वनखंड लहगडुआ (सी) के मुनारा क्रमांक 4 से मुनारा क्रमांक 7 तक की कृत्रिम वनसीमा।

योग 6.372

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक मंत्रालय 6-MPB 014/2023-BHO दिनांक 07.05.2025 में अधिरोपित शर्त के अनुसार सभागीय प्रबंधक म0प्र0 सड़क विकास निगम लिमिटेड छिन्दवाड़ा की स्वीकृत परियोजना हरई-विजोरी मार्ग के निर्माण हेतु शर्त क्रमांक A(3) के पालन में प्रभावित 6.372 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 6.372 हेक्टेयर राजस्व भूमि (मद पहाड़-चट्टान) को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल वनविभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक क्रमशः राजस्व प्रकरण क्रमांक 002/अ-19(4)/2021-22 दिनांक 19.08.2021 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार परासिया जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है -

1. व्यक्तिगतअधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिकअधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2025

क्र. PCCF-7-0718-2025-FLR-PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0718-2025-FLR-PCCF, दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 31<sup>st</sup> December 2025

No./PCCF/7/0718/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927,(XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

#### SCHEDULE

District :-Chhindwara

Tahsil :- Tamia

Forest Division:-West division chhindwara

Forest Range:- Tamia

| S.N. | Details of Land Included |                 |                                                        |             |                | Forest Block Boundaries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Name of Forest Block     | Name of Village | Present head of Land                                   | Khasra No.  | Area (Hectare) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1    | Lehgadua (C)             | Lehgadua        | Government Forest Department Madhya Pradesh Government | 71/1/1/2(S) | 6.372          | <b>North-</b> Artificial forest boundary from boundary pillar No. 7 to boundary pillar No. 10 of Reserved Forest Block Lahgaduwa (C), extending up to boundary pillar No. 1 of Reserved Forest Block Lahgaduwa (A).<br><b>East-</b> Forest boundary from Pillar No 1 to Pillar No 14 of Protected forest block Lehgadua A and Artificial forest boundary through upto Pillar No 3 of |

Protected forest  
block Lehgadua  
(C).

**South-** Artificial  
forest boundary  
from Pillar No 3 to  
Pillar No 4 of  
Protected forest  
block Lehgadua  
(C).

**West-** Artificial  
forest boundary  
from Pillar No 4 to  
Pillar No 7 of  
Protected forest  
block Lehgadua  
(C).

Total 6.372

**(A) Reason for publication of Notification :-**

1. In accordance with condition No A(3) laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Regional Office Bhopal order No 6-MPB 014/2023-BHO dated 07.05.2025 and in lieu of 6.372 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Harrai to Bijori Road of Divisional Manager MPRDC Chhindwara the above mentioned Revenue Land of 6.372 hectare transferred or mutated in favour of DFO West Chhindwara Division Forest Department by order No 002/A&19(4)/2021-22 dated 19.08.2021 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons - Nill

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar-Parasia District Chhindwara are as under :-

1. Individuals Rights :- There are no individual rights on the said land.

2. Community Rights:- There are no Community rights on the said land.

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

**KSHITIJ KUMAR**, Officer on Special Duty.

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2025

क्रमांक/PCCF/7/0720/2025-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा-29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

**अनुसूची**

जिला-सागर

तहसील - सागर

वनमण्डल- दक्षिण सागर (सामान्य)

वन परिक्षेत्र - सागर

| अ.क्र. | वनखण्ड की भूमि का विवरण |               |                       |            |                      | वनखण्ड की सीमाएं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-------------------------|---------------|-----------------------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | वनखण्ड का नाम           | ग्राम का नाम  | भूमि का वर्तमान मालिक | खसरा क्र.  | क्षेत्रफल (हेक्टेयर) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1      | मड़खेरा जागीर(प)        | मड़खेरा जागीर | शासकीय                | 1334/2 (S) | 31.37                | उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 3 तक की कृत्रिम वन सीमा।<br>पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से मुनारा क्रमांक 5 तक की कृत्रिम वन सीमा।<br>दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 5 से मुनारा क्रमांक 10 तक की कृत्रिम वन सीमा।<br>पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से मुनारा क्रमांक 15 एवं मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा। |
| योग    |                         |               |                       |            | 31.37                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-**

1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल (म.प्र.) के आदेश क्रमांक/6-MPC057/2018-BHO दिनांक 21.09.2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक-1 सागर (म.प्र.) की स्वीकृत परियोजना मगरा लघु सिंचाई टैंक परियोजना निर्माण में प्रभावित रकबा 31.37 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 31.37 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 31.37 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक/राजस्व प्रकरण क्रमांक-12/अ-19(3) वर्ष 2017-18 पारित आदेश दिनांक 16.03.2018 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण -

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- तहसीलदार जैसीनगर के द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार - उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार - उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2025

क्र. PCCF-7-0720-2025-FLR-PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0720-2025-FLR-PCCF, दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 31<sup>st</sup> December 2025

No./PCCF/7/0720/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declares the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

**SCHEDULE**

| District- Sagar<br>Forest Division- South Sagar (territorial) |                      |                 |                                                                |                   | Tehsil- Sagar<br>Range- Sagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S.N.                                                          | Name of Forest Block | Name of Village | Present head of land                                           | Khasra No. in Ha. | Forest Block Boundaries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                                             | Madkhera Jagir (p)   | Madkhera Jagir  | Government Forest Department<br>M.P. Land Government Institute | 1334/2 31.37 (S)  | North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to Pillar No. 3 of Protected Forest Block.<br>East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 3 to Pillar No. 5 of Protected Forest Block.<br>South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 5 to Pillar No. 10 of Protected Forest Block.<br>West- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 10 to Pillar No. 15 and Pillar No. 1 of Protected Forest Block. |
| TOTAL                                                         |                      |                 |                                                                | 31.37             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**(A) Reason for publication of Notification: -**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate change, Government of India, New Delhi, Regional Office MP, Bhopal Order No./6-MPC057/2018-BHO dated 21-09-2021 in lieu of 31.37 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Executive Engineer, Water Resource Division No.-01 Sagar of Mangra Minor Irrigation Tank Project the above mentioned non forest land of 31.37 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by Collector Sagar order No.&12/A-19(3) Year-2017-18 date 16-03-2018 for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other reasons- Nil

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Certificate of Tehsildar Jasinaragar District Sagar are as under.

1. Rights of individuals - Above Mentioned Land Does Not Have any individuals Rights.

2. Rights of communities - Above Mentioned Land Does Not Have any communities Rights.

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2025

**क्रमांक/PCCF/7/0768/2025-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।**

**अनुसूची**

जिला - बड़वानी

तहसील- अंजड

वनमंडल- बड़वानी

परिक्षेत्र- राजपुर

| अ.क्र. | वनखण्ड का नाम | वनखण्ड की भूमि का विवरण                      |                                       |              |                      | वनखण्ड की सीमाएँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |               | ग्राम का नाम                                 | भूमि का वर्तमान मद                    | खसरा क्रमांक | क्षेत्रफल (हेक्टेयर) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.     | फत्त्यापुर    | राजस्व ग्राम फत्त्यापुर पटवारी हल्का नंबर-17 | शासकीय पहाड़ राजस्व भूमि (गैर-वनभूमि) | 164/2/S      | 49.320               | उत्तर-संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 7 तक कृत्रिम वन सीमा।<br>पूर्व- संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 7 से मुनारा क्रमांक 10 तक कृत्रिम वन सीमा।<br>दक्षिण-संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 10 से मुनारा क्रमांक 15 तक कृत्रिम वन सीमा।<br>पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 15 से मुनारा क्रमांक 16 एवं मुनारा क्रमांक 1 तक कृत्रिम वन सीमा। |
|        |               |                                              |                                       | योग          | 49.320               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-**

1. भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश **File No.:8-08/2024-FC** दिनांक **14.08.2025** में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बड़वानी (म.प्र.) की स्वीकृत परियोजना सोनखेड़ी तालाब योजना में प्रभावित **49.320** हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल **49.320** हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि **49.320** हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला बड़वानी के आदेश क्रमांक/2444/रीडर/भूमि आवंटन/2022 बड़वानी प्र.क्रमांक/0008/अ-20(3)/2021-22 दिनांक 30-03-2022 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

**2. अन्य कारणों का विवरण-निरंक।**

**(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार अंजड के द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-**

**1. व्यक्तिगत अधिकार- निरंक।****2. सामुदायिक अधिकार-निरंक।**

**अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।**

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**क्षितिज कुमार**, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2025

क्र. PCCF-7-0768-2025-FLR-PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0768-2025-FLR-PCCF, दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**क्षितिज कुमार**, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 31<sup>st</sup> December 2025

No./PCCF/7/0768/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

## SCHEDULE

District - Barwani  
Forest Division- Barwani

Tehsil - Anjad  
Forest Range -Rajpur

| S.N. | Name of Forest Block | Details of Land Included            |                                                |              |                | Forest Block Boundaries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                      | Name of Village                     | Present head of land                           | Khasra No.   | Area (Hectare) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.   | Fatyapur             | Revenue Village Fatyapur (P.H.No.17 | Government Hill Revenue Land (Non-Forest Land) | 164/2/S      | 49.320         | North-Artificial forest boundary from Pillar No. 1 to Pillar No. 7 of protected forest block .<br>East-Artificial forest boundary from Pillar No. 7 to Pillar No. 10 of protected forest block.<br>South-Artificial forest boundary from Pillar No. 10 to Pillar No. 15 of protected forest Block.<br>West- Artificial forest boundary from Pillar No. 15 to Pillar No. 16 and Pillar No. 1 of protected forest block. |
|      |                      |                                     |                                                | <b>Total</b> | <b>49.320</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**A. Reason for publication of Notification :-**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change Government. of India, New Delhi order File No.:8-08/2024-FC dated 14.08.2025 and in lieu of 49.320 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sonkhedi Tank Project of Executive Engineer, Water Resources Division Barwani (M.P.) the above mentioned Non Forest Land of 49.320 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No.2444/Reader/Bhumi Avantan/2022,Barwani(RC No. 0008/A-20(3)/2021-22) dated 30-03-2022 of Collector District Barwani for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report Tehsildar Anjad are as under.

1. Individual Right - Nil

2. Community Rights -Nil

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

**KSHITIJ KUMAR**, Officer on Special Duty.

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2025

क्रमांक/PCCF/7/0784/2025-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

## अनुसूची

जिला - ग्वालियर

वनमण्डल - ग्वालियर

अ.क्र.

वनखण्ड की भूमि का विवरण

वनखण्ड ग्राम का भूमि का खसरा क्षेत्रफल  
का नाम नाम वर्तमान क्रमांक (हेक्टेयर)

1 आरोन ई आरोन पठार 618 भाग 3.956  
619 भाग 5.382

योग 9.338

तहसील - घाटीगांव

वन परिक्षेत्र - घाटीगांव उत्तर

वनखण्ड की सीमाएं

उत्तर - संरक्षित वनखण्ड आरोन-ई के मुनारा क्रमांक 01 से आरक्षित वनखण्ड आरोन के मुनारा क्रमांक 108 तक कृत्रिम वनसीमा से होते हुए आरक्षित वनखण्ड आरोन के मुनारा क्रमांक 108 एवं 109 के मध्य स्थापित मुनारा क्रमांक 108/1 तक वन सीमा।

पूर्व - मुनारा क्रमांक 108/1 से संरक्षित वनखण्ड आरोन-ई के मुनारा क्रमांक 2 तक की कृत्रिम वनसीमा।

दक्षिण - संरक्षित वनखण्ड आरोन-ई के मुनारा क्रमांक 02 से मुनारा क्रमांक 03 तक की कृत्रिम वनसीमा।

पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड आरोन-ई के मुनारा क्रमांक 03 से मुनारा क्रमांक 01 तक की कृत्रिम वनसीमा।

## (क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-MPC043/2021-BHO दिनांक 20.07.2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग-1 ग्वालियर की स्वीकृत परियोजना नयागांव-मउच रिहैरा-बनवार-चीनौर मार्ग चौड़ीकरण में प्रभावित 9.338 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 9.338 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 9.338 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर

जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक-0002/अ-19(3)/2020-21/न0अ0/घाटीगांव-3203

दिनांक 02.06.2021 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

## 2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला ग्वालियर के प्रतिवेदन क्रमांक/108 /8-भू.अ./19-11/वन/2022 ग्वालियर दिनांक 28.04.2022 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2025

क्र. PCCF-7-0784-2025-FLR-PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0784-2025-FLR-PCCF, दिनांक 31 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 31<sup>st</sup> December 2025

No./PCCF/7/0784/2025-FLR-PCCF:: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

#### SCHEDULE

| District - Gwalior        |                      |                                                                     |                      | Tahsil - Ghatigaon             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forest Division - Gwalior |                      |                                                                     |                      | Forest Range - Ghatigaon North |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| S. N.                     | Name of Forest Block | Details of Land Included<br>Name of Village<br>Present head of Land | Khasra No.           | Area (hectare)                 | Forest Block Boundaries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                         | Aron 'E'             | Aron Plateau                                                        | 618 Part<br>619 Part | 3.956<br>5.382                 | <p><b>North</b> - From boundary pillar No. 01 of Protected Forest Block Aron-E to boundary pillar No. 108 of Reserved Forest Block Aron along the artificial forest boundary, and further up to boundary pillar No. 108/1 established between boundary pillars No. 108 and 109 of Reserved Forest Block Aron.</p> <p><b>East</b> - Along the artificial forest boundary from boundary pillar No. 108/1 to boundary pillar No. 02 of Protected Forest Block Aron-E.</p> <p><b>South</b> - Along the artificial forest boundary from boundary pillar No. 02 to boundary pillar No. 03 of Protected Forest Block Aron-E.</p> <p><b>West</b> - Along the artificial</p> |

forest boundary from  
boundary pillar No. 03 to  
boundary pillar No. 01 of  
Protected Forest Block Aron-  
E.

**Total 9.338**

**(A) Reason for publication of Notification :-**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 6-MPC 043/2021-BHO dated 20-07-2021 and in lieu of 9.338 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Nayagaon-Much Richhaira-Banawar-Chinore road widening, of Executive Engineer, Public Works Department Division-1 Gwalior, the above mentioned Non Forest Land of 9.338 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No. 0002/A-19(3)/2020-21/N.A./ghatigaon-3203 dated 02-06-2021 of Collector, district Gwalior for the purpose of compensatory afforestation.
- 2.

Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No 108/8-L.R./19-11/forest/2022 dated 28.04.2022 of Superintendent land record district Gwalior are as under.

1. Rights of individuals :- There are no individual rights on the said land.
2. Rights of Communities :- There are no Communities rights on the said land.

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

**KSHITIJ KUMAR**, Officer on Special Duty.

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2026

क्रमांक/PCCF/7/0382/2025-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

## अनुसूची

जिला -शाजापुर

तहसील-मो.बड़ोदिया

वनमंडल-सामान्य शाजापुर

वन परिक्षेत्र -शाजापुर

| क्र. | वनखण्ड की भूमि का विवरण |              |                     |           |                    | वनखण्ड की सीमाएँ                                                                                    |
|------|-------------------------|--------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | वनखण्ड का नाम           | ग्राम का नाम | भूमि का वर्तमान मद् | खसरा क्र. | क्षेत्रफल (हेक्टर) |                                                                                                     |
| 1    | फनवका                   | फनवका        | गैर वन राजस्व भूमि  | 816/1     | 0.63               | उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 31 से 33 होते हुये मुनारा क्रमांक 3 तक की कृत्रिम वन सीमा। |
|      |                         |              | गैर वन राजस्व भूमि  | 816/2     | 2.00               |                                                                                                     |
|      |                         |              | गैर वन राजस्व भूमि  | 816/3     | 2.00               |                                                                                                     |
|      |                         |              | गैर वन राजस्व भूमि  | 816/4     | 2.00               | पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से मुनारा क्रमांक 10 तक की कृत्रिम वन सीमा।              |
|      |                         |              | गैर वन राजस्व भूमि  | 816/5     | 2.00               |                                                                                                     |
|      |                         |              | गैर वन राजस्व भूमि  | 816/6     | 1.26               |                                                                                                     |
|      |                         |              | गैर वन राजस्व भूमि  | 816/7     | 2.00               | दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से मुनारा क्रमांक 22 तक की कृत्रिम वन सीमा।            |
|      |                         |              | गैर वन राजस्व भूमि  | 816/8     | 2.00               |                                                                                                     |
|      |                         |              | गैर वन राजस्व भूमि  | 816/9     | 0.70               |                                                                                                     |
|      |                         |              | गैर वन राजस्व भूमि  | 816/10    | 1.47               | पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 22 से मुनारा क्रमांक 31 तक की कृत्रिम वन सीमा।            |
|      |                         |              | गैर वन राजस्व भूमि  | 816/11    | 1.69               |                                                                                                     |
|      |                         |              | गैर वन राजस्व भूमि  | 816/12    | 1.49               |                                                                                                     |
|      |                         |              | गैर वन राजस्व भूमि  | 816/13    | 1.20               |                                                                                                     |

|   |                   |             |                    |         |       |                                                                                                                    |
|---|-------------------|-------------|--------------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                   |             | राजस्व भूमि        |         |       |                                                                                                                    |
|   |                   |             | गैर वन राजस्व भूमि | 816/14  | 0.49  |                                                                                                                    |
|   |                   |             | गैर वन राजस्व भूमि | 816/15  | 1.64  |                                                                                                                    |
|   |                   |             | गैर वन राजस्व भूमि | 816/16  | 1.20  |                                                                                                                    |
|   |                   |             | गैर वन राजस्व भूमि | 816/17  | 0.63  |                                                                                                                    |
|   |                   |             | गैर वन राजस्व भूमि | 816/18  | 2.00  |                                                                                                                    |
|   |                   |             | गैर वन राजस्व भूमि | 816/19  | 12.00 |                                                                                                                    |
|   |                   |             | गैर वन राजस्व भूमि | 816/822 | 1.14  |                                                                                                                    |
|   |                   |             | योग                | 20      | 39.54 |                                                                                                                    |
| 2 | कडूला-माल्याहेड़ी | कडूला       | गैर वन राजस्व भूमि | 2243/3  | 4.82  | उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 4 तक की कृत्रिम वन सीमा।                              |
|   |                   | माल्याहेड़ी | गैर वन राजस्व भूमि | 2244    | 3.37  | पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से मुनारा क्रमांक 17 तक की कृत्रिम वन सीमा।                             |
|   |                   |             | गैर वन राजस्व भूमि | 2245    | 5.75  | दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 17 से मुनारा क्रमांक 22 तक की कृत्रिम वन सीमा।                           |
|   |                   |             | गैर वन राजस्व भूमि | 2246    | 7.50  | पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 22 से मुनारा क्रमांक 42 एवं मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।      |
|   |                   |             | गैर वन राजस्व भूमि | 939     | 6.62  |                                                                                                                    |
|   |                   |             | गैर वन राजस्व भूमि | 941     | 6.82  |                                                                                                                    |
|   |                   |             | योग                | 06      | 34.88 |                                                                                                                    |
| 3 | रोल्याखेड़ी       | रोल्याखेड़ी | गैर वन राजस्व भूमि | 4/5     | 6.73  | उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 25 से मुनारा क्रमांक 30 होते हुये मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा। |
|   |                   |             |                    |         |       | पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 15 तक की कृत्रिम वन सीमा।                             |
|   |                   |             |                    |         |       | दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 15 से मुनारा क्रमांक 19 तक की कृत्रिम वन सीमा।                           |

|   |                      |                         |                       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                      |                         |                       |       |       | पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 19 से मुनारा क्रमांक 25 तक की कृत्रिम वन सीमा।                                                                                                                                                                                     |
|   |                      |                         | योग                   | 01    | 6.73  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 | रोल्पाखेड़ी-मांगलिया | रोल्पाखेड़ी<br>मांगलिया | गैर वन<br>राजस्व भूमि | 11/1  | 3.00  | उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 19 से मुनारा क्रमांक 29 होते हुये मुनारा क्रमांक 2 तक की कृत्रिम वन सीमा।                                                                                                                                                           |
|   |                      |                         | गैर वन<br>राजस्व भूमि | 19    | 4.27  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |                      |                         | गैर वन<br>राजस्व भूमि | 736/4 | 2.25  | पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से मुनारा क्रमांक 3 तक की कृत्रिम वन सीमा।<br>दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से मुनारा क्रमांक 14 तक की कृत्रिम वन सीमा।<br>पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से मुनारा क्रमांक 19 तक की कृत्रिम वन सीमा। |
|   |                      |                         |                       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |                      |                         | योग                   | 03    | 9.52  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 | मांगलिया             | मांगलिया                | गैर वन<br>राजस्व भूमि | 72/1  | 4.96  | उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 34 से मुनारा क्रमांक 51 होते हुये मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।                                                                                                                                                           |
|   |                      |                         | गैर वन<br>राजस्व भूमि | 73    | 7.77  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |                      |                         | गैर वन<br>राजस्व भूमि | 182/2 | 3.15  | पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 6 तक की कृत्रिम वन सीमा।<br>दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 6 से मुनारा क्रमांक 28 तक की कृत्रिम वन सीमा।<br>पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 28 से मुनारा क्रमांक 34 तक की कृत्रिम वन सीमा। |
|   |                      |                         |                       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |                      |                         | योग                   | 03    | 15.88 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6 | बाण्डाहेड़ी          | बाण्डाहेड़ी             | गैर वन<br>राजस्व भूमि | 313   | 13.89 | उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 48 से मुनारा क्रमांक 53 होते हुये मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।                                                                                                                                                           |
|   |                      |                         | गैर वन<br>राजस्व भूमि | 435   | 3.00  | पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा                                                                                                                                                                                                                         |

|  |  |  |        |    |        |                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |        |    |        | क्रमांक 22 तक की कृत्रिम वन सीमा।<br>दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 22 से मुनारा क्रमांक 24 तक की कृत्रिम वन सीमा।<br>पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 24 से मुनारा क्रमांक 48 तक की कृत्रिम वन सीमा। |
|  |  |  | योग    | 02 | 16.89  |                                                                                                                                                                                                                           |
|  |  |  | महायोग | 35 | 123.44 |                                                                                                                                                                                                                           |

**(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, के आदेश क्रमांक F.No.6-MPA016/2021-BHO दिनांक 07 फरवरी 2022 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.20 मंडलेश्वर जिला खरगोन की स्वीकृत परियोजना आई एस पी कालीसिन्ध लिंक प्रोजेक्ट फेस-2, सिंचाई (पाइप लाइन) में प्रभावित 147.09 हे. (वनमण्डल खंडवा की 46.989 हे. एवं वनमण्डल देवास की 100.101 हे.) वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 152.13 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 123.44 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला शाजापुर के आदेश प्रकरण क्र. 04/अ-19(3)/2021-22 दिनांक 02.07.2021, पृष्ठ.क्र/रीडर-एक/2021/396 दिनांक 02.07.2021, प्रकरण क्र. 06/अ-20(3)/2022-23 दिनांक 18.05.2022, पृष्ठ.क्र/रीडर-एक/2022/478 दिनांक 18.05.2022, प्रकरण क्र. 79/अ-59/2022-23 दिनांक 09.03.2023, पृष्ठ.क्र/रीडर-एक/2023/265 दिनांक 09.03.2023 एवं प्रकरण क्र. 20/अ-20(3)/2023-24 दिनांक 08.09.2023, पृष्ठ.क्र/रीडर-एक/2023/784 दिनांक 08.09.2023 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

**2. अन्य कार्रवायों का विवरण :- निरंक**

**(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी - तहसीलदार मो.बड़ोदिया के प्रतिवेदन क्रमांक/क्यू 1 से 10 दिनांक 19.10.2022 एवं क्यू 11-12 दिनांक 21.02.2024 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विसृत विवरण निम्नानुसार है :-**

1. व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक
2. सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2026

क्र. PCCF-7-0382-2025-FLR-PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0382-2025-FLR-PCCF, दिनांक 2 जनवरी 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 2<sup>nd</sup> January 2026

No./PCCF/7/0382/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), The State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

**Schedule**

District - Shajapur  
Division - Shajapur (T)

Tehsil - Mo.Badodiya  
Forest Range - Shajapur

| S. No. | Name of the Forest Block | Details of Land included |                        |            |                | Forest Block Boundaries                                                                                                                             |
|--------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                          | Name of Village          | Present head of Land   | Khasra No. | Area (Hectare) |                                                                                                                                                     |
| 1      | Favka                    | Favka                    | Gair Van Rajasva Bhumi | 816/1      | 0.63           | <b>North:</b> Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 31 to No. 33, passing through up to boundary pillar No. 3. |
|        |                          |                          | Gair Van Rajasva Bhumi | 816/2      | 2.00           |                                                                                                                                                     |
|        |                          |                          | Gair Van Rajasva Bhumi | 816/3      | 2.00           |                                                                                                                                                     |
|        |                          |                          | Gair Van Rajasva Bhumi | 816/4      | 2.00           | <b>East:</b> Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 3 to boundary pillar No. 10.                                |
|        |                          |                          | Gair Van Rajasva Bhumi | 816/5      | 2.00           |                                                                                                                                                     |
|        |                          |                          | Gair Van Rajasva Bhumi | 816/6      | 1.26           |                                                                                                                                                     |
|        |                          |                          | Gair Van Rajasva Bhumi | 816/7      | 2.00           | <b>South:</b> Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 10 to boundary pillar No. 22.                              |
|        |                          |                          | Gair Van Rajasva Bhumi | 816/8      | 2.00           |                                                                                                                                                     |
|        |                          |                          | Gair Van Rajasva       | 816/9      | 0.70           |                                                                                                                                                     |
|        |                          |                          |                        |            |                | <b>West:</b> Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 22 to boundary pillar No. 31.                               |

|   |                      |           |                              |           |              |                                                                                                                                                                           |
|---|----------------------|-----------|------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                      |           | Bhumi                        |           |              |                                                                                                                                                                           |
|   |                      |           | Gair Van<br>Rajasva<br>Bhumi | 816/10    | 1.47         |                                                                                                                                                                           |
|   |                      |           | Gair Van<br>Rajasva<br>Bhumi | 816/11    | 1.69         |                                                                                                                                                                           |
|   |                      |           | Gair Van<br>Rajasva<br>Bhumi | 816/12    | 1.49         |                                                                                                                                                                           |
|   |                      |           | Gair Van<br>Rajasva<br>Bhumi | 816/13    | 1.20         |                                                                                                                                                                           |
|   |                      |           | Gair Van<br>Rajasva<br>Bhumi | 816/14    | 0.49         |                                                                                                                                                                           |
|   |                      |           | Gair Van<br>Rajasva<br>Bhumi | 816/15    | 1.64         |                                                                                                                                                                           |
|   |                      |           | Gair Van<br>Rajasva<br>Bhumi | 816/16    | 1.20         |                                                                                                                                                                           |
|   |                      |           | Gair Van<br>Rajasva<br>Bhumi | 816/17    | 0.63         |                                                                                                                                                                           |
|   |                      |           | Gair Van<br>Rajasva<br>Bhumi | 816/18    | 2.00         |                                                                                                                                                                           |
|   |                      |           | Gair Van<br>Rajasva<br>Bhumi | 816/19    | 12.00        |                                                                                                                                                                           |
|   |                      |           | Gair Van<br>Rajasva<br>Bhumi | 816/822   | 1.14         |                                                                                                                                                                           |
|   |                      |           | <b>Total</b>                 | <b>20</b> | <b>39.54</b> |                                                                                                                                                                           |
| 2 | Kadula-<br>Malyahedi | Kadula    | Gair Van<br>Rajasva<br>Bhumi | 2243/3    | 4.82         | <b>North:</b> Artificial forest<br>boundary of the<br>Reserved Forest<br>from boundary pillar<br>No. 1 to boundary<br>pillar No. 4.<br><br><b>East:</b> Artificial forest |
|   |                      | Malhahedi | Gair Van<br>Rajasva<br>Bhumi | 2244      | 3.37         |                                                                                                                                                                           |
|   |                      |           | Gair Van                     | 2245      | 5.75         |                                                                                                                                                                           |

|   |            |            |                        |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------|------------|------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            |            | Rajasva Bhumi          |           |              | boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 4 to boundary pillar No. 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |            |            | Gair Van Rajasva Bhumi | 2246      | 7.50         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |            |            | Gair Van Rajasva Bhumi | 939       | 6.62         | <b>South:</b> Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 17 to boundary pillar No. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |            |            | Gair Van Rajasva Bhumi | 941       | 6.82         | <b>West:</b> Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 22 to boundary pillar No. 42 and up to boundary pillar No. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |            |            | <b>Total</b>           | <b>06</b> | <b>34.88</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 | Rolyakhedi | Rolyakhedi | Gair Van Rajasva Bhumi | 4/5       | 6.73         | <b>North:</b> Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 25 to boundary pillar No. 30, passing through up to boundary pillar No. 1.<br><br><b>East:</b> Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 1 to boundary pillar No. 15.<br><br><b>South:</b> Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 15 to boundary pillar No. 19.<br><br><b>West:</b> Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar |

|   |                     |                     |                        |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|---------------------|---------------------|------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                     |                     |                        |           |             | No. 19 to boundary pillar No. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |                     |                     | <b>Total</b>           | <b>01</b> | <b>6.73</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 | Rolyakhedi-Mangliya | Rolyakhedi-Mangliya | Gair Van Rajasva Bhumi | 11/1      | 3.00        | <b>North:</b> Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 19 to boundary pillar No. 29, passing through up to boundary pillar No. 2.<br><br><b>East:</b> Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 2 to boundary pillar No. 3.<br><br><b>South:</b> Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 3 to boundary pillar No. 14.<br><br><b>West:</b> Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 14 to boundary pillar No. 19. |
|   |                     |                     | Gair Van Rajasva Bhumi | 19        | 4.27        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |                     |                     | Gair Van Rajasva Bhumi | 736/4     | 2.25        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |                     |                     | <b>Total</b>           |           | <b>9.52</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 | Mangliya            | Mangliya            | Gair Van Rajasva Bhumi | 72/1      | 4.96        | <b>North:</b> Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 34 to boundary pillar No. 51, passing through up to boundary pillar No. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |                     |                     | Gair Van Rajasva Bhumi | 73        | 7.77        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |                     |                     | Gair Van Rajasva Bhumi | 182/2     | 3.15        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |                     |                     |                        |           |             | <b>East:</b> Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 1 to boundary pillar No. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|   |           |           |                              |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------|-----------|------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |           |           |                              |           |               | <p><b>South:</b> Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 6 to boundary pillar No. 28.</p> <p><b>West:</b> Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 28 to boundary pillar No. 34.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |           |           | <b>Total</b>                 | <b>03</b> | <b>15.88</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6 | Bandahedi | Bandahedi | Gair Van<br>Rajasva<br>Bhumi | 313       | 13.89         | <p><b>North:</b> Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 48 to boundary pillar No. 53, passing through up to boundary pillar No. 1.</p> <p><b>East:</b> Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 1 to boundary pillar No. 22.</p> <p><b>South:</b> Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 22 to boundary pillar No. 24.</p> <p><b>West:</b> Artificial forest boundary of the Reserved Forest from boundary pillar No. 24 to boundary pillar No. 48.</p> |
|   |           |           | Gair Van<br>Rajasva<br>Bhumi | 435       | 3.00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |           |           | <b>Total</b>                 | <b>02</b> | <b>16.89</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |           |           | <b>Grand<br/>Total</b>       | <b>35</b> | <b>123.44</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**A. Reason for publication of Notification :-**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate change Govt. of India's Order No. F.No.6-MPA016/2021-BHO Date 07.02.2022, and in lieu of 147.09 Ha. (Khandwa forest division 46.989Ha. & Dewas forest division 100.101Ha.) of affected Forest land under the sanctioned project ISP Kalisindh Link Project Phase-II, Micro lift Irrigation (Pipe-Line) of the Executive Engineer, Narmada Development Division No.20, Mandleshwar District Khargone, the above mentioned non forest land of 123.44 out of 152.13 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by Order No.04/A-19(3)/2021-22 Date 02.07.2021, Endorsement No./Reader-1/2021/396 Date 02.07.2021, Order No.06/A-20(3)/2022-23 Date 18.05.2022, Endorsement No./Reader-1/2022/478 Date 18.05.2022, Order No.79/A-59/2022-23 Date 09.03.2023, Endorsement No./Reader-1/2023/265 Date 09.03.2023 and Order No.20/A-20(3)/2023-24 Date 08.09.2023, Endorsement No./Reader-1/2023/784 Date 08.09.2023 of Collector Shajapur for the purpose of compensatory afforestation.
2. - Details of other Reasons. - Nil

**B. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. Q 1-10 dated 19.10.2022 and Q 11-12 dated 21.02.2024 of Tehsildar Mo. Badodiya are as under.**

1. - Individual Rights :- Nil
2. - Community Rights :- Nil

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.

**संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल,  
ई-पर्यावण परिसर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल**

क्र. 1-502015-2026

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2026

**सिंगरौली विकास योजना, 2035 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना**

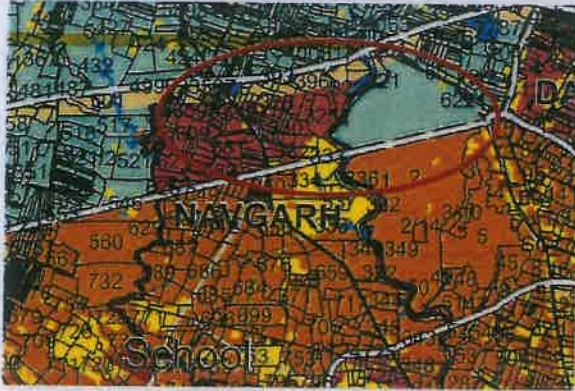
एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सिंगरौली निवेश क्षेत्र के लिए सिंगरौली विकास योजना, 2035 में उपांतरण का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिए निम्न कार्यालयों में उपलब्ध हैं -

1. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा, म.प्र.
2. कलेक्टर, जिला सिंगरौली, म.प्र.
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, सिंगरौली, म.प्र.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सिंगरौली, म.प्र.

अनुसूची

सिंगरौली विकास योजना 2035 के मानचित्र क्रमांक 5.3 के ग्राम नौगढ़ के उत्तर में प्रस्तावित 24.00 मीटर मार्ग के रेखांकन में निम्नानुसार आंशिक परिवर्तन प्रस्तावित किया जाता है -

**वर्तमान मार्ग रेखांकन**



**प्रस्तावित मार्ग रेखांकन**



प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) वेबसाइट पर भी अपलोड होंगे यदि कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सिंगरौली, म.प्र. को इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिवस की अवधि का अवसान होने के पूर्व समयक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

श्रीकांत बनोट, आयुक्त-सह-संचालक.